يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (سورة الحجرات:13)

लोगों के अधिकार और उनके मामलात

डाक्टर मौलाना मोहम्मद नजीब क़ासमी
Dr. Maulana Mohammad Najeeb Qasmi

www.najeebqasmi.com

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (سورة الحجرات 13)

लोगों के अधिकार और उनके मामलात

डाक्टर मौलाना मोहम्मद नजीब क़ासमी

www.najeebqasmi.com

विषय-सूची

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم
اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِيْن،وَالصَّلاۃ وَالسَّلامُ عَلٰی النَّبِیِّ الْکَرِيم وَعَلیٰ آله وَاَصْحَابه اَجْمَعِيْن۔

प्रस्तावना

हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ आखरी नबी हैं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत अंतरराष्ट्रीय भी है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़बिला कुरैश या अरबों के लिए नहीं बल्कि पुरी दुनिया के लिए, इसी तरह सिर्फ उस ज़माना के लिए नहीं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए बल्कि क़ियामत तक आने वाले तमाम इंसान व जिन्नात के लिए नबी व रसूल बना कर भेजे गए। क़ुरान व हदीस की रौशनी में उम्मते मुस्लिमा खास कर उलमा-ए-दीन की ज़िम्मेदारी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद दीने इस्लाम की हिफाज़त करके क़ुरान व हदीस के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाऐं। चूनांचे उलमा-ए-कराम ने अपने अपने ज़माने में मुख़्तलिफ़ तरीक़ों से इस ज़िम्मेदारी को अंजाम दिया। उलमा-ए-कराम की क़ुरान व हदीस की खिदमात को भुलाया नहीं जा सकता है और इंशा अल्लाह उलमा-ए-कराम की इल्मी खिदमात से कल क़ियामत तक इस्तिफादा किया जाता रहेगा। अब नई टेक्नोलॉजी (वेबसाइट, वाटस ऐप, मोबाइल ऐप, फेसबुक और यूटूयब वगैरह) को दीने इस्लाम की खिदमात के लिए उलमा-ए-कराम ने इस्तेमाल करना शुरू तो कर दिया है मगर इसमें मज़ीद काम करने की सख्त ज़रूरत है।

अलहमदु लिल्लाह बाज़ दोस्तों की टेक्निकल समर्थन और बाज़ मुहसिनीन के माली योगदान से हमने भी दीने इस्लाम की खिदमात के लिए नई टेक्नोलॉजी के मैदान में घोड़े दौड़ा दिए हैं ताकि इस

अंतरिक्ष (जगह) को एसी ताक़तें ुप न कर दें जो इस्लाम और मुस्लमानों के लिए नुक़सानदेह साबित हों। चूनांचे 2013 में वेबसाइट (www.najeebqasmi.com) लांच की गई, 2015 में तीन ज़बानों में दुनिया की पहली मोबाइल ऐप (**Deen-e-Islam**) और फिर दोस्तों के तक़ाजा पर हाजियों के लिए तीन ज़बानों में खुसूसी ऐप (**Hajj-e-Mabroor**) लांच की गई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बहुत से उलमा ने दोनों ऐपस के लिए प्रशंसापत्र लिख कर अवाम व ख्वास से दोनों ऐपस से इस्तिफादा करने की दरखास्त की। यह प्रशंसापत्र दोनों ऐपस का हिस्सा हैं। ज़माने की रफ्तार से चलते हुए क़ुरान व हदीस की रौशनी में मुख्तसर दीनी पैगाम खुबसूरत इमेज की शकल में मुख्तलिफ सूत्रों से हज़ारों दोस्तों को पहुंच रहे हैं जो अवाम व ख्वास में काफी मक़बूलियत हासिल किए हुए हैं।

इन दोनों ऐपस (दीने इस्लाम और हज्जे मब्रूर) को तीन ज़बानों में लांच करने के लिये मेरे तक़रीबन 200 मज़ामीन का अंग्रेज़ी और हिन्दी में तर्जुमा करवाया गया। तर्जुमा के साथ ज़बान के माहिरीन से एडिटिंग भी कराई गई। हिन्दी के तर्जुमा में इस बात का ख्याल रखा गया कि तर्जुमा आसान ज़बान में हो ताकि हर आम व खास के लिए इस्तिफादा करना आसान हो।

अल्लाह के फज़ल व करम और उसकी तौफीक़ से अब तमाम मज़ामीन के अंग्रेज़ी और हिन्दी अनुवाद को विषय के एतेबार से किताबी शकल में तरतीब दे दिया गया है ताकि इस्तिफादा आम किया जा सके, जिसके ज़रिया 14 किताबें अंग्रेज़ी में और 14 किताबें हिन्दी में तय्यार हो गई हैं। उर्दू में प्रकाशित 7 किताबों के अलावा 10 नई किताबें छपने के लिए तय्यार कर दी गई हैं।

हमें अल्लाह के हुकूक़ के साथ बन्दों के हुकूक़ भी पुरे तौर पर अदा करने चाहिए, बल्कि बन्दों के हुकूक़ की अदाएगी में ख़ुसूसी इहतिमाम करना चाहिए क्योंकि क़ुरान व हदीस की रौशनी में पूरी उम्मते मुस्लिमा का इत्तिफाक़ है कि बन्दों के हुकूक़ अदा न करने पर अल्लाह तआला उस वक़्त तक माफ नहीं फरमाएगा जब तक बन्दा का हक़ अदा न कर दिया जाए या वह अपना हक़ माफ न कर दे। इस किताब (लोगों के अधिकार और उनके मामलात) में हुकूक़ और मामलात को ज़िक्र किया गया है।

अल्लाह तआला से दुआ करता हूं कि इन सारी खिदमात को क़ुबूलियत व मक़बूलियत से नवाज़ कर मुझे, ऐपस की तायीद में लेटर लिखने वाले उलमा-ए-कराम, टेक्निकल सपोर्ट करने वाले अहबाब, माली योगदान पेश करने वाले मुहसिनीन, मुतर्जिमीन, एडिटिंग करने वाले हज़रात खास कर जनाब अदनान महमूद उसमानी साहब, डिज़ाइनर और किसी भी क़िसम से तआवुन पेश करने वाले हज़रात को दोनों जहां की कामयाबी व कामरानी अता फरमाये। आखिर में दारूल उलूम देवबन्द के मुहतमिम हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम नुमानी साहब, मौलाना मोहम्मद असरारूल हक़ क़ासमी साहब (मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट) और प्रोफेसर अखतरूल वासे साहब (लेसानियात के कमिशनर, मंत्रालय अक़लियती बहबूद) का शुक्र गुज़ार हूं कि उन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद प्रस्तावना लिखा। डॉक्टर शफाअतुल्लाह खान साहब का भी मशकूर हूं जिनकी मेहनतों से यह प्रोजेक्ट मुकम्मल हूआ।

मोहम्मद नजीब क़ासमी संभली (रियाज़)

14 मार्च, 2016 ई॰

(Mufti) Abul Qasim Nomani
Mohtamim (VC) Darul Uloom Deoband

(مفتی) ابو القاسم نعمانی
مہتمم دارالعلوم دیوبند، الہند

PIN- 247554 (U.P.) INDIA Tel: 01336-222429, Fax: 01336-222768 E-mail: info@darululoom-deoband.com

Ref. No..........

Date:....................

باسمہ سبحانہ وتعالیٰ

جناب مولانا محمد نجیب قاسمی سنبھلی مقیم ریاض (سعودی عرب) نے دینی معلومات اور شرعی احکام کو زیادہ سے زیادہ اہل ایمان تک پہونچانے کے لئے جدید وسائل کا استعمال شروع کرکے، دینی کام کرنے والوں کے لیے ایک اچھی مثال قائم فرمائی ہے۔

چنانچہ سعودی عرب سے شائع ہونے والے اردو اخبار (اردو نیوز) کے دینی کالم (روشنی) میں مختلف عنوانات پر ان کے مضامین مسلسل شائع ہوتے رہتے ہیں۔ اور موبائل ایپ اور ویب سائٹ کے ذریعہ بھی وہ اپنا دینی پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہونچا رہے ہیں۔ ایک اچھا کام یہ ہوا ہے کہ زمانہ کی ضرورت کے تحت مولانا نے اپنے اہم اور منتخب مضامین کے ہندی اور انگریزی میں ترجمے کرادیئے ہیں، جو الیکٹرونک بک کی شکل میں جلد ہی لانچ ہونے والے ہیں۔

اور امید ہے کہ مستقبل میں یہ پرنٹ بک کی شکل میں بھی دستیاب ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ مولانا قاسمی کے علوم میں برکت عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ مزید علمی افادات کی توفیق بخشے۔

ابوالقاسم نعمانی غفرلہ
مہتمم دارالعلوم دیوبند
۱۴۳۷/۶/۳ھ

15, South Avenue, New Delhi-110011
Ph.: 011-23795046 Telefax: 011-23795314
E-mail: mahaqqasmi@gmail.com

Date 19/03/2016

تاثرات

عصر حاضر میں دینی تعلیمات کو جدید آلات ووسائل کے ذریعہ عوام الناس تک پہنچانا وقت کا اہم تقاضہ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ بعض دینی، معاشرتی اور اصلاحی فکر رکھنے والے حضرات نے اس سمت میں کام کرنا شروع کر دیا ہے، جس کے سبب آج انٹرنیٹ پر دین کے تعلق سے کافی مواد موجود ہے۔ اگرچہ اس میدان میں زیادہ تر مغربی ممالک کے مسلمان سرگرم ہیں لیکن اب ان کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے مشرقی ممالک کے علماء وداعیان اسلام بھی اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں جن میں عزیزم ڈاکٹر محمد نجیب قاسمی صاحب کا نام سرفہرست ہے۔ وہ انٹرنیٹ پر بہت سا دینی مواد ڈال چکے ہیں، باضابطہ طور پر ایک اسلامی واصلاحی ویب سائٹ بھی چلاتے ہیں۔

ڈاکٹر محمد نجیب قاسمی کا قلم رواں دواں ہے۔ وہ اب تک مختلف اہم موضوعات پر سینکڑوں مضامین اور کئی کتابیں لکھ چکے ہیں۔ ان کے مضامین پوری دنیا میں بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ وہ جدید ٹکنالوجی سے بخوبی واقف ہونے کی وجہ سے اپنے مضامین اور کتابوں کو بہت جلد دنیا بھر میں ایسے ایسے لوگوں تک پہنچادیتے ہیں جن تک رسائی آسان کام نہیں ہے۔ موصوف کی شخصیت علوم دینی کے ساتھ علوم عصری سے بھی آراستہ ہے۔ وہ ایک طرف عالم دین ہیں، تو دوسری طرف ڈاکٹر ومحقق بھی اور کئی زبانوں میں مہارت بھی رکھتے ہیں اور اس پر مستزاد یہ کہ وہ فعّال ومتحرک نوجوان ہیں۔ جس طرح وہ اردو، ہندی، انگریزی اور عربی میں دینی واصلاحی مضامین اور کتابیں لکھ کر عوام کے سامنے لارہے ہیں، وہ اس کے لئے تحسین اور مبارک باد کے مستحق ہیں۔ ان کی شب وروز کی مصروفیات وجدوجہد کو دیکھتے ہوئے ان سے یہ امید کی جاسکتی ہے کہ وہ مستقبل میں بھی اسی مستعدی کے ساتھ مذکورہ تمام کاموں کو جاری رکھیں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ ان سے مزید دینی، اصلاحی اور علمی کام لے اور وہ اکابرین کے نقش قدم پر گامزن رہیں۔ آمین!

مخلص

(مولانا) محمد اسرارالحق قاسمی
ایم.پی. لوک سبھا (انڈیا)
وصدر آل انڈیا تعلیمی وملی فاؤنڈیشن، نئی دہلی
Email:asrarulhaqqasmi@gmail.com

प्रो. अख़्तरूल वासे
आयुक्त
PROF. AKHTARUL WASEY
Commissioner

भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
Commissioner for Linguistic Minorities in India
Ministry of Minority Affairs
Government of India

تقریظ

اطلاعاتی انقلاب برپا ہونے کے بعد جس طرح ہر قسم کی معلومات انٹرنیٹ کے ذریعہ آنکھوں کی دو پتلیوں میں سما گئی ہیں۔ اس نے ''گاگر میں ساگر'' اور ''کوزے میں دریا'' کے تخیلاتی تصورات کو نہ صرف حقیقت بنا دیا ہے بلکہ ان پر ہمارا انحصار روز بروز ناگزیر ہوتا جا رہا ہے۔ گوگل (Google) ہو یا وکی پیڈیا (Wikipaedia) یا پھر دوسری سوشل سائٹس انہوں نے ترسیل و ابلاغ کو وہ ہمہ جہت رخ اور رفتار کی تیزی عطا کی ہے کہ فراق و فصل کے تمام تصورات بے معنیٰ ہو کر رہ گئے ہیں۔ لیکن اس اطلاعاتی انقلاب نے ایک پیچیدہ مسئلہ یہ پیدا کر دیا ہے کہ اطلاعات رسانی اور خبروں تک رسائی میں حقائق سے گریز یا ان کو مسخ کرنے کا چلن بھی اس طرح شامل ہو گیا ہے اور اس سچائی کو اسلام اور مسلمانوں سے بہتر کون جانتا ہے۔ دوسرا سنگین مسئلہ یہ ہے کہ باخبر ہونے اور معلومات حاصل کرنے کے لئے اب مطالعہ کی عادت لوگوں میں خاصی کم ہوتی جا رہی ہے۔ کیونکہ موبائیل کے روپ میں دنیا ان کی مٹھی میں سمائی رہتی ہے اور وہ سب کچھ اسی کے ذریعہ جاننا چاہتے ہیں۔ اس چیلنج اور مسئلے کے حل کے لئے ضروری ہے کہ ہم غلط بیانیوں اور حقائق کو دنیا پر آشکار کرنے کے لئے اور اپنے ہم مذہبوں خاص طور پر نئی نسل کو صحیح معلومات فراہم کرنے، انہیں رہنمائی دینے اور ان کے شعور میں بالیدگی اور پختگی لانے کے لئے اس اطلاعاتی انقلاب کے جتنے بھی وسائل و ذرائع ہیں ان کا بھرپور استعمال کریں۔

مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ایک موقر اور معتبر عالم حضرت دین مولانا محمد نجیب قاسمی نے جو از ہر ہند دارالعلوم دیوبند کے قابل فخر ابنائے قدیم میں سے ہیں اور عرصہ سے مملکت سعودی عرب کی راجدھانی ریاض میں برسر کار ہیں، انہوں نے اس ضرورت کو بخوبی سمجھا اور دنیا کی پہلی اسلامی موبائیل ایپ ''دین اسلام'' اور ''حج مبرور'' اردو، انگریزی اور ہندی میں تیار کیا تھا اور اب وقت گزرنے کے ساتھ نئے سوالات کی روشنی اور علمی ضرورتوں کے تحت نئے مضامین اور نئے بیانات شامل کر کے ایک دفعہ پھر نئے انداز کے ساتھ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ مزید برآں زندگی کے مختلف پہلوؤں پر دین کے حوالہ سے دو سو مضامین کے الیکٹرونک ایڈیشن کو بھی منظر عام پر لایا جا رہا ہے۔ مجھے وقتاً فوقتاً محترم مولانا محمد نجیب قاسمی صاحب کے مقالے، الیکٹرانک مضامین اور علمی فتوحات سے استفادہ کرنے کا موقعہ ملتا رہا ہے۔ مجھے ان کے متوازن، اعتدال پسند اور عالمانہ اندازِ تحریر نے ہمیشہ متاثر کیا۔ میں مولانا نجیب قاسمی کی خدمت میں ہدیۂ تبریک و تشکر پیش کرتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ان کی عمر میں درازی، علم میں اضافہ اور قلم میں مزید پختگی عطا فرمائے۔ کیونکہ:

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں
ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں

(پروفیسر اختر الواسع)
سابق ڈائریکٹر: ذاکر حسین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز
سابق صدر: شعبہ اسلامک اسٹڈیز جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی
سابق وائس چیرمین: اردو اکادمی، دہلی

14/11, जाम नगर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली–110011
14/11, Jam Nagar House, Shahjahan Road, New Delhi-110011
Tel: (O) 011-23072651-52 Email: wasey27@gmail.com Website: www.nclm.nic.in

वालिदैन की फरमांबरदारी

क़ुरान व हदीस में वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करने की खुसूसी ताकीद की गई है। अल्लाह तआला ने बहुत सी जगहों पर अपनी तौहीद व इबादत का हुकुम देने के साथ वालिदैन के साथ अच्छा बरताव करने का हुकुम दिया है, जिससे वालिदैन की इताअत, उनकी खिदमत और उनके अदब व एहतेराम की अहमियत वाज़ेह हो जाती है। अहादीस में भी वालिदैन की फमांबरदारी की खास अहमियत व ताकीद और उसकी फज़ीलत बयान की गई है। अल्लाह तआला हम सबको वालिदैन के साथ अच्छा बरताव करने वाला बनाए, उनकी फरमांबरदारी करने वाला बनाए उनके हुक़ूक़ की अदाएगी करने वाला बनाए, आमीन।

आयाते कुरानिया

"और तेरा परवरदिगार साफ साफ हुकुम दे चुका है कि तुम उसके सिवा किसी और की इबादत न करना और मा बाप के साथ एहसान करना। अगर तेरी मौज़ूदगी में उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनके आगे उफ तक न कहना, न उन्हें डाट डपट करना, बल्कि उनके साथ अदब व एहतेराम से बातचीत करना और आज़िज़ी व मोहब्बत के साथ उनके सामने तवाज़ो का बाज़ू पस्त रखना और दुआ करते रहना कि ऐ मेरे परवरदिगार! उनपर वैसा ही रहम कर जैसा कि उन्होंने मेरे बचपन में मेरी परवरिश की है"। (सूरह बनी इसराइल 23, 24)

जहां अल्लाह तआला ने अपनी इबादत करने का हुकुम दिया है वहीं वालिदैन के साथ इहसान करने का भी हुकुम दिया है। एक दूसरी जगह अपने शुक्र बजा लाने के साथ वालिदैन के वास्ते भी शुक्र का हुकुम दिया। अल्लाहु अकबर ज़रा गौर करें कि मां बाप का मक़ाम व मरतबा क्या है, तौहीद व इबादत के बाद इताअत व खिदमते वालिदैन ज़रूरी क़रार दिया गया, क्योंकि जहां इंसानी वजूद का हक़ीक़ी सबब अल्लाह है तो वहीं ज़ाहिरी सबब वालिदैन। इससे यह भी मालूम हुआ कि शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह वालिदैन की नाफरमानी है जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तआला के साथ शिर्क करना और वालिदैन की नाफरमानी करना बहुत बड़ा गुनाह है। (बुखारी)

मां बाप की नाफरमानी तो बहुत दूर नाराज़गी व नापसंदीदगी के इज़हार और झिड़कने से भी रोका गया है और अदब के साथ नर्म गुफतगू का हुकुम दिया गया है, साथ ही साथ बाज़ुए ज़िल्लत पस्त करते हुए तवाज़ो व इंकिसारी और शफक़त के साथ बरताव का हुकुम होता है और पूरी ज़िन्दगी वालिदैन के लिए दुआ करने का हुकुम उनकी अहमियत को दोबाला करता है। “**और तुम सब अल्लाह तआला की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक न करो और मा बाप के साथ नेक बरताव करो।**” (सूरह नीसा 36)

“**हमने हर इसान को अपने बाप के साथ अच्छा सुलूक करने की नसीहत की है।**” (सूरह अंकबूत 8)

अहादीसे शरीफा

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह को कौन सा अमल ज़्यादा महबूब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नमाज़ को उसके वक़्त पर अदा करना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा उसके बाद कौन सा अमल अल्लाह को ज़्यादा पसंद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालिदैन की फरमांबरदारी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैंने कहा कि उसके बाद कौन सा अमल अल्लाह को ज़्यादा महबूब है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। (बुखारी)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि मैं अल्लाह तआला से अजर की उम्मीद के साथ आप के हाथ पर हिजरत और जिहाद करने के लिए बैअत करना चाहता हूं। रसुलूल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम्हारे मां बाप में से कोई ज़िन्दा है? उस शख्स ने कहा (अलहम्दु लिल्लाह) दोनों ज़िन्दा हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से पूछा क्या तू वाकई अल्लाह तआला से अजरे अज़ीम का तालिब है? उसने कहा हां। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया अपने वालिदैन के पास जा और उनकी खिदमत कर। (मुस्लिम)

एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो कर अर्ज़ किया मेरे हुस्ने सुलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारी मां। उस शख्स ने पूछा फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारी मां। उसने पूछा फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारी मां। उसने पूछा फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारा बाप। (बुखारी)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाप जन्नत के दरवाज़ों में से बेहतरीन दरवाज़ा है, चुनांचे तुम्हें इख्तियार है चाहे (उसकी नाफरमानी करके और दिल दुखा के) उस दरवाज़े को बरबाद कर दो या (उसकी फरमांबरदारी और उसको राज़ी रख कर) उस दरवाजे ही हिफाज़त करो। (तिर्मिज़ी)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तआला की रज़ामंदी वालिद की रज़ामंदी में है और अल्लाह तआला की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। (तिर्मिज़ी)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स को यह पसंद हो कि उसकी उम्र दराज़ की जाए और उसके रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाए उसको चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करे और रिशतेदारों के साथ सिलारहमी करे। (मुसनद अहमद)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपने वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक किया उसके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह तआला उसकी उम्र में इज़ाफा फरमाएंगे। (मुस्तदरक हाकिम)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वह शख्स ज़लील व ख्वार हो, ज़लील व ख्वार हो, ज़लील व ख्वार हो। अर्ज़ किया गया या रसूलुल्लाह! कौन ज़लील व ख्वार हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वह शख्स जो अपने मां बाप में से किसी एक या दोनों को बुढ़ापे की हालत में पाए फिर (उनकी खिदमत के ज़रिये) जन्नत में दाखिल न हो। (मुस्लिम)
क़ुरान व हदीस की रौशनी में उम्मते मुस्लिमा का इत्तेफाक़ है कि वालिदैन की नाफरमानी बहुत बड़ा गुनाह है। वालिदैन की नाराज़गी अल्लाह तआला की नाराज़गी का सबब बनती है, लिहाज़ा हमें वालिदैन की इताअत और फरमांबरदारी में कोताही नहीं करनी चाहिए, खास कर जब वालिदैन या दोनों में से कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें डांट डपट करना, हत्ताकि उनको उफ तक नहीं कहना चाहिए, अदब व एहतेराम और मोहब्बत व खुलूस के साथ उनकी खिदमत करनी चाहिए। मुमकिन है कि बुढ़ापे की वजह से उनकी कुछ बातें या आमाल आपको पसंद न आऐं, आप उसपर सब्र करें, अल्लाह तआला इस सब्र करने पर भी अजरे अज़ीम अता फरमाएगा इंशाअल्लाह।

दौराने हयात हुक़ूक़

उनका अदब व एहतेराम करना, उनसे मोहब्बत करना, उनकी फरमांबरदारी करना उनकी खिदमत करना, उनको जहां तक हो सके आराम पहुंचाना, उनकी ज़रूरीयात पूरी करना, थोड़े थोड़े वक़्त में उनसे मुलाक़ात करना।

वफात के बाद हुक़ूक़

उनके लिए अल्लाह तआला से माफी और रहमत की दुआएं करना। उनकी जानिब से ऐसे आमाल करना जिनका सवाब उन तक पहुंचे। उनके रिशतेदार, दोस्त व मुतअल्लिक़ीन की इज़्ज़त करना। उनके रिशतेदार, दोस्त और मुतअल्लिक़ीन की जहां तक हो सके मदद करना। उनकी अमानत व क़र्ज़ अदा करना। उनकी जाएज़ वसीयत पर अमल करना। कभी कभी उनकी कब्र पर जाना।

नोट - वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी है कि वह औलाद के दरमियान बराबरी क़ायम रखें और उनके हुक़ूक़ की अदाएगी करें। आम तौर पर गैर शादी शुदा औलाद से मोहब्बत कुछ ज़्यादा हो जाती है जिस पर पकड़ नहीं है, लेकिन बड़ी औलाद के मुक़ाबले में छोटी औलाद को मामलात में तरजीह देना मुनासिब नहीं है जिसकी वजह से घरेलू मसाइल पैदा होते हैं, लिहाज़ा वालिदैन को जहां तक हो सकेऔलाद के दरमियान बराबरी का मामला करना चाहिए। अगर औलाद घर वगैरह के खर्च के लिए बाप को रक़म देती है तो उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। अल्लाह तआला हमें अपने वालिदैन की फरमांबरदारी करने वाला बनाए और हमारी औलाद को भी इन हुक़ूक़ की अदाएगी करने वाला बनाए, आमीन।

बन्दों के हुक़ूक़

जिन कबीरा गुनाहों का तअल्लुक़ हुक़ूकुल्लाह (अल्लाह के हुक़ूक़) से है, मसलन नमाज़, रोज़ा, ज़कात और हज की अदाएगी में कोताहीमें अल्लाह तआला से सच्ची तौबा करने पर अल्लाह तआला माफ फरमा देगा, इंशाअल्लाह। लेकिन अगर इन गुनाहों का तअल्लुक़ हुक़ूक़ुल इबाद (बन्दों के हुक़ूक़) से है मसलन किसी शख्स का सामान चुराया या किसी शख्स को तकलीफ दी या किसी शख्स का हक़ मारा तो क़ुरान व हदीस की रौशनी में तमाम उलमा व फुक़हा इस बात पर मुत्तफिक़ हैं कि इसकी माफी के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जिस बन्दे का हमारे ऊपर हक़ है उसका हक़ अदा करें या उससे हक़ माफ करवाएं, फिर अल्लाह तआला की तरफ तौबा व इस्तिगफार के लिए रुजू करें।

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शहीद के तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, मगर किसी शख्स का क़र्जा। (मुस्लिम 1886) यानी अगर किसी शख्स का कोई क़र्ज़ किसी के ज़िम्मे है तो जब तक अदा नहीं कर दिया जाए वह ज़िम्मा बाक़ी रहेगा चाहे कितना भी बड़ा नेक अमल कर लिया जाए। मशहूर मुहद्दिस इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की शरह में लिखते हैं कि क़र्ज़ से मुराद तमाम हुक़ूक़ुल इबाद हैं, यानी अल्लाह के रास्ते में शहीद होने से हुक़ूकुल्लाह तो सब माफ हो जाते हैं लेकिन हुक़ूक़ुल इबाद माफ नहीं होते हैं। (शरह मुस्लिम)

मालूम हुआ कि हमें बन्दों के हुक़ूक़ की अदाएगी में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? सहाबा ने अर्ज़ किया हमारे नज़दीक मुफलिस वह शख्स है जिसके पास कोई पैसा और दुनिया का सामान न हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत का मुफलिस वह शख्स है जो क़यामत के दिन बहुत सी नमाज़, रोज़ा, ज़कात (और दूसरी मक़बूल इबादतें) लेकर आएगा मगर हाल यह होगा कि उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर इलज़ाम लगाया होगा, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा या किसी को मारा पीटा होगा तो उसकी नेकियों में से एक हक़ वाले को (उसके हक़ के बक़दर) नेकियां दी जाएंगी, ऐसे ही दूसरे हक़ वाले को उसकी नेकियों में से (उसके हक़ के बकदर) नेकियां दी जाएंगी, फिर अगर दूसरों के हुक़ूक़ चुकाए जाने से पहले उसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी तो (उन हुक़ूक़ के बक़दर) हक़दारों और मज़लूमों के गुनाह (जो उन्होंने दुनिया में किए होंगे) उनसे लेकर उस शख्स पर डाल दिए जाएंगे और फिर उस शख्स को दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। (मुस्लिम) यह है इस उम्मते मुस्लिमा का मुफलिस कि बहुत सारी नेकियों के बावजूद हुक़ूक़ुल इबाद में कोताही करने की वजह से जहन्नम में डाल दिया जाएगा।

अल्लाह तआला हम सबको हुक़ूक़ुल्लाह के साथ हुक़ूक़ुल इबाद में भी कोताही करने से महफ़ूज़ फरमाए, आमीन।

मियां बीवी की जिम्मेदारियां

हक़ के मानी

हक़ के मानी साबित होने यानी वाजिब होने के हैं, उसकी जमा हुक़ूक़ आती है जैसा कि अल्लाह तआला का फरमान है "उनमें से अक्सर लोगों पर बात साबित हो चुकी है, सो यह लोग ईमान नह लाऐंगे।" (सूरह यासीन 7) हक़ बातिल के मुक़ाबला में भी इस्तेमाल होता है, जैसा कि अल्लाह तआला का फरमान "और इलाम कर दो कि हक़ और बातिल मिट गया यक़ीनन बातिल को मिटना ही था।" (सूरह इसरा 81)

हुक़ूक़ की अदाएगी

शरीअते इस्लामिया ने हर उस शख्स को इस बात पर मुतवज्जह किया है कि वह अपने फराइज अदा करे, अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीक़ा पर अंजाम दे और लोगों के हुक़ूक़ की पूरी अदाएगी करे। शरीअते इस्लामिया ने हर उस शख्स को मुकल्लफ बनाया है कि वह अल्लाह के साथ बन्दों के हुक़ूक़ की पूरी तौर पर अदाएगी करे हत्ताकि बाज़ वजुह से हुकूकुल इबाद को ज़्यादा एहतेमाम से अदा करने की तालीम दी गई।

आज हम दूसरों के हुक़ूक़ तो अदा नहीं करते अलबत्ता अपने हुक़ूक़ का झंडा उठाए रहते हैं। दूसरों के हुक़ूक़ की अदाएगी की कोई फिक्र नहीं करते हैं, अपने हुक़ूक़ को हासिल करने के लिए मुतालबात किए जा रहे हैं, तहरीकें चलाई जा रही हैं, जुलूस मुज़ाहिरे किए जा रहे हैं, हड़ताल की जा रही है, हुक़ूक़ के नाम से अंजूमनें और तंजिमें बनाई जा रही हैं। लेकिन दुनिया में ऐसी अंजूमनें या तहरीकें या कौशिशें

मौज़ूद नहीं है कि जिनमें यह तालीम दी जाए कि अपने फराइज, अपनी जिम्मेदारियां और दूसरों के हुक़ूक़ जो हमारे जिम्मे हैं वह हम कैसे अदा करें? शरीअते इस्लामिया का असल मुतालबा भी यही है कि हममें से हर एक अपनी जिम्मेदारियों यानी दूसरों के हुक़ूक़ अदा करने की ज़्यादा कोशिश करे।
मियां बीवी के आपसी तअल्लुकात में भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तरीक़ा इख्तियार किया है कि दोनों को उनके फराइज यानी जिम्मेदारियां बता दें। शौहर को बता दिया कि तुम्हारे फराइज और जिम्मेदारियां क्या हैं और बीवी को बता दिया कि तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या हैं, हर एक अपने फराइज और जिम्मेदारियों को अदा करने की कोशिश करे। ज़िन्दगी की गाड़ी इसी तरह चलती है कि दोनों अपने फराइज और अपनी जिम्मेदारियां अदा करते रहें। दूसरों के हुक़ूक़ अदा करने की फिक्र अपने हुक़ूक़ हासिल करने की फिक्र से ज़्यादा हो। अगर यह जज़्बा पैदा हो जाए तो फिर ज़िन्दगी बहुत उमदा खुशगवार हो जाती है।

मियां बीवी

दो अजनबी मर्द व औरत के दरमियान शौहर और बीवी का रिश्ता उसी वक़्त क़ायम हो सकता है जबकि दोनों के दरमियान शरई निकाह अमल में आए। निकाहे शरई के बाद दो अजनबी मर्द व औरत रफीके हयात बन जाते हैं, एक दूसरे के रंज व खुशी, तकलिफ व राहत और सेहत व बीमारी गरज़ ये कि ज़िन्दगी के हर गोशा में शरीक हो जाते हैं। अकदे निकाह को क़ुरान करीम में मिसाके गलीज़ का नाम दिया गया है यानी निहायत बज़बूत रिश्ता। निकाह की

वजह से बेशुमार हराम काम एक दूसरे के लिए हलाल हो जाते हैं यहां तक कि अल्लाह तआला ने कुरान करीम में एक दूसरे को लिबास से ताबीर किया है यानी शौहर अपनी बीवी के लिए और बीवी अपने शौहर के लिए लिबास की तरह है। शरई निकाह के बाद जब आदमी शौहर और औरत बीवी बन जाती है तो एक दूसरे का जिस्मानी और रूहानी तौर पर लुत्फ अंदोज हो जाना जाएज़ हो जाता है और एक दूसरे के जिम्मे जिस्मानी और रूहानी हुक़ूक़ वाजिब हो जाते हैं। शरई अहकाम की पाबन्दी करते हुए शौहर और बीवी का जिस्मानी तौर पर लुत्फ अंदोज होना नीज़ एक दूसरे के हुक़ूक़ की अदाएगी करना यह सब शरीअते इस्लामिया का हिस्सा है और उन पर भी सवाब मिलेगा, इंशाअल्लाह।

निकाह के दो अहम मक़सद

अल्लाह तआला ने कुरान करीम में निकाह के मकासिद में से दो अहम मक़सद नीचे की आयात में लिखे हैं।

“और उसकी निशानियों में से है कि तुम्हारी ही जिंस से बीवियां पैदा कीं ताकि तुम उनसे आराम पाओ और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी क़ायम करदी, यक़ीनन गौर व फिक्र करने वालों के लिए उसमें बहुत सी निशानियां हैं।“ (सूरह रूम 21) गरज़ ये कि इस आयत में निकाह के दो अहम मकासिद बयान किए गए।

1) मियां बीवी को एक दूसरे से कल्बी व जिस्मानी सुकून हासिल होता है।

2) मियां बीवी के दरमियान एक ऐसी मोहब्बत, उलफत, तअल्लुक़, रिश्ता और हमदर्दी पैदा हो जाती है जो दुनिया में किसी भी दो शख्सियतों के दरमियान नहीं होती।

मियां बीवी की जिम्मेदारियों की तीन किसमें

इंसान सिर्फ इंफरादी ज़िन्दगी नहीं रखता बल्कि वह फतरतन मुआशरती मिज़ाज रखने वाली मख्लूक है, उसका वज़ूद खानदान के एक रूकन और मुआशरे के एक फर्द की हैसियत से ही पाया जाता है। मुआशरा और खानदान की तशकील में बुनियादी एकाई मियां बीवी हैं जिनके एक दूसरे पर कुछ हुक़ूक़ हैं।

1) शौहर की जिम्मेदारियां यानी बीवी के हुक़ूक़ शौहर पर।

2) बीवी की जिम्मेदारियां यानी शौहर के हुक़ूक़ पर।

3) दोनों की मुशतरका जिम्मेदारियां यानी मुशतरका हुक़ूक़।

शौहर की जिम्मेदारियां यानी बीवी के हुक़ूक़ शौहर पर

अल्लाह तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया "औरतों का हक़ है जैसा कि (मर्द का) औरतों पर हक़ है, मारूफ तरीक़ा पर।" (सूरह बक़रह 228) इस आयत में मियां बीवी के तअल्लुक़ात का ऐसा जामि दस्तुर पेश किया गया है जिससे बेहतर कोई दस्तुर नहीं हो सकता और अगर इस जामि हिदायत की रौशनी में अज़वाजी ज़िन्दगी गुजारी जाए तो इस रिश्ता में कभी भी तल्खी और कड़वाहट पैदा नह होगी, इंशाअल्लाह। वाकई यह कुरान करीम का इजाज है कि अल्फाज़ के इख्तिसार के बावज़ूद मानी का समुन्द्र में समो दिया गया है। यह आयत बता रही है कि बीवी को महज नौकरानी और खादमा मत समझना बल्कि यह याद रखना कि उसके भी कुछ

हुक़ूक़ हैं जिनकी पासदारी शरीयत में ज़रूरी है। इन हुक़ूक़ में जहां नान व नफ्का और रिहाईश का इंतिज़ाम शामिल है वहीं उसकी दिल दारी और राहत रिसानी का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। इसी लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुममें सबसे अच्छा आदमी वह है जो अपने घर वालों (बीवी बच्चों) की नज़र में अच्छा हो। और ज़ाहिर है कि उनकी नज़र में अच्छा वही होगा जो उनके हुक़ूक़ की अदाएगी करने वाला हो। दूसरी तरफ इस आयत में बीवी को भी आगाह किया कि उसपर भी हुक़ूक़ की अदाएगी लाज़िम है। कोई बीवी उस वक़्त तक पसंदीदा नहीं हो सकती जब तक कि वह अपने शौहर की ताबिदार और खिदमत गुज़ार हों और उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हों और ऐसी औरतों की मुजम्मत की गई है जो शौहरों की नाफरमानी करने वाली हों।

शौहर की चद अहम जिम्मेदारियां हसबे जैल हैं

1) मुकम्मल मुहर की अदाएगी- अल्लाह तआला का इरशाद है "औरतों को उनका महर राजी व खुशी से अदा कर दो। निकाह के वक़्त महर की ताईन और शबे जुफाफ से पहले उसकी अदाएगी होनी चाहिए, अगरचे तरफैन के इत्तेफाक़ से महर की अदाएगी को बाद में भी अदा कर सकते हैं। महर सिर्फ औरत का हक़ है, लिहाज़ा शौहर या उसके वालिदैन या भाई बहन के लिए महर की रकम में सेकुछ भी लेना जाएज़ नहीं है।

(वज़ाहत) शरीअत ने कोई भी खर्च औरतों पर नहीं रखा है, शादी से पहले उसके तमाम खर्च वालिद के जिम्मा हैं और शादी के बाद औरत के खाने, पीने, रहने, सोने और लिबास के तमाम खर्चशौहर

के जिम्मा हैं, लिहाज़ा महर की रकम औरत खालिस मिल्कियत है उसको जहां चाहे और जैसे चाहे इस्तमाल करे, शौहर या वालिद मशविरा दे सकते हैं मगर उस रकम में खर्च करने का पूरा इख्तियार सिर्फ औरत को है, इसी तरह अगर औरत को कोई चीज विरासत मेंम मिली है तो वह औरत की मिल्कियत होगी, वालिद या शौहर को वह रकम या जाइदाद लेने का कोई हक़ नहीं है।

2) बीवी के तमाम खर्चे- अल्लाह तआला का इरशाद है ‘‘बच्चों के बाप (शौहर) पर औरतों (बीवी) का खाना और कपड़ा लाज़िम है दस्तुर के मुताबिक़।“ (सूरह बक़रह 233)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतों के सिलसिला में अल्लाह तआला से डरो क्योंकि अल्लाह तआला की अमान में तुमने उनको लिया है। अल्लाह तआला के हुकुम की वजह से उनकी शर्मगाहों को तुम्हारे लिए हलाल किया गया है। दस्तुर के मुताबिक़ उनके पूरे खाने पीने का खर्च और कपड़ों का खर्चा तुम्हारे जिम्मा है। (मुस्लिम)

3) बीवी के लिए रिहाईश का इंतिज़ाम- अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है ‘‘तुम अपनी ताकत के मुताबिक़ जहां तुम रहते हो वहां उन औरतों को रखो।“ (सूरह तलाक़ 6) इस आयत में मुतल्लक़ा औरतों का हुकुम बयान किया जा रहा है कि इद्दत के दौरान उनकी रिहाईश का इंतिज़ाम भी शौहर के जिम्मा है। जब शरीअत नेक मुतल्लक़ा औरतों की रिहाईश का इंतिज़ाम शौहर के जिम्मा रखा है तो हसबे इस्तिताअत बीवी की मुनासिब रिहाईश की ज़िम्मेदारी बदर्जा औला शौहर के जिम्मा होगी।

4) बीवी के साथ हुसने मुआशिरत- शौहर को चाहिए कि वह बीवी के साथ अच्छा सुलूक करे। अल्लाह तआला फरमान “उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आओ यानी औरतों के साथ गुफतगु और मामलात में हूसने इखलाक के साथ मामला रखोगो तुम उन्हें नापसंद करो लेकिन बहुत मुमकिन है कि तुम किसी चीज को बुरा जानो और अल्लाह तआला उसमें बहुत ही भलाई करदे।“ (सूरह निसा 19)

शौहर की चैथी ज़िम्मेदारी “बीवी के साथ हूसने मुआशिरत” बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, उसकी अदाएगी के मुख्तलिफ तरीके हसबे जैल हैं।

1) हसबे इस्तिताअत बीवी और बच्चों पर खर्च करने में फराख दिली से काम लिना चाहिए जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर कोई शख्स अल्लाह तआला से अजर की उम्मीद के साथ अपने घर वालों पर खर्च करता है तोवह सदका होगा यानी अल्लाह तआला उसपर अजर अता फरमाएगा।

2) बीवी से मशविरा- इसमें कोई शक नहीं है कि घर के इंतिज़ाम को चलाने की ज़िम्मेदारी मर्द के जिम्मा रखी गई है जैसा कि कुरआन करीम में मर्द के कौवाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है यानी मर्द औरतों पर निगहबान और मुंतजिम हैं। लेकिन हूसने मुआशिरत के तौर पर औरत से भी घर के निज़ाम को चलाने के लिए मशविरा लेना चाहिए जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यानी बेटियों के रिशतें के लिए अपनी बीवी से मशविरा किया करो।

3) बीवी की बाज़ कमजोरियों से चशम पोशी करें, खास तौर पर जबकि दूसरी खुबियां व महासिन उनके अंदर मौज़ूद हों, याद रखें कि

अल्लाह तआला ने आम तौर हर औरत में कुछ नह कुछ खुबियां ज़रूरी रखी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर औरत की कोई बात या अमल नापसंद आए तो मर्द औरत पर गुस्सा नह करे क्योंकि उसके अंदर दूसरी खुबियां मौज़ूद हैं जो तुम्हें अच्छी लगती हैं। (मुस्लिम)

4) मर्द बीवी के सामने अपनी जात को काबिले तवज्जह यानीस्मार्ट बना कर रखे क्योंकि तुम जिस तरह अपनी बीवी को खुबसूरत देखना चाहते हो वह भी तुम्हें अच्छा देखना चाहती है। सहाबी रसूल व मुफस्सीरे क़ुरान हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपनी बीवी के लिए वैसा ही सजता हूं जैसा वह मेरे लिए जेब व जिनत इख्तियार करती है। (तफसीरे क़ुर्तुबी)

5) घर के काम व काज में औरत की मदद की जाए, खासकर जब वह बीमार हो। हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के तमाम काम कर लिया करते थे, झाड़ु भी खुद लगा लिया करते थे, कपड़ों में पैवंद भी खुद लगाया करते थे और अपने जुतों की मरम्मत भी खुद कर लिया करते थे। (बुखारी)

बीवी की जिम्मेदारियां यानी शौहर के हुक़ूक़ बीवी पर

1) शौहर की इताअत- अल्लाह तआला ने क़ुरान करीम में इरशाद फरमाया "मर्द औरतों पर हाकिम हैं इस वजह से कि अल्लाह तआला ने एक दूसरे पर फज़ीलत दी है और इस वजह से कि मर्द ने अपने माल खर्च किए हैं।" (सूरह निसा 34) जो औरतें नेक हैं वह अपने शौहरों का कहना मानती हैं और अल्लाह के हुकुम के मुवाफिक नेक

औरतें शौहर की अदमे मौज़ूदगी में अपने नफस और शौहर के माल की हिफाज़त करती हैं यानी अपने नफस और शौहर के माल में किसी किसम की ख्यानत नहीं करती हैं।
इस आयत में अल्लाह तआला ने मर्द को औरत पर फौकियत व फज़ीलत देने की दो वजह ज़िक्र फरमाई हैं।
1) मर्द व औरत व सारी कायनात को पैदा करने वाले अल्लाह तआला ने मर्द को औरत पर फज़ीलत दी है।
2) मर्द अपने और बीवी व बच्चों के तमाम खर्चे बर्दाशत करता है।
इसी तरह दूसरी आयत में अल्लाह तआला ने फरमाया ‘‘मर्द को औरतों पर फज़ीलत हासिल है।: (सूरह बक़रह 228)
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर औरत ने (खास तौर पर) पांच नमाजों की पाबंदी की, रमज़ान के महीने के रोजे एहतेमाम से रखे, अपनी शरमगाह की हिफाज़त की और अपने शौहर की इताअत की तो गोया वह जन्नत में दाखिल होगी। (मुसनद अहमद)
एक औरत ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुझे औरतों की एक जमाअत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल करने के लिए भेजा है और वह यह है कि अल्लाह तआला ने जिहाद का हुकुम मर्द को दिया है चुांचे अगर उनको जिहाद में तकलिफ पहुंचती है तो उसपर उनको अजर दिया जाता है और अगर वह शहीद हो जाते हैं तो अल्लाह तआला के खुसूसी बन्दों में शुमार हो जाते हैं मरने के बावजूद वह जिन्दा रहते हैं और अल्लाह तआला की तरफ से खुसूसी रिज़्क़ उनको दिया जाता है। (जैसा कि सूरह आले इमरान 169 में लिखा है) हम औरतें उनकी

खिदमत करती हैं, हमारे लिए क्या अजर है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिन औरतों की तरफ से तुम भेजी गई हो उनको बता दो कि शौहर की इताअत और उसके हक़ का एतेराफ तुम्हारे लिए अल्लाह के रास्ते में जिहाद के बराबर है लेकिन तुममें से कम ही औरतें इस ज़िम्मेदारी को बखुबी अंजाम देती हैं। (बज़्ज़ार, तबरानी)

(वज़ाहत) इन दिनों मर्द व औरत के दरमियान मुसावात और आज़ादी-ए-निसवां का बड़ा शऊर है और बाज़ हमारे भाई भी इस प्रोपेगन्डे में शरीक हो जाते हैं। हक़ीक़त यह है कि मर्द व औरत ज़िन्दगी के गाड़ी के दो पहिये हैं, ज़िन्दगी का सफर दोनों के एक साथ तैय करना है, अब ज़िन्दगी के सफर को तैय करने में इतिज़ाम की खातिर यह लाजमी बात है कि दोनों में से कोई एक सफर क जिम्मेदार हो ताकि ज़िन्दगी का निज़ाम सही चल सके। लिहाज़ा तीन रास्ते हैं। (1) दोनों को ही अमीर बनाया जाए। (2) औरत को इस ज़िन्दगी के सफर का अमीर बनाया जाए। (3) मर्द को इस ज़िन्दगी के सफर का अमीर बनाया जाए। पहली शकल में इख्तेलाफ की सूरत में मसअला हल होने के बजाए पेचिदा होता जाएगा। दूसरी शकल भी मुमकिन नहीं है क्योंकि मर्द व औरत को पैदा करने वाले ने सिन्फे नाज़ूक को ऐसी औसाफ से मुत्तसिफ पैदा किया है कि वह मर्द पर हाकिम बन कर ज़िन्दगी नहीं गुज़ार सकती है। लिहाज़ा अब एक ही सूरत बची और वह यह है कि मर्द इस ज़िन्दगी के सफर का अमीर बन कर रहे। मर्द में आदतन व तबअन औरत की बनिस्बत फिक्र व तदब्बुर और बर्दाशत व तुहम्मुल की कु वत ज़्यादा होती है, नीज़ इंसानी खिलकत, फितरत, कु वत और सलाहियत के लिहाज से

और अकल के ज़रिया इंसान गौर व खौज करे तो यही नज़र आएगा कि अल्लाह तआला ने जो कु वत मर्द को अता की है, बड़े बड़े काम करने की जो सलाहियत मर्द को अता की है वह औरत को नहींदी गई। लिहाज़ा इमारत और सरबराही का काम सही तौर मर्द ही अंजाम दे सकता है। इस मसअला के लिए अपनी अकल से फैसला करने के बजाए उस जात से पूछें जिसने इन दोनों को पैदा किया है। चुनांचे खालिक़े कायनात ने क़ुरान करीम में वाज़ेह अल्फाज़ के साथ इस मसअला का हल पेश कर दिया। इन आयात में अल्लाह तआला ने वाज़ेह अल्फाज़ में ज़िक्र फरमा दिया कि मर्द वही ज़िन्दगी के सफर का सरबराह रहेगा और फैसला करने का हक़ मर्द ही को हासिल है अगरचे मर्द को चाहिए कि औरत को अपने फैसलों में शामिल करे। मर्द हज़रात भी इस बात को अच्छी तरह जहन नशीन कर लें कि बेशक मर्द औरत के लिए कवाम यानी अमीर की हैसियत रखता है लेकिन साथ ही दोनों के दरमियान दोस्ती का भी तअल्लुक़ है यानी इंतिजामी तौर पर तो मर्द कवाम यानी अमीर है लेकिन आपसी तअल्लुक़ दोस्ती जैसा है ऐसा तअल्लुक़ नहीं है जैसा मालिक और नौकरानी के दरमियान होता है।

एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया कि जब तुम मुझसे राजी होती हो और जब तुम मुझसे नाराज होती हो, दोनों हालतों में मुझे इल्म हो जाता है। हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा या रसूलुल्लाह! किस तरह इल्म हो जाता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम मुझसे राजी होती हो रब्बे मोहम्मद के अल्फाज़ के साथ कसम खाती हो और जब तुम मुझसे नाराज होती

हो रब्बे इब्राहिम के अल्फाज़ के साथ कसम खाती हो। उस वक़्त तुम मेरा नाम नहीं लेती बल्कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम लेती हो। हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह मैं सिर्फ आपका नाम छोड़तीं ूहनाम के अलावा कुछ नहीं छोड़ती। (बुखारी)

अब आप अंदाजा लगाऐं कि कौन नाराज हो रहा है? हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा। और किससे नाराज हो रही हैं? ुह्रूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मालूम हुआ कि अगर बीवी नाराज़गी का इज़हार कर रही है तो मर्द की कवामियत यानी इमारत के खिलाफ नहीं है क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खुशी तबई के साथ उसका ज़िक्र फरमाया कि मुझे तुम्हारी नाराज़गी का पता चल जाता है।

इसी तरह वाक़या उफ्क को याद करें, जिसमें हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर तुहमत लगाई गई थी जिसकी वजह से हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर क़यामत सुगरा बरपा हो गई थी। हत्ताकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शुबहा हो गया था कि कहीं हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से वाकई गलती तो नहीं हो गई है। जब आयते बराअत नाज़िल हुई जिसमें अल्लाह तआला ने हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बराअत का इलान किया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बहुत खुश हुए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा खड़ी हो जाओ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करो। हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा बिस्तर पर लेटी हुई थीं और बराअत की आयात

सुन लीं और लेटे लेटे फरमाया कि यह तो अल्लाह तआला का करम है कि उसने मेरी बराअत (अपने पाक कलाम में) नाज़िल फरमादी लेकिन अल्लाह तआला के सिवा किसी का शुक्र अदा नहीं करती क्योंकि आप लोगों ने तो अपने दिल में यह इहतिमाल पैदा कर लिया था कि शायद मुझसे गलती हो गई है। (बुखारी)

बज़ाहिर हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होने से इराज फरमाया लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बुरा नहीं समझा इसलिए कि यह नाज की बात है। यह नाज दर हक़ीक़त इसी दोस्ती का तकाजा है जो मियां बीवी के दरमियान होती है। मालूम हुआ कि मियां बीवी के दरमियान हाकिमयत और महकूमियत का रिश्ता नहीं बल्कि दोस्ती भी रिश्ता है और इस दोस्ती का हक़ यह है कि इस किसम के नाज को बर्दाशत किया जाए।

बहरे हाल! अल्लाह तआला ने मर्द को कवाम बनाया है इसलिए फैसला उसका मानना होगा। हां बीवी अपनी राय और मशविरा दे सकती है और शरीअत ने मर्द को यह हिदायत भी दी है कि वह हत्तल इमकान बीवी की दिलदारी का ख्याल भी करे लेकिन फैसला उसी का होगा। लिहाज़ा अगर बीवी चाहे कि हर मामला में फैसला उनका चले और मर्द कवाम नह बने तो यह सूरत फितरत के खिलाफ है, शरीअत के खिलाफ है, अकल के खिलाफ है और इंसाफ के खिलाफ है और इसका नतीजा घर की बरबादी के सिवा और कुछ नहीं है।

2) शौहर के माल व आबरू की हिफाज़त

अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया "जो औरतें नेक हैं वह अपने शौहरों की ताबिदारी करती हैं और अल्लाह के हुकुम के मुवाफिक नेक औरतें शौहर की गैर हाजरी में अपने नफस और शौहर के माल की हिफाज़त करती हैं यानी अपने नफस और शौहर के माल में किसी किसम की ख्यानत नहीं करती हैं।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं तुम्हें मर्द का सबसे बेहतरीन खजाना नह बताऊं? वह नेक औरत है, जब शौहर उसकी तरफ देखे तो वह शौहर को खुश करदे, जब शौहर उसको कोई हुकुम करे तो शौहर का कहना माने। अगर शौहर कहीं बाहर सफर में चला जाए तो उसके माल और अपने नफस की हिफाज़त करे। (अबू दाउद, नसई)

शौहर के माल की हिफाज़त में यह है कि औरत शौहर की इजाज़त के बेगैर शौहर के माल में कूछ नह ले और उसकी इजाज़त के बेगैर किसी को नह दे। हां अगर शौहर वाकई बीवी बीवी के अखराजात में कमी करता है तो बीवी अपने और औलाद के खर्चे को पूरा करने के लिए शौहर की इजाज़त के बेगैर माल ले सकती है। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिन्द बिंत उतबा से कहा था जब उन्होंने अपने शौहर अबू सुफयान के ज़्यादा बखील होने की शिकायत की थी। इतना माल ले लिया करो जो तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के मुतवस्सित खर्चे के लिए काफी हो। (बुखारी व मुस्लिम)

शौहर की आबरू की हिफाज़त में यह है कि औरत शौहर की इजाज़त के बेगैर किसी को घर में दाखिल नह होने दे, किसी नामहरम से बिला ज़रूरत बा तनह करे। शौहर की इजाज़त के बेगैर घर से बाहर नह निकले।

3) घर के अंदरूनी निज़ाम को चलाना और बच्चों की तरबियत करना-यह औरतों की वह ज़िम्मेदारी है जो इनकी खिलकत के मकासिद में से एक अहम मक़सद है बल्कि यह वह बुनियादी ज़िम्मेदारी है जिसकी अदाएगी औरतों पर लाज़िम है। औरतों को इस ज़िम्मेदारी के अंजाम देने में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिएक्योंकि इसी ज़िम्मेदारी को सही तरीक़ा पर अंजाम देने से फैमली मेंआराम व सुकून पैदा होगा नीज़ औलाद दोनों जहां की कामयाबी व कामरानी से सरफराज होगी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब सहाबा अपनी बेटी या बहन को रूख्सत करते थे तो उसको शौहर की खिदमत और बच्चों की बेहतरीन तरबियत की खुसूसी ताकीद करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया औरत अपने शौहर के घर में निगहबान और जिम्मेदार है और उससे उसके बच्चों की तरबियत वगैरह के मुतअल्लिक़ सवाल किया जाएगा।

बीवी की चद अहम और दूसरी जिम्मेदारियां

4) बीवी शौहर की इजाज़त के बेगैर नफली रोज़ा नह रख- हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किसी औरत के लिए हलाल नहीं कि वह अपने शौहर की इजाज़त से यानी किसी औरत के लिए नफली रोज़ा रखना शौहर की इजाज़त के बेगैर हलाल नहीं।

5) औरत के दिल में शौहर के पैसे का दर्द हो- औरत के दिल्में शौहर के पैसे का दर्द होना चाहिए ताकि शौहर का पैसा फजूल खर्ची में खर्च नह हो। घर को नौकरानियों पर नहीं छोड़ना चाहिए कि वह

जिस तरह चाहें करती रहें बल्कि औरत की ज़िम्मेदारी है कि वह घर के दाखिली तमाम कामों पर निगाह रखे।

चद मुशतरका हुक़ूक़ और जिम्मेदारियां

जहां तक मुमकिन हो खुशी व राहत व सुकून को हासिल करने और रंज व गम को दूर करने के लिए एक दूसरे का मदद करना चाहिए। एक दूसरे के राज लोगों के सामने ज़िक्र नह किए जाऐं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह की नजरांे में सबसे बदबख्त इंसान वह होगा जो मियंा बीवी के आपसी राज को दूसरों के सामने बयान करे। (मुस्लिम)

शौहर बाहर के काम और बीवी घरैलू काम अजाम दे

क़ुरान व सुन्नत में वाज़ेह तौर पर ऐसा कोई कतई उसूल नहीं मिलता जिसकी बुनियाद पर कहा जाए कि खाना पकाना औरतों के जिम्मा है, अलबत्ता हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के दरमियान काम की जो तक़सीम की वह इस तरह थी कि बाहर का काम हज़रत अली देखते थे, घरैलू काम मसलन खाना बनाना, घर की सफाई करना वगैरह हज़रत फातिमा के जिम्मा था। लेकिन याद रखें कि ज़िन्दगी कानूनी पेचीदगियों से नहीं चला करती, लिहाज़ा जिस तरह क़ुरान व हदीस में मज़कूर नहीं है कि खाना पकाना औरत के जिम्मा है इसी तरह क़ुरान व सुन्नत में कहीं वाज़ेह तौर पर यह मौज़ूद नहीं है कि शौहर के जिम्मा बीवी का इलाज कराना लाज़िम

है, इसी तरह क़ुरान व सुन्नत में मर्द के जिम्मा नहीं है कि वह बीवी को उसके वालिदैन के घरैलू मुलाक़ात के लिए ले जाया करे। इसी तरह अगर बीवी के वालिदैन या भाई भहन उसके घर आऐ ंतो मर्द के जिम्मा नहीं है कि मुर्ग मुसल्लम व कुफते व कबाब वगैरह ले कर आए। मालूम हुआ कि दोनों एक दूसरे की खिदमत के जज़्बा से रहें। बाहर के काम मर्द अंजाम दे और औरत घर के मामलात को बखुबी अंजाम दे।

मियां बीवी की मुशतरका जिम्मेदारियों में से एक अहम ज़िम्मेदारी यह है कि दोनों एक दूसरे की जिंसी ज़रूरत को पूरा करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मर्द अपनी तरफ बुलाए (यह मियां बीवी के मखसूस तअल्लुकात से किनाया है, कि शौहर अपनी बीवी को उन तअल्लुकात को क़ायम करने के लिए बुलाए) और वह औरत नह आए या ऐसा तरज इख्तियार करे कि जिससे शौहर का वह मंशा पूरा नह हो और उसकी वजह से शौहर नाराज हो जाए तो सारी रात सूबह तक फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजते रहते हैं, यानी उस औरत पर खुदा की लानत हो और लानत के मानी यह है कि अल्लाह तआला की रहमत को उसको हासिल नहीं होगी। (बुखारी व मुस्लिम)

जिंसी ख्वाहिशात की तकमील पर अजर सवाब- हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मियां बीवी के जो आपसी तअल्लुकात होते हैं अल्लाह तआला उनपर भी अजर अता फरमाएगा। सहाबा ने सवाल किया या रसूलुल्लाह! वह इंसान अपनी नफसानी ख्वाहिशात के तिहत करता है, उसपर क्या अजर? आप

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वह नफसानी ख्वाहिश को नाजाएज़ तरीके से पूरा करता है तो उसपर गुनाह होता है या नहीं? सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह! गुनाह ज़रूर होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चूंकि मियां बीवी नाजाएज़ तरीक़ा को छोड़ कर जाएज़ तरीके से नफसानी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुकुम की वजह से कर रहे हैं, इसलिए इसपर भी सवाब होगा। (मुसनद अहमद)

अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से बचाने के लिए मुशतरका फिक्र व कोशिश

अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया "ऐ ईमान वालो! तुम अपने आपको और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका इंधन इंसान है और पत्थर जिसपर सख्त दिल मज़बूत फरिश्ते मुक़र्रर हैं जिन्हें जो हुकुम अल्लाह तआला देता है उसकी नाफरमानी नहीं करते बल्कि जो हुकुम दिया जाए बजालाते हैं।

जब मज़कूरा आयत नाज़िल हुई तो हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ लाए और फरमाया कि हम अपने आपको तो जहन्नम की आग से बचा सकते हैं मगर घर वालों का क्या करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम उनको बुराईयों से रोकते रहो और अच्छाईयों का हुकुम करते रहो, इंशाअल्लाह यह अमल उनको जहन्नम की आग से बचाने वाला बनेगा।

विरासत में शिर्कत

दोनों में से किसी एक के इंतिक़ाल होने पर दूसरा उसकी विरासत में शरीक होगा।

शौहर और बीवी की विरासत में चार शकलें बनती हैं। (सूरह निसा 12)

बीवी के इंतिक़ाल पर औलाद मौज़ूद नह होने की सूरत में (शौहर को 1/2 मिलेगा)

बीवी के इंतिक़ाल पर औलाद मौज़ूद होने की सूरत में (शौहर को 1/4 मिलेगा)

शौहर के इंतिक़ाल पर औलाद मौज़ूद नह होने की सूरत में (बीवी को 1/4 मिलेगा)

शौहर के इंतिक़ाल पर औलाद मौज़ूद होने की सूरत में (बीवी को 1/8 मिलेगा)

इस्लाम में क़त्ल की सगीनी और उसकी सजा

क़त्ल की हुरमत क़ुरान करीम में

शरीअते इस्लामिया में जितनी ताकीद के साथ इंसान के क़त्ल की हुरमत को बयान किया गया है असर हाज़िर में उसकी इतनी ही बेहूरमती हो रही है, चुनांचे मामूली मामूली बातों पर क़त्ल के वाक़यात रोज अखबारों की सुर्खियां बनते हैं। अफसोस की बात यह है कि इन दिनों बाज़ मुसलमान भी इस जुर्म का इरतिकाब कभी कभी दीनी खिदमत समझ कर कर जाते हैं, हालांकि क़ुरान व हदीस में किसी इंसान को नाहक़ क़त्ल करने पर ऐसी सख्त वईदें बयान की गई हैं जो किसी और जुर्म पर बयान नहीं हुईं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक़ किसी इंसान का नाहक़ क़त्ल करना शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है बल्कि बाज़ उलमा ने सूरह निसा 92 की रौशनी में फरमाया है कि किसी मुसलमान को नाहक़ क़त्ल करने वाला मिल्लते इस्लामिया से ही निकल जाता है। "और जो शख्स किसी मुसलमान को जानबुझ कर क़त्ल करे तो उसकी सजा जहन्नम है जिसमें वह हमेशा रहेगा और अल्लाह उस पर गजब नाज़िल करेगा और लानत भेजेगा और अल्लाह ने उसके लिए बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। अगरचे जमहूर उलमा ने क़ुरान व हदीस की रौशनी में लिखा है कि किसी को नाहक़ क़त्ल करने वाला बहुत बड़ा गुनाह का मुरतकिब तो ज़रूर है मगर वह इस जुर्म की वजह से काफिर नहीं होता और एक लम्बे अरसा तक जहन्नम में दर्दनाक अज़ाब की सजा पाकर आखिरकार वह जहन्नम से निकल जाएगा क्योंकि मज़कूरा आयत में "खालिदन फीहा" से एक लम्बे मुद्दत है। नीज़ क़ुरान व हदीस की

रौशनी में उलमा-ए-उम्मत का इत्तेफाक़ है कि किसी को नाहक़ क़त्ल करने वाले की आखिरत में बज़ाहिर माफी नहीं है और उसे अपने जुर्म की सजा आखिरत में ज़रूर मिलेगी अगरचे मक़्तूल के वुरसा कातिल से बदला न लेकर दियत वसूल कर लें या उसे माफ कर दें।

क़ुरान करीम में दूसरी जगह अल्लाह तआला ने एक शख्स के क़त्ल को तमाम इंसानों का क़त्ल क़रार दिया ''इसी वजह बनी इसराइल को यह फरमान लिख दिया था कि जो कोई किसी को क़त्ल करे जबकि यह क़त्ल नह किसी और जान का बदला लेने के लिए हो और न किसी के ज़मीन में फसाद फैलाने की वजह से हो तो यह ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों को क़त्ल कर दिया और जो शख्स किसी की जान बचा ले तो यह ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों की जान बचाली। गरज़ ये कि अल्लाह तआला ने एक शख्स के क़त्ल को पूरी इंसानियत का क़त्ल क़रार दिया क्योंकि कोई शख्स क़त्ल नाहक़ का इरतिकाब उसी वक़्त करता है जब उसके दिल से इंसान की हुरमत का इहसास मिट जाए नीज़ अगर किसी नाहक़ क़त्ल करने का चलन आम हो जाए तो तमाम इंसान गैर महफूज हो जाएंगे, लिहाज़ा क़त्ल नाहक़ का इरतिकाब चाहे किसी के खिलाफ किया गया हो तमाम इंसानों को यह समझना चाहिए कि यह जुर्म हम सब के खिलाफ किया गया है। क़त्ल की हुरमत के मुतअल्लिक़ फरमाने इलाही है ''जिस जान को अल्लाह ने हुरमत अता की है उसे क़त्ल न करो मगर यह कि तुम्हें (शरअन) उसका हक़ पुहंचता हो और जो शख्स मजलूमाना तौर पर क़त्ल हो जाए तो हमने उसके वली को (किसास का) इख्तियार दिया है। चुनांचे उस पर लाज़िम है

कि वह क़त्ल करने में हद से तजावुज़ न करे। यक़ीनन वह इस लायक है कि उसकी मदद की जाए।" (सूरह इसरा 33)

इसी तरह सूरह फुरकान आयत 68 और 69 में अल्लाह तआला फरमाता है "और जो अल्लाह के साथ किसी भी दूसरे माबूद की इबादत नहीं करते और जिस जान को अल्लाह ने हुरमत बखशी है उसे नाहक़ क़त्ल नहीं करते और न वह जिना करते हैं और जो शख्स भी यह काम करेगा उसे अपने गुनाह के वबाल का सामना करना पड़ेगा। क़यामत के दिन उसका अज़ाब बढ़ा बढ़ा कर दो गुना कर दिया जाएगा और वह जलील हो कर उस अज़ाब में हमेशा हमेशा रहेगा।"

आखिरी तीनों आयात में सिर्फ मुसलमानों के क़त्ल की मुमानअत नहीं है बल्कि हर उस शख्स के क़त्ल की मुमानअत है जिसकी जान को अल्लाह तआला ने हुरमत बखशी है।

क़त्ल पर सख्त वईदें रहमतुल लिल आलिमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी

हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलिमीन बना कर मबऊस हुए मगर इसके बावज़ूद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को नाहक़ क़त्ल करने पर सख्त वईदें इरशाद फरमाई हैं और उम्मत को इस संगीन गुनाह से बाज़ रहने की बार बार तलकीन फरमाई है। पांच अहादीस पेश है।

हज्जतुल विदा के मौक़ा पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अज़ीम खुतबा में इस बात पर जोर दिया कि किसी का खून न बहाया जाए, चुनांचे इरशाद फरमाया तुम्हारे खून, तुम्हारे माल और तुम्हारी आबरूऐं एक दूसरे के लिए ऐसी हुरमत रखती है जैसे तुम्हारे इस महीने (जिलहिज्जा) में तुम्हारे इस शहर (मक्का) और तुम्हारे इस दिन की हुरमत है। तुम सब अपने परवरदिगार से जा कर मिलोगे फिर वह तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में पूछेगा। लिहाज़ा मेरे बाद पलट कर ऐसे काफिर या गुमराह न हो जाना कि एक दूसरे की गरदनें मारने लगो। (सही बुखारी व सही मुस्लिम) यानी किसी शख्स को नाहक़ क़त्ल करना कफिरों और गुमराहों का काम है नीज़ एक दूसरे को काफिर या गुमराह कह कर क़त्ल न करना।

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कबीरा गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह यह है कि अल्लाह के साथ किसी शरीक ठहराना, किसी इंसान को क़त्ल करना, वालिदैन की नाफरमानी और झूठी बात कहना। (सही बुखारी)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक मुसलमान को अपने दीन के मामले में उस वक़्त तक (माफी की) गुनजाईश रहती है जब तक वह हराम तरीके से किसी का खून न बहा। (सही बुखारी)

सही बुखारी की सबसे मशहूर शरह लिखने वाले अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी इस हदीस का मतलब बयान करते हुए लिखते हैं कि किसी का नाहक़ खून बहाने के बाद माफी का इमकान बहुत दूर हो जाता है। (फतहुल बारी)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह तआला के नज़दीक एक मुसलमान शख्स के क़त्ल से पूरी दुनिया का नापैद (और तबाह) हो जाना हलका (वाक़या) है। (तिर्मिज़ी, नसई, इब्ने माजा)

क़ुरान व हदीस की रौशनी में ज़िक्र किया गया है कि किसी शख्स को क़त्ल करना शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है और कातिल की सजा जहन्नम है जिसमें वह एक लम्बे अरसा तक रहेगा, अल्लाह उस पर गजब नाज़िल करेगा और लानत भेजेगा और अल्लाह ताला ने कातिल के लिए बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। लिहाज़ा हर शख्स को चाहिए कि वह क़त्ल जैसे बड़े गुनाह से हमेशा बचे और वह किसी भी हाल में किसी भी जान का जाये करने वाला न बनेक्योंकि बसाऔक़ात एक शख्स के क़त्ल से न सिर्फ उसकी बीवी बच्चों की ज़िन्दगी बल्कि खानदान के मुख्तलिफ अफराद की ज़िन्दगी बाद में दो भर हो जाती है और इस तरह खुशहाल खानदान के अफराद बेवा, यतीम और मोहताज बन कर तकलिफों और परेशानियों में ज़िन्दगी गुज़ारने वाला बन जाते हैं।

क़त्ल की क़िस्में और उनकी सजा

अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को क़त्ल कर दे तो आखिरत में दर्दनाक अज़ाब के साथ दुनिया में भी उसे सजा मिलेगी जिसको क़ुरान व हदीस की रौशनी में इख्तिसार के साथ ज़िक्र कर रहा हुं। सबसे पहले समझें कि क़त्ल की तीन किसमें हैं।

1) कतले अमद- कतले अमद वह है कि इरादा करके किसी शख्स को मज़बूत हथयार से या ऐसी चीज से जिससे आम तौर पर क़त्ल किया जाता है, क़त्ल किया जाए। मसलन किसी शख्स को तलवार या गोली से मारा।

2) कतले शुबहा अमद- वह है जो जानबुझ कर तो हो मगर ऐसा हथयार से न हो जिससे आम तौर पर क़त्ल किया जाता है। मसलन किसी शख्स को एक पत्थर फें क कर मारा और वह उसकी वजह से मर गया।

3) कतले खता- कोई शख्स किसी शख्स के अमल की वजह से गलती से मर जाए। मसलन जानवर का शिकार कर रहा था मगर वह तीर या गोली गलती से किसी शख्स के लग गई और वह मर गया।

जनबुझ कर किसी को नाहक़ क़त्ल करने का हूकम

शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह- अल्लाह तआला का इरशाद फरमाता है ''और जो शख्स किसी मुसलमान को जानबुझ कर क़त्ल करे तो उसकी सजा जहन्नम है जिसमें वह हमेशा रहेगा और अल्लाह उसपर गजब नाज़िल करेगा और लानत भेजेगा और अल्लाह ने उसके लिए बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है।" (सूरह निसा 93) क़ुरान करीम में

दूसरी जगह अल्लाह तआला ने ''एक शख्स के क़त्ल को पूरी इंसानियत का क़त्ल क़रार दिया है।" (सूरह माइदा 32)

मरने के बाद दर्दनाक अज़ाब- फरमाने इलाही ''और जो शख्स भी यह काम (किसी को नाहक़ क़त्ल) करेगा उसे अपने गुनाह के वबाल का सामना करना पड़ेगा। क़यामत के दिन उसका अज़ाब बढ़ा बढ़ा कर दो गुना कर दिया जाएगा और वह जलील हो कर उस अज़ाब में हमेशा हमेशा रहेगा।" (सूरह कुरकान 68 और 69) इसी तरह सूरह निसा आयत 93 में ज़िक्र किया गया कि जो शख्स किसी मुसलमान को जानबुझ कर क़त्ल करे तो उसकी सजा जहन्नम है जिसमें वह हमेशा रहेगा, अल्लाह उसपर गजब नाज़िल करेगा और लानत भेजेगा और अल्लाह ने उसके लिए बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है।

किसास या दियत या माफी- क़त्ल साबित होने पर मकतूल के वुरसा को इख्तियार है कि वह इस्लामी हुकुमत की निगरानी में कातिल से किसास लें यानी हुकुमत कातिल को किसासन क़त्ल करे। शरीअते इस्लामिया ने मकतूल के वुरसा को यह भी इख्तियार दिया है कि वह कातिल को किसासन न कराके कातिल के औलिया से दीयत यानी सौ ऊंट की क़ीमत या उससे कुछ कम या ज़्यादा पैसा ले लें। किसास या दीयत या माफी में मकतूल के वुरसा के लिए जिसमें ज़्यादा फायदा हो उसको इख्तियार करना चाहिए।

फरमान इलही है ''ऐ ईमान वलो! जो लोग (जानबुझ कर नाहक़) क़त्ल कर दिए जाएें उनके बारे में तुम पर किसास (का हुकुम) फर्ज़

कर दिया गया है। आजाद के बदले आजाद, गुलाम के बदले गुलाम और औरत के बदले औरत (ही को क़त्ल किया जाएगा), फिर अगर कातिल को उसके भाई (यानी मकतूल के वुरसा) की तरफ से कुछ माफी दे दी जाए तो मारूफ तरीके के मुताबिक़ (खून बहाने का) मुतालबा करना (वारिस का) हक़ है और उसे खुश उसलूबी से अदा करना (कातिल का) फर्ज़ है। यह तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक आसानी पैदा की गई है और एक रहमत है। उसके बाद भी कोई ज्यादती करे तो वह दर्दनाक अज़ाब का मुस्तहिक़ है। और ऐ अकल रखने वालो! तुम्हारे लिए किसास में ज़िन्दगी (का सामान है), उम्मीद है कि तुम (इसकी खिलाफ वरजी से) बचोगे।“ (सूरह बक़रह 78 और 179)

अल्लामा इब्ने कसीर ने लिखा है कि ज़माना इस्लाम से कुछ पहले दो अरब कबिलों में जंग शुरू हुई, तरफैन के बहुत से आदमी आजाद व गुलाम, मर्द व औरत क़त्ल हो गए, अभी उनके मामला का तसफीया होने नहीं पाया था कि इस्लाम शुरू हो गया और यह दोनों कबिले इस्लाम में दाखिल हो गए, इस्लाम लाने के बाद अपनेअपने मकतूलों का किसास लेने की गूफतगू शुरू हुई तो एक कबिला (जो कु वत व शौकत वाला था) ने मुतालिबा किया कि हम उस वक़्त तक राजी न होंगे जब तक हमारे गुलाम के बदले में तुम्हारा आजाद और औरत के बदले में मर्द क़त्ल न किया जाए। उनके जालिमाना और जाहिलाना मुतालबा की तरदीद के लिए यह आयत नाज़िल हुई। जिसका हासिल उनके मुतालबा को रद्द करना था कि गुलाम के बदले आजाद को और औरत के बदले मर्द को क़त्ल नहीं किया जाएगा

बल्कि सिर्फ कातिल का ही किसास में क़त्ल किया जाएगा। इस्लाम ने अपना आदिलाना क़ानून नाफिज कर दिया कि जिसने क़त्ल किया है वही किसास में क़त्ल किया जाएगा, अगर औरत कातिल है तो किसी बेगुनाह मर्द को उसके बदले में क़त्ल करना, इसी तरह कातिल अगर गुलाम है तो उसके बदले में किसी बेगुनाह आजाद को क़त्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है जो इस्लाम में कतअन बर्दाशत नहीं है। गरज़ ये कि इस आयत का हासिल इसके सिवा कुछ नहीं कि जिसने क़त्ल किया है वही किसास में क़त्ल किया जाएगा।

विरासत से महरूमी

अगर कातिल ने अपने किसी करीबी रिशतेदार को क़त्ल कर दिया तो वह मकतूल की विरासत से महरूम हो जाएगा। मसलन किसी शख्स ने अपने वालिद को क़त्ल कर दिया तो वह वादिल की विरासत से महरूम हो जाएगा जैसा कि हज़रात सहाबए किराम का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रौशनी में इजमा है। मशहूर व मारूफ वाक़या है कि हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इब्ने कतादा अलमुदलजी की दियत का पैसा कातिल बाप को न दे कर उसके भाई को दिया था। (सुनन कुबरा बैहक़ी) हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने किसी शख्स को क़त्ल किया तो कातिल, मकतूल की विरासत में शरीक नहीं होगा खाह कातिल के अलावा मकतूल का कोई वारिस न हो। अगर बाप ने बेटे या बेटे ने बाप को क़त्ल कर दिया तो कातिल को मकतूल के माल में कोई विरासत नहीं। (दारे कुतनी)

(नोट) कतले अमद में कफ्फारा (गुलाम की आज़ादी या 60 रोजे रखना) नहीं है, अगरचे बाज़ उलमा ने क़त्ल पर क़यास करके कतले अमद में भी कफ्फारा के वज़ूब का क़ौल इख्तियार किया है। किसास माफ होने की सूरत में कातिल की दुनिया में ज़िन्दगी तो महफूज़ हो जाएगी लेकिन आखिरत में उसे अपने जुर्म की सजा मिलेगी लिहाज़ा मौत तक उसे अल्लाह तआला से माफी मांगते रहना होगा।

कतले शिबहे अमद को हुकुम

अगर किसी शख्स ने किसी शख्स को ऐसी चीज मारी जिससे आम तौर पर क़त्ल नहीं किया जाता है मसलन पत्थर, ढंढा, घुंसा, कूड़ा वगैरह मगर वह उसकी वजह से मर गया तो यह भी क़त्ल होगा लेकिन इस क़त्ल पर किसास नहीं आएगा अलबत्ता यह भी बड़ा गुनाह है अगरचे कतले अमद से कम है क्योंकि इसमें कसद फिर भी है। इसके अलावा मकतूल के वुरसा को दियत लेने का हक़ हासिल होगा। अगर फरीकैन राजी है तो दियत कम या ज़्यादा क़ीमत पर भी सूलह कर सकते हैं।

(नोट) कतले शिबहे अमद में भी कफ्फारा (गुलाम की आज़ादी या 60 रोजे रखना) नहीं है अगरचे बाज़ उलमा ने क़त्ल खता पर क़यास करके कतले शिबहे अमद में भी कफ्फारा के वज़ूब का क़ौल इख्तियार किया है।

कतले खता का हुकुम

अगर किसी शख्स से गलती से किसी शख्स का क़त्ल हो जाए मसलन जानवर का शिकार कर रहा था मगर वह तीर या गोली गलती से किसी शख्स को लग गई और वह मर गया, उसमें किसास तो नहीं है अलबत्ता शरीअते इस्लामिया ने मकतूल के वुरसा को यह इख्तियार दिया है कि वह कातिल और उसके औलिया से दियत यानी सौ ऊंट की क़ीमत या उससे कुछ कम या ज़्यादा पैसा लें या माफ कर दें। मकतूल के वुरसा दियत लें या माफ कर दें लेकिन कातिल को अल्लाह तआला से माफी मांगने के साथ 60 दिन के मुसलसल रोजे भी रखने होंगे। अल्लाह तआला का इरशाद है ''किसी मुसलमान का यह काम नहीं है कि वह किसी दूसरे मुसलमान को क़त्ल करे मगर यह कि गलती से ऐसा हो जाए। और जो शख्स किसी मुसलमान को गलती से क़त्ल कर बैठे तो उसपर फर्ज़ है कि वह एक मुसलमान गुलाम आजाद करे और दियत (यानी खून बहाने) मकतूल के वुरसा को पहुंचाए मगर यह कि वह माफ कर दें। और अगर मकतूल किसी ऐसे कौम से तअल्लुक़ रखता हो जो तुम्हारी दुशमन हो मगर वह खुद मुसलमान हो तो बस एक मुस्लामन गुलाम को आजाद करना फर्ज़ है (खून बहा देना वाजिब नहीं)। और अगर मकतूल उन लोगों में से है जो (मुसलमान नहीं मगर) उनके और तुम्हारे दरमियान कोई मुआहिदा है तो भी यह फर्ज़ है कि खून बहाने उसके वारिसों तक पहुंचाया जाए और एक मुसलमान गुलाम को आजाद किया जाए। हां अगर किसी के पास गुलाम नह हो तो उसपर फर्ज़ है कि दो महीने ताक मुसलसल रोजे रखे। यह तौबा का

तरीक़ा है जो अल्लाह ने मुक़र्रर किया है और अल्लाह अलीम व हकीम है।“ (सूरह निसा 92)

(नोट) क़त्ल खता में भी बेइहतियाजी का गुनाह है कफ्फारा का वज़ूब और तौबा का लफ्ज़ इस पर दाल है अगरचे कतले शुबहे अमद के मुकाबिला में कम है।
(नोट) आम तौर पर गाड़ियों के हवादिस में मरने वाले अफराद भी कतले खता के जिमन में आते हैं मगर यह कि मरने वाली की खुद की गलती हो।

क़त्ल से मुतअल्लिक़ जुदा जुदा मसाइल

सूरह माइदा आयत 45 की रौशनी में फुक़हा व उलमा ने लिखा है कि अगर किसी शख्स ने किसी शख्स के जिस्म के किसी हिस्सों को नुक़्सान कर दिया मसलन आंख फोड़ दी तो उसे उसकी सजा दी जाएगी मगर यह कि मजरूह शख्स उसका बदला हासिल कर ले या वह नुक़्सान पहुंचाने वाले को माफ कर दे।
किसास के लफ्जी मानी बराबरी के हैं। इस्तिलाहे शरा में किसास कहा जाता है क़त्ल की उस सजा को जिसमें बराबरी की रिआयतकी गई हो।
मकतूल की दियत सौ ऊंट या दस हज़ार दिरहम या एक हज़ार दीनार या उसके बराबर क़ीमत है या फरीकैन जो तैय कर लें।सउदी अरब में फील हाल दीयत की क़ीमत तीन लाख रियाल मुत्ताअय्यन है।

अगर मकतूल औरत है तो आधी दीयत यानी पचास ऊट या उसकी क़ीमत वाजिब होगी।

कफ्फारा में रोजे खुद कातिल को रखने होंगे अलबत्ता दीयत कातिल के अहले नुसरत पर ज़रूर होगी जिसे शरई इस्तिलाह में आकिला कहते हैं। दीयत की अदाएगी की ज़िम्मेदारी तमाम घर वालों बल्कि तमाम करीबी रिशतेदारों पर इसलिए रखी गई है ताकि मुआशरा का हर शख्स क़त्ल करने से न सिर्फ खुद बचे बल्कि हर मुमकिन कोशिश करे कि मुआशरा इस जुर्म अज़ीम से पाक व साफ रहे, इसी लिए अल्ला तआला ने कुरान करीम में एक शख्स के क़त्ल को पूरी इंसानियत का क़त्ल क़रार दिया और एक शख्स की ज़िन्दगी की हिफाज़त को पूरी इंसनियत की ज़िन्दगी क़रार दी। गरज़ ये कि दीयत की अदाएगी खानदान के तमाम अफराद पर रखी गई है ताकि दीयत के खौफ से हर शख्स मुआशरा को क़त्ल से महफूज़ करने की हर मुमकिन कोशिश करे।

कफ्फारा के रोजे में अगर मर्ज़ की वजह से तसलसुल बाकी न रहे तो शुरू से रखने पड़ेंगे। अलबत्ता औरत के हैज़ की वजह से तसलसुल खत्म नहीं होगा यानी अगर किसी औरत ने किसी शख्स को क़त्ल कर दिया और वह 60 रोजे कफ्फारा में रख रही है, 60 रोजे रखने के दौरान माहवारी के आने से कोई फर्क़ नहीं पड़ेगा वह माहवारी से फरागत के बाद 60 रोजों को जारी रखेगी। अगर कोई कातिल अपनी कमजोरी की वजह से 60 रोजे रखने की इस्तिताअत नहीं रखता है तो उसे कुदरत तक तौबा करते रहना होगा।

दियत में हासिल शुदा माल मकतूल के वुरसा में शरई एतेबार से तक़सीम होगा। जो वारिस अपना हिस्सा माफ कर देगा उस कदर माफ हो जाएगा और सबने माफ कर दिया तो सब माफ हो जाएगा। अगर किसी एक शरई वारिस ने भी अपनी हिस्सा की दीयत का मुतालिबा कर लिया या माफ कर दिया तो फिर किसास नहीं लिया जाएगा। अब दुसरे वुरसा के लिए दो ही इख्तियार होंगे या तो अपने हिस्से की दीयत लें या फिर माफ कर दें।

खुलासा कलाम यह है कि किसी भी इंसान को क़त्ल करना दरकिनार हम किसी भी हाल में किसी भी इंसान के क़त्ल में किसी भी किसम से मुआविन साबित न हों ताकि हम आखिरत में दर्दनाक अज़ाब से महफूज़ रहें। अगर किसी ने कोई क़त्ल किया है तो हुकुमत वक़्त ही को उसके किसासन क़त्ल करने का हक़ हासिल है। अल्लाह तआला हमें तमाम गुनाहों से महफूज़ रह कर यह दुनियावी फानी ज़िन्दगी गुज़ारने वाला बनाए और हमें दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाए।

औरतों की मुलाज़मत शरीअते इस्लामिया की नज़र में

शरीअत की तालिमात के मुताबिक़ मर्द व औरत को इस तरह ज़िन्दगी गुज़ारनी चाहिए कि घर के बाहर की दौड़ धूप मर्द के ज़िम्मे रहे, इसी लिए बीवी और बच्चों के तमाम जाएज़ खर्चे मर्द के ऊपर फर्ज़ किए गए हैं, शरीअते इस्लामिया ने औरतों पर कोई खर्चा लाज़िम नहीं क़रार दिया, शादी से पहले उसके तमाम खर्चे बाप के ज़िम्मे और शादी के बाद रिहाइश, कपड़े, खाने और ज़रूरीयत वगैरह के तमाम मसारिफ शौहर के ज़िम्मे रखे है।

औरतों से कहा गया है कि वह घर की मलिका हैं। (सही बुखारी) लिहाज़ा उनको अपनी सरगर्मियों का मरकज़ घर को बनाना चाहिए जैसा कि अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है "**और तुम अपने घरों में क़रार पकड़ो और ज़मानए जाहिलियत की तरह बाहर मत निकलो**" (सूरह अहजाब 33) हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान काम को इस तरह तक़सीम कर दिया था कि हज़रत फातिमा घर के अंदर के काम किया करती थीं और हज़रत अली घर के बाहर के काम अंजाम दिया करते थे। लोगों के तहफ्फुज़ की ज़िम्मेदारी मर्द हज़रात पर रखी गई है, न कि औरतों पर, मर्द पर जमाअत के साथ नमाज़ अदा करने को वाजिब या सुन्नते मुअक्कदा अशद्दुत ताकीद क़रार दिया गया जबकि औरतों को घर में नमाज़ पढ़ने की बार बार तर्गीब दी गई।

मर्द व औरत की ज़िम्मेदारी की यह तक़सीम न सिर्फ इस्लाम का मिज़ाज है बल्कि यह एक फितरी और मुतवाज़िन निज़ाम है जो मर्द व औरत दोनों के लिए सुकून व राहत का बाइस है, लेकिन इसका मतलब हरगिज यह नहीं कि औरत का मुलाज़ेमत या करोबार करना हराम है, बल्कि क़ुरान व हदीस चंद शरायत के साथ इसकी इजाज़त भी देता है। जो काम मर्द हज़रात के लिए जाएज़ हैं अगर क़ुरान व हदीस में औरतों को उनसे मना नहीं किया गया है तो औरतों `क लिए शरई हुदूद व क़ुयूद के साथ उन्हें अंजाम देना जाएज़ है। बाज़ औक़ात औरतों की मुलाज़ेमत करना मुआशरे की इजतिमाई ज़रूरत भी होती है, मसलन अमराज़े निसा व विलादत की डाक्टर, मुअल्लिमात जो लड़कियों के लिए बेहतरीन तालीम का नज़्म कर सकें । गरज़ ये कि औरत शरई हुदूद व क़ुयूद के साथ मुलाज़ेमत या कारोबार कर सकती है। इन शरई हुदूद के लिए चार उमूर अहम हैं।

1) परदे के अहकाम की रिआयत।
2) अजनबी मर्दों के साथ मेल जोल से दूर रहा जाए।
3) घर से काम की जगह तक आने जाने का माकूल इंतेज़ाम हो।
4) वली या सरपरस्त की इजाज़त हो।

औरतों के मुलाज़ेमत या कारोबार करने का फायदा यह है कि उसकी वजह से घर के मआशी हालात बेहतर हो जाते हैं। नीज़ समाज `क बिगड़े हुए लोग जो औरतों को मजबूर व बेबस समझ कर उन पर ज़ुल्म व ज़्यादती करते हैं और औरतें खामोश रहने पर मजबूर रहती हैं, इसके ज़रिये औरतों को कुछ आज़ादी हासिल हो जाती है। लेकिन

हमारी सोसाइटी और खुद औरतों को जो इससे नुक़्सानात हुए हैं वह उन महदूद फवायद से कहीं ज़्यादा हैं, चंद नुक़्सानात पेश खिदमत हैं
1) औरत जब खुद मुलाज़ेमत करती हैं तो वह अपनी ज़रूरियात के लिए शौहर की मुहताज नहीं होती, इस लिए शौहर की जानिब से मिज़ाज के खिलाफ बात पेश आने पर बर्दाशत करने का जज़्बा कम हो जाता है, जिसकी वजह से रिशतए निकाह में दराड़ आने लगती है और तलाक़ तक नौबत आ जाती है, चुनांचे मुलाज़ेमत करने वाली औरतों के लिए तलाक़ के वाक़्यात मुलाज़ेमत न करने वाली औरतों के मुकाबला में ज़्यादा सामने आते हैं।
2) जब औरत मुलाज़ेमत के लिए निकलती है तो बसा औक़ात शौहर औरत के बारे में शक व शुबहात में मुबतला हो जाता है यह चीज़ उसके सुकून में रूकावट बन जाती है, जिसकी वजह से निकाह का अहम मक़सद ही फौत हो जाता है।
3) बच्चे मां की ममता और सही तरबियत से महरूम हो जाते हैं।
4) औरतों की मुलाज़ेमत से औरतों के जिन्सी इस्तिहसाल के वाक़्यात कसरत से पेश आते हैं।
5) औरत की मुलाज़ेमत की वजह से घर खास कर किचन का नज़्म सही नहीं चलता है जिसकी वजह से शौहर और बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े के वाक़्यात ज़्यादा पेश आते हैं।
गरज़ ये कि मज़कूरा बाला शरायत की मौजूदगी में औरत मुलाज़ेमत कर सकती है मगर औरत की मुलाज़ेमत की वजह से जो आम तौर पर नुक़्सानात सामने आते हैं जैसा कि मैंने ज़िक्र किया है उनका सद्दे बाब करने की कोशिश करनी चाहिए।

अमानत और उसके अहकाम व मसाइल

अमानत के अहकाम व मसाइल समझने से पहले चंद तमहीदी बातें याद करना ज़रूरी हैं।

वदीआ यानी अमानत उस माल या सामान को कहते हैं जो किसीके पास बतौर अमानत रखा जाए। जिसके पास अमानत रखी जाए उसको मूदअ यानी अमानतदार या अमीन कहते हैं। माल या सामान के मालिक को मूदेअ यानी अमानत दहिन्दा या अमानत गुज़ार कहते हैं। मसलन जैद ने अब्दुल्लाह के पास एक हज़ार रूपय बतौर अमानत रखे तो जैद अमानत दहिन्दा या अमानत गुज़ार, अब्दुल्लाह अमानतदार या अमीन और एक हज़ार रूपय अमानत कहलाऐंगे।

इस्लाम ने हर अमले खैर के करने की तर्गीब और हर अमल शर से बचने की तालीम दी है। अमले खैर में से एक यह भी है किअगर कोई शख्स अपना माल या सामान किसी शख्स के पास बतौर अमानत रखना चाहे तो अमानतदार यानी अमीन को चाहिए कि अगर वह उस माल या सामान की हिफाज़त कर सकता है तो सारी इंसानियत के नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक़ उस माल या सामान को बतौर अमानत रख कर अपने भाई की मदद करे। गरज़ ये कि शरीअते इस्लिामिया ने हमें अपने पास अमानत रखने और अमानत दहिन्दा के मुतालिबा पर वापस करने की खुसूसी तालीमात दी हैं क्योंकि इसके ज़रिया आपस में मेलजोल, मोहब्बत और एक दूसरे पर भरोसा पैदा होता है जो एक मुआशरा के वज़ूद का सबब बनता है।

हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबए किराम हत्ताकि कुफ्फारे मक्का भी अपनी अमानतें रखा करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़िम्मेदारी को बहुसने खुबी अंजाम दिया करते थे, चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी को देख कर नुबूवत से पहले ही आपको अमीन के लक्ब से नवाजा गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना हिजरत करने का इरादा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोगों की जो अमानतें रखी हुई थीं हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अमानत दहिन्दों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी अता फरमाई और मदीना के लिए हिजरत फरमा गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर ही सोए ताकि सूबह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत में सारी अमानतें लोगों को वापस कर दें और किसी शख्स को यह शुबहा भी न हो कि नऊजुबिल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतें ले कर चले गऐ।

क़ुरान व हदीस में अमानत और उसके अहकाम के मुतअल्लिक़ कई मरतबा ज़िक्र आया है। चंद आयात व अहादीस पेशे खिदमत हैं।

“यक़ीनन अल्लाह तआला तुम्हें हुकुम देता है कि तुम अमानतें उनके हक़ दारों को पहुंचाओं।“ (सूरह निसा 58), ”हां अगर तुम एक दूसरे पर भरोसा करो तो जिसपर भरोसा किया गया है वह अपनी अमानत ठीक ठीक अदा कर दे।“ (सूरह बक़रह 283), ”ऐ इमान वालो! अल्लाह और रसूल से बेवफाई न करना और न जानते बुझते अपनी अमानतों में ख्यानत के मुरतकिब होना।“ (सूरह अंफाल 27), ”और

जो अपनी अमानतों और अहद का पास रखने वाले हैं यह वह लोग हैं जो जन्नतियों में इज़्ज़त के साथ रहेंगे।" (सूरह मआरिज 32)
इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अमानत के तौर पर रखी चीज को वापस करना चाहिए। (तिर्मिज़ी, अबू दाउद, इब्ने माजा)
क़ुरान व हदीस की रौशनी में उम्मते मुस्लिमा का इत्तेफाक़ है कि किसी का माल या सामान बतौर अमानत अपने पास रखना बाइसे अजर व सवाब है। अल्लाह तआला का इरशाद है "नेकी और तक़वा में एक दूसरे के साथ मदद करो।" (सूरह माइदा 2) नीज़ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तआला बन्दों की मदद करता रहता है जब तक बन्दा अपने भाई की मदद करता रहे। (सही मुस्लिम)
क़ुरान व हदीस में वज़ाहत और इजमा-ए-उम्मत के साथ इंसानी ज़िन्दगी का तकाजा भी है कि अमानत रखने और लेने की इजाज़त दी जाए। लिहाज़ा हमें चाहिए कि अगर हमारा कोई भाई या दोस्त या पड़ोसी अपना माल या सामान बतौर अमानत हमारे पास रखना चाहता है और हम उस ज़िम्मेदारी को बहुसन खुबी अंजाम दे सकते हैं तो हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे क़दम पर चलते हुए उसके माल या सामान को अपने पास बतौर अमानत रख लेना चाहिए और इंशाअल्लाह इस अमल खैर पर अल्लाह तआला की जानिब से अजर अज़ीम मिलेगा।

अमानत का हुकुम

आम तौर पर किसी का माल या सामान अपने पास बतौर अमानत रखना एक मुस्तहब अमल है जो बाइसे अजर व सवाब है। अलबत्ता बाज़ हालात में अमानत (वदीआ) रखना वाजिब हो जाता है, मसलन किसी शख्स का माल गैर महफूज़ है और आपकी अमानत में उसके माल या सामान की हिफाज़त हो सकती है और कोई दूसरा जिम्मेदार शख्स मौज़ूद नहीं है तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि उस शख्स के माल व सामान को अपने पास बतौर अमानत रख लें ताकि उस शख्स का माल या सामान महफूज़ हो सके। अमानत रखने में हक़ीक़तन अपने बड़े भाई या पड़ोसी या दोस्त की खैर खाही और भलाई मतलूब होती है। अगर आप अमानत की हिफाज़त नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए बेहतर है कि आप किसी की अमानत अपने पास न रखें।

अगर कोई सामान या रकम बतौर अमानत रख दी गई तो उसपर बहुत से अहकाम मुरत्तब होंगे, उनमें बाज़ अहम हसबे जैल हैं।

1) माल या सामान अमानतदार यानी अमीन के पास बतौर अमानत रहेगा।

2) अमानतदार यानी अमीन को जहां तक हो सके अमानत यानी वदीआ की हिफाज़त करनी चाहिए।

3) अमानत दहिन्दा यानी अमानत गुज़ार अपना माल या सामान किसी भी वक़्त वापस ले सकता है।

4) अमानतदार यानी अमीन अमानत को किसी वक़्त वापस कर सकता है।

5) अमानतदार यानी अमीन अमानत की हिफाज़त या उसकी बका के लिए जो रकम खर्च करेगा वह अमानत दहिन्दा को बर्दाशत करनी

होगी मसलन जानवर अमानत में रखा गया तो जानवर के चारा वगैरह का खर्च, नीज़ अगर मकान अमानत में रखा गया तो उसकी बिजली, पानी वगैरह के खर्च और इसी तरह अगर मकान की हिफाज़त रखा गया तो जानवर से कुछ काम करावाया गया तो उसके खर्चे अमानत दहिन्दा को बर्दाशत करने होंगे।

6) अमानतदार यानी अमीन के लिए जाएज़ है कि वह अमानत की हिफाज़त के लिए अपनी उजरत की शर्त लगाए। अगर उजरत तैय हुई तो अमानत दहिन्दा को उजरत अदा करनी होगी। हां अगर उजरत तैय नहीं हुई लेकिन अमनात की हिफाज़त के लिए अमीन को अपनी ज़मीन का काबिले ज़िक्र हिस्सा इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो जमहूर उलमा की राय है कि वह उसका किराया ले सकता है। लेकिन अमानत रखने में असल अपने भाई या पड़ोसी या दोस्त कि खैर खाही और भलाई मतलूब होती है, लिहाज़ा शुरू ही में यह मामला तैय हो जाए तो बेहतर है ताकि बाद में किसी तरह काकोई इख्तेलाफ रूनुमा न हो। उजरत लेने की सूरत में भी जमहूर उलमा की राय है कि बतौर अमानत रखा हुआ माल या सामान अगर अमीन की ख्यानत के बेगैर बरबाद हो गया या उसमें कुछ नुक़सान हो गया तो अमानतदार यानी अमीन पर किसी तरह का कोई मुवाखिज़ा नहीं होगा। अमीन को चाहिए कि वह वदीआ यानी अमानत से कोई फायदा न उठाए, हां अगर अमीन ने अमानत दहिन्दा से अमानत रखी हुई चीज से इस्तिफादा करने की इजाज़त ले ली है तो फिर कोई हर्ज नहीं है। अगर अमीन के बेजा खर्चकी वजह से वदीआ में नुक़सान हुआ है तो अमीन उसका जिम्मेदार होगा।

क़ुरान व हदीस की रौशनी में खैरूल करून से असरे हाज़िर तक पूरी उम्मते मुस्लिमा का इत्तेफाक़ है कि अमानत में रखा हुआ माल या सामान अमानतदार यानी अमीन के पास बतौर अमनात होगा, चुनांचे अगर माल या सामान अमानतदार के ज़ुल्म व जियादती या कोताही के बेगैर बरबाद हो गया या उसमें कुछ नुक़्सान आ गया तो अमानतदार यानी अमीन पर किसी तरह को कोई मुवाखिजा नहीं होगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर किसी शख्स के पास कुछ अमानत रखी गई तो वह उस पर लाज़िम नहीं हो गई यानी अगर अमीन के ज़ुल्म व जियादती या कोताही के बेगैर वह अमानत बरबाद हो गई या उसमें कुछ नुक़्सान हो गया तो अमीन (अमानतदार) पर कोई तावान नहीं होगा। (इब्ने माजा) इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर अमानत (वदीआ) बरबाद हो जाए या उसमें नुक़्सान हो जाए और अमानतदार यानी अमीन ने कोई ख्यानत भी नहीं की है तो अमीन पर उसका कोई तावान नहीं है। (इब्ने माजा, बैहक़ी, दारे कुतनी) इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अमानतदार पर अमानत के खत्म या उसमें नुक़्सान होने पर कोई तावान नहीं है। (बैहक़ी) हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से भी यही मंकूल है कि वदीआ यानी अमानत अमीन के हाथों में बतौर अमानत हुआ करती है, यानी अगर वह अमीन के ज़ुल्म व जियादती या कोताही के बेगैर बरबाद

हो जाए या उसमें कोई नुक़्सान हो जाए तो अमीन पर उसका कोई तावान नहीं होगा। अकल भी यही कहती है कि जिसके पास अमानत रखी गई है और उसने लिवजहिल्लाह अमानत अपने पास रखी है तो नुक़्सान की सूरत में अमीन क्यों जिम्मेदार बनेगा। अगर अमीन को जिम्मेदार बना दिया गया तो कोई भी अमानत रखने के लिए तैयार नहीं होगा फिर सारे लोग इस खैर खाही के अमल से महरूम हो जाऐंगे।

क़ुरान व हदीस की रौशनी में मशहूर व मारूफ चारों अईम्मा (इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हमबल) और दूसरे मुहद्दिसीन व मुफस्सेरीन व उलमाए किराम की भी यही राय है। तफसीलात के लिए कुवैती इस्लामी अमूर व औकाफ की वुजरात से शाये शुदा मोसूआ फिकहि कुवैतिया का मुतालिआ फरमाऐं जो इन्टरनेट पर भी मुहैया है। अगर अमानत देहिन्दा (अमानत गुज़ार) यह दावा करे कि अमीन के बेजा खर्च की वजह से अमानत बरबाद हुई है तो जमहूर उलमा की राय है कि अमीन से कसम ली जाएगी कि उसने अमानत में कोई जियादती या कोताही नहीं की है। और अमानत दार यानी अमीन के कसम खाने पर उसके हक़ में फैसला कर दिया जाएगा, इसलिए कि वह अमीन है, अल्लाह तआला ने वदीआ को अमानत से ताबिर किया लिहाज़ा असल में उसको जिम्मा से बरी क़रार दिया जाएगा मगर यह कि बहुत से गवाहों के उसके झुठे होने पर वाज़ेह तौर पर दलालत करें।

खालिक़े कायनात के हुकुम से रहमतुल लिल आलिमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा हुकुम सादिर फरमाया है जिसमें मुआशरा की खैर खाही है क्योंकि अमानतदार यानी अमीन खिदमते खल्क के

लिए अमानत को अपने पास रखता है। अगर अमानतदार यानी अमीन को जामिन क़रार दिया जाए तो लोग अमानत रखने से ही प्रहेज करेंगे जिसमें आम लोगों का नुक़सान है, नीज़ यह आम मसलिहतों के खिलाफ भी है।

तमाम फुक़हा का इत्तेफाक़ है कि अमानत में रखी हुई चीज के मनाफे अमानत देहिन्दा को ही मिलेंगे, मसलन जानवर अमानतमें रखा था, बच्चा की विलादत हो गइ।, इसी तरह अमानत में रखेहुए बाग के फल, नीज़ ज़मीन अमानत में रखी थी उसकी क़ीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया वगैरह वगैरह।

अमानत देहिन्दा (अमानत गुज़ार) और अमानतदार (अमीन) में चंद शर्तों का पाया जाना ज़रूरी है, जिसमें बुनियादी दो शर्तें यह हैं कि दोनों आकिल और बालिग या बाशऊर हों। अगर अमानतदार यानी अमीन का इंतिक़ाल हो गया तो उसके वुरसा पर लाज़िम है कि अमानत यानी वदीआ अमानत देहिन्दा को वापस करें। अमीन के किसी लम्बे सफर पर जाने की सूरत में अमीन को चाहिए कि वह अमानत अमानत देहिन्दा को वापस करके जाए, अगर उस वक़्त अमानत दहिन्दा न मिले तो किसी शख्स को मुकल्लफ कर दे कि वह अमानत को अमानत दहिन्दा के हवाला करे क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना हिजरत करने का इरादा फरमाया तो आपने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को उन तमाम अमानतों को उनके मालिकीन तक वापस करने की ज़िम्मेदारी दी थी। हां अगर अमानत दहिन्दा अमीन के सफर के बावज़ूद अमानत को उसकी अमानत में रखने पर राजी है तो कोई हर्ज नहीं।

अमानत दहिन्दा को चाहिए कि अमानत की वापसी पर अमानतदार यानी अमीन का शुक्रया अदा करे क्योंकि उसने अल्लाह के लिए यह खिदमत अंजाम दी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसानों का शुक्रया अदा नहीं करता वह अल्लाह का क्या शुक्र अदा करेगा। (तिर्मिज़ी) अगर अमानत दहिन्दा अमीन को कोई हदिया भी पेश करदे तो बेहतर है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर तुम्हारे साथ कोई अच्छा बरताव करे तो तुम उसको कुछ अपनी तरफ से पेश कर दो। अगर तुम्हारे पास हदिया देने के लिए कुछ भी नहीं है तो तुम उसके लिए खुब दुआऐं करो। (अबू दाउद)

दुसरी जानिब अमानतदार को उसपर कोई इहसान नहीं जताना चाहिए बल्कि उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे क़दम पर चल कर यह अमल खैर किया है लिहाज़ा अल्लाह तआला से इस अमल खैर के क़बूल होने और उसपर अजर व सवाब की दुआ करनी चाहिए।

जिस तरह अमानत में रखी चीज की हिफाज़त करना अमीन की ज़िम्मेदारी है इसी तरह यह दुनियावी फानी ज़िन्दगी, माल व औलाद हमारे पास अल्लाह तआला की अमानतें हैं, लिहाज़ा हमें हमेशा इन अज़ीम अमानतों की सही अदाएगी की फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है ''हमने यह अमानत आसमानों और ज़मीन और पहाड़ों पर पेश की तो उन्होंने उसके उठाने से इंकार किया और इससे डर गए और इंसान ने इसका बोझ उठा लिया।" (सूरह अहजाब 72) अपनी उखरवी ज़िन्दगी की तैयारी के साथ अपने बच्चों और मातिहतों के मरने के बाद की ज़िन्दगी की भी तैयारी की

फिक्र करना हमारी ज़िम्मेदारी है जिसके मुतअल्लिक़ कल क़यामत के दिन हमसे पूछा जाएगा।

अगर हम मुलाज़िमत कर रहे हैं तो काम के औक़ात हमारे लिए बतौर अमानत हैं, लोगों से जो अहद व पैमान करते हैं वह भी हमारे पास बतौर अमानत हैं, अगर किसी शख्स ने अपने राज की बातें हमें बताई हैं तो वह भी हमारे पास बतौर अमानत हैं, उनका पूरा करना हमारी शरई व इखलाकी ज़िम्मेदारी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब अमानतों में ख्यानत होने लगे तो बस क़यामत का इंतिज़ार करो। (सही बुखारी) इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुनाफिक की तीन अलामतें हैं, 1) झुठ बोलना। 2) वादा खिलाफी करना। 3) अमानत में ख्यानत करना। (बुखारी व मुस्लिम)

(नोट) अगर आपने क़र्ज़ लिया है तो वह आपको वापस करना ही होगा खाह क़र्ज़ में ली गई रकम आपके खर्च के बेगैर बरबाद हो जाए। इसी तरह अगर आपने कोई चीज इस्तेमाल करने के लिए मांगी है और वह किसी भी तरह बरबाद हो गई तो उसका तावान देना होगा।

अल्लाह तआला हम सबको अमानतों की हिफाज़त करने वाला बनाए और हमें अमानत देहिन्दा तक सही सालिम अमानत लौटाने वाला बनाए, आमीन।

क़र्ज़ लेने और देने के मसाइल

अगर कोई शख्स किसी खास ज़रूरत की वजह से क़र्ज़ मांगता है तो क़र्ज़ दे कर उसकी मदद करना बाईसे अजर व सवाब है जैसा कि कुरान व हदीस की रौशनी में उलमाए किराम लिखा है कि ज़रूरतके वक़्त क़र्ज़ मांगना जाएय है और अगर कोई शख्स क़र्ज़ का तालिब हो तो उसको क़र्ज़ देना मुस्तहब है, क्योंकि शरीअते इस्लामिया ने क़र्ज़ दे कर किसी की मदद करने में दुनिया व आखिरत के बेहतरीन बदला की तर्गीब दी है लेकिन क़र्ज़ देने वाले के लिए ज़रूरीहै कि वह अपने दुनियावी फायदा के लिए कोई शर्त न लगाए।

क़र्ज़ लेते और देते वक़्त उन अहकाम की पाबन्दी करनी चाहिएजो अल्लाह तआला ने सूरह बक़रह आयत 282 में बयान किए हैं, यह आयत कुरान करीम की सबसे लम्बी आयत है। इस आयत में क़र्ज़ के अहकाम ज़िक्र किए गए हैं, इन अहकाम का बुनियादी मक़सद यह है कि बाद में किसी तरह का कोई इख्तेलाफ पैदा न हो। इन अहकाम में से तीन अहम हुकुम हसबे जैल हैं।

1) अगर किसी शख्स को क़र्ज़ दिया जाए तो उसको तहरीरी शकल में लाया जाए खाह क़र्ज़ की मिकदार कम ही क्यों न हो।

2) क़र्ज़ की अदाएगी की तारीख भी मुतअय्यन कर ली जाए।

3) दो गवाह भी तैय कर लिए जाएं।

क़र्ज़ लेने वाले के लिए ज़रूरी है कि वह हर मुमकिन कोशिश करके वक़्त पर क़र्ज़ की अदाएगी करे। अगर मुतअय्यन वक़्त पर क़र्ज़ की अदाएगी मुमकिन नहीं है तो उसके लिए ज़रूरी है कि अल्लाह तआला का खौफ रखते हुए क़र्ज़ देने वाले से क़र्ज़ की अदाएगी की

तारीख से मुनासिब वक़्त पहले मजीद मुहलत मांगे। मुहलत देने पर क़र्ज़ देने पर क़र्ज़ देने वाले को अल्लाह तआला अजर अज़ीम अता फरमाएगा। लेकिन जो हज़रात क़र्ज़ की अदाएगी पर कुदरत रखने के बावज़ूद क़र्ज़ की अदाएगी में कोताही करते हैं उनके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में सख्त वईदें आई हैं हत्ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स की नमाज़े जनाजा पढ़ाने से मना फरमा देते थे जिस पर क़र्ज़ हो यहांतक कि उसके क़र्ज़ को अदा कर दिया जाए। इन अहादीस में से बाज़ अहादीस नीचे लिखे हैं।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुसलमान की जान अपने क़र्ज़ की वजह से मुअल्लक रहती है (यानी जन्नत के दुखूल से रोक दी जाती है) यहां तक कि उसके क़र्ज़ की अदाएगीकर दी जाए। (तिर्मिज़ी, मुसनद अहमद, इब्ने माजा)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज फजर की नमाज़ पढ़ाने के बाद इरशाद फरमाया तुम्हारा एक साथी क़र्ज़ की अदाएगी न करने की वजह से जन्नत के दरवाजा पर रोक दिया गया है। अगर तुम चाहों तो उसको अल्लाह तआला के अज़ाब की तरफ जाने से रोक दो और चाहो तो उसे (उसके क़र्ज़ की अदाएगी करके)अज़ाब से बचालो। (रवाहु हाकिम, अत्तरगीब वत्तरहीब)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह तआला शहीद के तमाम गुनाह माफ कर देता है मगर किसी का क़र्ज़ माफ नहीं करता। (मुस्लिम)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स किसी से इस नियत से क़र्ज़ ले कि वह उसको अदा करेगा तो

अल्लाह तआला उसके क़र्ज़ की अदाएगी के लिए आसानी पैदा करता है और अगर क़र्ज़ लेते वक़्त उसका इरादा हड़प करने का है तो अल्लाह तआला इसी तरह के असबाब पैदा करता है जिससे वह माल ही बरबाद हो जाता है। (बुखारी)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स का इंतिक़ाल हुआ ऐसे वक़्त में कि वह मकरूज है तो उसकी नेकियों से क़र्ज़ की अदाएगी की जाएगी (लेकिन अगर कोई शख्स उसके इंतिक़ाल के बाद उसके क़र्ज़ की अदाएगी कर दे तो फिरकोई मुआखिजा नहीं होगा)। (इब्ने माजा)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर कोई शख्स इस नियत से क़र्ज़ लेता है कि वह उसको बाद में अदा नहीं करेगा तो चोर की हैसियत से अल्लाह तआला के सामने पेश किया जाएगा। (इब्ने माजा)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़र्ज़ की अदाएगी पर कुदरत के बावज़ूद वक़्त पर क़र्ज़ की अदाएगी में टाल मटोल करना जुल्म है। (बुखारी व मुस्लिम) क़र्ज़ की अदाएगी पर कुदरत के बावज़ूद क़र्ज़ की अदाएगी न करने वाला जालिम व फासिक है। (अन नवी, फतहुल बारी)

हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि एक शख्स का इंतिक़ाल हुआ, हमने गुस्ल व कफन से फरागत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज़े जनाजा पढ़ाने को कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या इसपर कोई क़र्ज़ है? हमने कहा इस पर 2 दीनार का क़र्ज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फिर तुम ही इसकी नमाज़े जनाजा

पढ़ो। हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के रसूल! इसका क़र्ज़ मैंने अपने ऊपर ले लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वह क़र्ज़ तुम्हारे ऊपर हो गया और मय्यत बरी हो गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की नमाज़े जनाजा पढ़ाई। (रवाहु अहमद, अत्तरगीब वत्तरहीब)

क़र्ज़ की अदाएगी पर कुदरत हासिल करने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात

एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए तो हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि नमाज़ के वक़्त के अलावा मस्जिद में मौज़ूद होने की क्या वजह है? हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि गम और क़र्ज़ ने घेर रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैंने तुम्हें एक दुआ नहीं सिखाई कि जिसकी बरकत से अल्लाह तआलाह तेरे गमों करेगा और तुम्हारे क़र्ज़ की अदाएगी के इंतिज़ाम फरमाएगा? हज़रत अूब उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा क्यों नहीं ऐ अल्लाह के रसूल! आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ अबू उमामा उस दुआ को सूबह व शाम पढ़ा करो। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इस दुआ का एहतेमाम किया तो अल्लाह तआला ने मेरे सारे गम दूर कर दिए और तमाम क़र्ज़ अदा हो गए। (अबू दाउद)

क़ुरान व हदीस में मोहताज लोगों की ज़रूरत पूरी करने की तर्गीब

“भलाई के काम करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ।“ (सूरह हज 77)
“अच्छे कामों में एक दूसरे की मदद करो” (सूरह माईदा 2)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स ने किसी मुसलमान की कोई भी दुनियावी परेशानी दूर की अल्लाह तआला क़यामत के दिन उसकी परेशानियों को दूर फरमाएगा। जिसने किसी परेशान हाल आदमी के लिए आसानी का सामान फराहम किया अल्लाह तआला उसके लिए दुनिया व आखिरत में सुहूलत का फैसला फरमाएगा। अल्लाह तआला उस वक़्त तक बन्दा की मदद करता है जब तक अपने भाई की मदद करता रहे। (मुस्लिम)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान को दो मरतबा क़र्ज़ देता है तो एक बार सदका होता है। (नसई, इब्ने माजा)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शबे मिराज में मैंने जन्नत के दरवाजा पर सदका का बदला 10 गुना और क़र्ज़ देने का बदला 18 गुना लिखा हुआ देखा। मैंने कहा ऐ जिबरइल! क़र्ज़ सदका से बढ़ कर क्यों? जिबरइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि साइल मांगता जबकि उसके पास कुछ माल मौज़ूद हो और क़र्ज़दार ज़रूरत के वक़्त ही सवाल करता है। (इब्ने माजा)

हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं किसी मुसलमान को 2 दीनार क़र्ज़ दूं यह मेरे नज़दीक सदका करने से

ज़्यादा बेहतर है। (क्योंकि क़र्ज़ की रकम वापस आने के बाद उसे दोबारा सदका किया जा सकता है या उसे बतौर क़र्ज़ किसी कोदिया जा सकता है, नीज़ इसमें वाकई मोहताज की ज़रूरत पूरी होती है)। (सुनन कुबरा बैहक़ी)

क़र्ज़ लेने वाला अपनी खुशी से क़र्ज़ की वापसी के वक़्त असल रकम से कुछ ज़ायद रकम देना चाहे तो यह जाएज़ ही नहीं बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से साबित है, लेकिन पहले से ज़ायद रकम की वापसी का कोई मुतालिबा तैय न हुआ हो।

(नोट) हमें बैंक से क़र्ज़ लेने से बचना चाहिए क्योंकि इसकी अदाएगी सूद के साथ ही होती है। और सूद लेना या देना हराम है।

क़र्ज़ की अदाएगी में टाल मटोल करना जुल्म है

अगर कोई शख्स किसी खास ज़रूरत की वजह से क़र्ज़ मांगता है तो क़र्ज़ दे कर उसकी मदद करना बाइसे अजर व सवाब है जैसा कि कुरान व हदीस की रौशनी में उलमाए किराम ने लिखा है कि ज़रूरत के वक़्त क़र्ज़ मांगना जाएज़ है और अगर कोई शख्स क़र्ज़ का तालिब हो तो उसको क़र्ज़ देना मुस्तहब है क्योंकि शरीअते इस्लामिया ने क़र्ज़ दे कर किसी की मदद करने में दुनिया व आखिरत के बेहतरीन बदला की तर्गीब दी है, लेकिन क़र्ज़ देनेवाले के लिए ज़रूरी है कि वह क़र्ज़ की मिकदार से ज़्यादा लेने कीकोई शर्त न लगाए। क़र्ज़ लेते और देते वक़्त उन अहकाम की पाबन्दी करनी चाहिए जो अल्लाह तआला ने सूरह बक़रह 282 में बयान किए हैं, उन अहकाम का बुनियादी मक़सद यह है कि बाद में किसी तरह का कोई इख्तेलाफ पैदा न हो। उन अहकाम में से तीन अहम अहकाम इस तरह हैं।

1) अगर किसी शख्स को क़र्ज़ दिया जाए तो उसको तहरीरी शकल में लाया जाए, खाह क़र्ज़ की मिकदार कम ही क्यों न हो।

2) क़र्ज़ की अदाएगी की तारीख भी मुतअय्यन कर ली जाए।

3) दो गवाह भी तैय कर लिए जाऐं।

क़र्ज़ लेने वाले के लिए ज़रूरी है कि वह हर मुमकिन कोशिश करके वक़्त पर क़र्ज़ अदाएगी करे। अगर मुतअय्यन वक़्त पर क़र्ज़ की अदाएगी मुमकिन नहीं है तो उसके लिए ज़रूरी है कि अल्लाह तआला का खौफ रखते हुए क़र्ज़ देने वाले से क़र्ज़ की अदाएगी की तारीख से मुनासिब वक़्त पहले मजीद मुहलत मांगे। मुहलत देने पर

क़र्ज़ देने वाले को अल्लाह तआला अजर अज़ीम अता फरमाएगा। लेकिन जो हज़रात क़र्ज़ की अदाएगी पर कुदरत रखने के बावज़ूद क़र्ज़ की अदाएगी में कोताही करते हैं उनके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में सख्त वईदें वारिद हुई हैं, हत्ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स की नमाज़े जनाजा पढ़ाने से मना फरमा देते थे जिसपर क़र्ज़ हो यहां तक कि उसके क़र्ज़ को अदा कर दिया जाए।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुलसमानों की जान अपने क़र्ज़ की वजह से मुअल्लक रहती है (यानी जन्नत के दखूल से रोक दी जाती है) यहां तक कि उसके क़र्ज़ की अदाएगी कर दी जाए। (तिर्मिज़ी, मुसनद अहमद, इब्ने माजा)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज फजर की नमाज़ पढ़ाने के बाद इरशाद फरमाया तुम्हारा एक साथी क़र्ज़ की अदाएगी न करने की वजह से जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया गया है। अगर तुम चाहो तो उसको अल्लाह तआला के अज़ाब की तरफ जाने दो, और चाहो तो उसे (उसके क़र्ज़ की अदाएगी करके) अज़ाब से बचालो। (अत्तरगीब वत्तरहीब)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह तआला शहीद के तमाम गुनाहों को माफ कर देता है मगर किसी का क़र्ज़ माफ नहीं करता। (मुस्लिम)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स किसी से इस नियत से क़र्ज़ ले कि वह उसको अदा करेगा तो अल्लाह तआला उसके क़र्ज़ की अदाएगी के लिए आसानी पैदा करता

है और अगर क़र्ज़ लेते वक़्त उसका इरादा हड़प करने का है तो अल्लाह तआला इसी तरह असबाब पैदा करता है जिससे वह माल ही बरबाद हो जाता है। (बुखारी)
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़र्ज़ की अदाएगी पर कुदरत के बावज़ूद वक़्त पर क़र्ज़ की अदाएगी में टाल मटोल करना जुल्म है। (बुखारी व मुस्लिम)
हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स का इंतिक़ाल हुआ, हमने गुस्ल व कफन से फरागत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज़ पढ़ाने को कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या इसपर कोई क़र्ज़ है? हमने कहा कि इसपर दो दीनार का क़र्ज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फिर तुम ही इसकी नमाज़े जनाजा पढ़ो। हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ऐ अल्लाहु के रसूल! इसका क़र्ज़ मैंने अपने ऊपर लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद ने फरमाया वह क़र्ज़ तुम्हारे ऊपर हो गया और मय्यत बरी हो गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की नमाज़े जनाजा पढ़ाई (रवाहु अहमद)

क़र्ज़ की अदाएगी की आसानी के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ

एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए तो हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू उमामा

रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि नमाज़ के वक़्त के अलावा मस्जिद में मौज़ूद होने की क्या वजह है? हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि गम और क़र्ज़ ने घेर रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैंने तुम्हें एक दुआ नहीं सिखाई कि जिसकी बरकत से अल्लाह तआलाह तेरे गमों करेगा और तुम्हारे क़र्ज़ की अदाएगी के इंतिज़ाम फरमाएगा? हज़रत अूब उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा क्यों नहीं ऐ अल्लाह के रसूल! आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ अबू उमामा उस दुआ को सूबह व शाम पढ़ा करो। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इस दुआ का एहतेमाम किया तो अल्लाह तआला ने मेरे सारे गम दूर कर दिए और तमाम क़र्ज़ अदा हो गए। (अबू दाउद)

(नोट) क़र्ज़ लेने वाला अपनी खुशी से क़र्ज़ की वापसी के वक़्त असल रकम से कुछ ज़ायद रकम देना चाहिए तो यह जाएज़ ही नहीं बल्कि ऐसा करना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से साबित है लेकिन पहले से ज़ायद रकम की वापसी का कोई मामला तैय न हुआ हो। हमें बैंक से क़र्ज़ लेने से बचना चाहिए क्योंकि इसकी अदाएगी सूद के साथ ही होती है और सूद लेना या देना हराम है।

वक़्त पर क़र्ज़ की अदाएगी के एहतेमाम से मुताअल्लिक़ बुखारी शरीफ में मज़कूर एक वाक़या

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक शख्स का तजकिरा फरमाया जिसने बनी इसराइल के एक दूसरे

शख्स से एक हज़ार दीना क़र्ज़ मांगा। क़र्ज़ देने वाले ने कहकि पहले ऐसे गवाह लाओ जिनकी गवाही पर मुझे एतेबार हो। क़र्ज़ मांगने वाले ने कहा कि गवाह की हैसियत से तो बस अल्लाह तआला काफी है। फिर उस शख्स ने कहा कि अच्छा कोई जामिन (गारंटी देने वाला) ले आओ। क़र्ज़ मांगने वाले ने कहा किजामिन की हैसियत भी बस अल्लाह तआला ही काफी है। क़र्ज़ देने वालने कहा कि तुमने सच्ची बात कही और वह अल्लाह तआला की गवाही और जमानत पर तैयार हो गया, चुनांचे एक मुतअय्यन मुद्दत के लिए उन्हें क़र्ज़ दे दिया। यह साहब क़र्ज़ ले कर दरयाई सफरप रवाना हुए और फिर अपनी ज़रूरत पूरी करके किसी सवारी (कशती वगैरह) की तलाश की ताकि उससे दरया पार करके उस मुतअय्यन मुद्दत तक क़र्ज़ देने वाले के पास पहुंच सकें जो उनसे तैय ुई थी, और उनका क़र्ज़ अदा कर दें लेकिन कोई सवारी नहीं मिली (जब कोई चारा नहीं रहा तो) उन्होंने एक लकड़ी ली और उसमें सूराख बनाया फिर एक हज़ार दीनार और एक खत (इस मज़मून का कि) उनकी तरफ से क़र्ज़ देने वाली की तरफ (यह दीनार भेजे जा रहे हैं) रख दिया और इसका मुंह बन्द कर दिया और उसे दरया पर ले कर आए फिर कहा ऐ अल्लाह! तु खुब जानता है कि मैंने फ्लां शख्स से एक हज़ार दीनार क़र्ज़ लिए थे उसने मुझसे जामिन मांगा तो मैंने कहा था कि जामिन की हैसियत से अल्लाह तआला काफी है, वह तुझपर राजी था उसने मुझसे गवाह मांगा तो इसका जवाब भी मैंने यही दिया कि अल्लाह तआला गवाह की हैसियत से काफी है तो वह तुझपर राजी हो गया था और (तु जानता है कि) मैंने बहुत कोशिश की कि कोई सवारी मिल जाए जिसके ज़रिया मैं उसका क़र्ज़

मुअय्यन मुद्दत पर पहुंचा सकूं लेकिन मुझे इसमें कामयाबी नहीं मिली। इसलिए अब मैं इसको तेरे ही हवाले करता हूं (कि तु उस तक पहुंचा दे) चुनांचे उसने वह संदूक की शकल में लकड़ी जिसमें रकम थी दरया में बहादी इस यक़ीन के साथ कि अल्लाह तआला इस अमानत को बरबाद नहीं करेगा। अब वह दरया में थी और वह शख्स वापस हो चुका था। अगरचे फिक्र अब भी यही थी कि किसी तरह कोई जहाज मिले जिसके ज़रिया वह अपने शहर जा सके। दूसरी तरफ वह साहब जिन्होंने क़र्ज़ दिया था इसी तलाश में (बन्दरगाह) आए कि मुमकिन है कोई जहाज उनका माल ले कर आया हो लेकिन वहां उन्हें एक लकड़ी मिली वही जिसमें माल था जो क़र्ज़ लेने वाले ने उनके नाम भेजा था, उन्होंने वह लकड़ी अपने घर के इंधन के लिए ले ली फिर जब उसे चीरा तो उसमें से दीनार निकले और एक खत भी। (कुछ दिनों बाद) वह साहब जब अपने वतन पहुंचे तो क़र्ज़ खाह के यहां आए और (दोबारा) एक हज़ार दीनार उनकी खिदमत में पेश कर दिए। और कहा कि बखुदा मैं तो बराबर इसी कोशिश में रहा कि कोई जहाज मिले तो तुम्हारे पास तुम्हारा माल लेकर पहुंचूं, लेकिन मुझे अपनी कोशिश में कोई कामयाबी नहीं मिली। फिर क़र्ज़ खाह ने पूछा अच्छा बताओ कोई चीज भी मेरे नाम आपने भेजी थी? मकरूज ने जवाब दिया बता तो रहा हूं कि कोई जहाज मुझे इस जहाज से पहले नहीं मिला जिससे मैं आज पहुंचा हुं। उसपर क़र्ज़ खाह ने कहा कि फिर अल्लाह तआला ने भी आपका वह क़र्ज़ अदा कर दिया जिसे आपने लकड़ी में भेजा था, चुनांचे वह साहब अपना हज़ार दीनार लेकर खुशी खुशी वापस हो गए।

"सूद" यानी इसानों को हलाक करने वाला गुनाह

माल अल्लाह तआला की नेमतों में से एक बड़ी नेमत है, जिसके ज़रिये इंसान अल्लाह तआला से अपनी दुनियावी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करता है लेकिन शरीअते इस्लामिया ने हर शख्स को मुकल्लफ बनाया है कि वह सिर्फ जाएज़ व हलाल तरीका से ही माल कमाए क्योंकि कल क़यामत के दिन हर शख्स को माल के मुतअल्लिक अल्लाह तआला को जवाब देना होगा कि कहाँ से कमाया यानी वसाइल (तरीका) किया थे और कहाँ खर्च किया यानी मालसे मुतअल्लिक हुक़ूकुल इबाद या हुक़ूकुल्लाह में कोई कोताही तो नहीं की।

माल के नेमत और ज़रूरत होने के बावजूद खालिके कायनात और तमाम नबियों के सरदार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल को बहुत मरतबा फितना, धोके का सामान और महज़ दुनियावी ज़ीनत की चीज़ क़रार दिया है, जैसा कि अल्लाह तआला का इरशाद है "**खूब जान लो कि दुनियावी ज़िन्दगी सिर्फ खेल, तमाशा, आरज़ी ज़ीनत और आपस में फख्र व गुरूर और माल व अवलाद में एक दूसरे से बढ़ जाने की कोशिश करना है**" (सूरह अल हदीद 21)। इसी तरह रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया "**हर उम्मत के लिए एक फितना रहा है और मेरी उम्मत का फितना माल है**" (तिर्मीज़ी)। नीज़ रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया "**अल्लाह की कसम! मुझे तुम्हारे लिए गरीबी का खौफ नही बल्कि मुझे खौफ है कि पहली कौमों की तरह कही तुम्हारे लिए दुनिया यानी माल व दौलत खोल दी जाए और तुम उसके पीछे**

पड़ जाओ फिर वह माल व दौलत पहले लोगों की तरह तुम्हें हलाक करदे। (बुखारी व मुस्लिम)
इस का यह मतलब नहीं कि हम माल व दौलत के हुसूल के लिए कोई कोशिश ही न करें क्योंकि तलबे हलाल रिज़्क़ और बच्चों की हलाल रिज़्क़ से तरबीयत करना खुद दीन है हत्ताकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया **“अगर कोई शख्स अपने घर वालों पर खर्च करता है तो वह भी सदका है यानी उसपर भी सवाब मिलेगा**“। (बुखारी व मुस्लिम) बल्कि मकसद यह है कि अल्लाह के खौफ के साथ दुनियावी फानी ज़िन्दगी गुजारें और उखरवी (आखिरत की ज़िन्दगी) ज़िन्दगी की कामयाबी को हर हाल में तर्जीह दें। कहीं कोई मामला सामने हो तो उखरवी ज़िन्दगी को दांव पर लगाने के बजाए फानी दुनियावी ज़िन्दगी के आरज़ी मक़ासिद को नज़र अंदाज़ कर दें, नीज़ शक व शुबहा वाले कामों से दूर रहें।
इन दिनों हुसूले माल के लिए ऐसी दौड़ शुरू हो गई है कि अक्सर लोग इसका भी इहतिमाम नहीं करते कि माल हलाल वसाइल (तरीका) से आ रहा है या हराम वसाइल (तरीका) से, बल्कि कुछ लोगों ने तो अब हराम वसाइल (तरीका) को मुख्तलिफ नाम दे कर अपने लिए जाएज़ समझना और दूसरों को इसकी तरग़ीब देना शुरू कर दिया है, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हलाल वाज़ेह है, हराम वाज़ेह है और उन के दरमयान कुछ मुशतबा चीजें हैं जिनको बहुत सारे लोग नहीं जानते । जिस शख्स ने शुबहा वाली चीजों से अपने आप को बचा लिया उसने अपने दीन और इज़्ज़त की हिफाजत की और जो शख्स मुशतबा

चीजों में पड़ेगा वह हराम चीजों में पड़ जाएगा उस चरवाहे की तरह जो दूसरे की चरागाह के करीब बकरियां चराता है क्योंकि बहुत मुमकिन है कि चरवाहे की थोड़ी सी गफलत की वजह से वह बकरियां दूसरे की चरागाह से कुछ खा लें। (बुखारी व मुस्लिम)
इस लिए हर मुसलमान को चाहिए कि सिर्फ हलाल वसाइल (तरीका) पर ही इकतिफा करे जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया "**हराम माल से जिस्म की बढ़ोतरी न करो क्योंकि इससे बेहतर आग है**।" (तिर्मीज़ी) इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया "**वह इसान जन्नत में दाखिल नही होगा जिसकी परवरिश हराम माल से हुई हो, ऐसे शख्स का ठिकाना जहन्नम है**।" (मुसनद अहमद) नीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हराम खाने, पीने और पहनने वालों की दुआऐं कहां से कबूल हों। (सही मुस्लिम)
हमारे मुआशरे में जो बड़े बड़े गुनाह आम होते जा रहे हैं उनमें से एक बड़ा खतरनाक और इंसान को हलाक करने वाला गुनाह सूद है।

सूद क्या है?

वज़न की जाने वाली या किसी पैमाने से नापे जाने वाली एक जिन्स की चीजें और रूपया वगैरह में दो आदमियों का इस तरह मामला करना कि एक को इवज़ कुछ ज़ायद देना पड़ता हो "**रिबा**" और "**सूद**" कहलाता है जिसको अंग्रेजी में Interest या Usury कहतेहैं।
जिस वक़्त क़ुरान करीम ने सूद को हराम क़रार दिया उस वक़्त अरबों में सूद का लेन देन मुतआरफ और मशहूर था और उस वक़्त सूद उसे कहा जाता था कि किसी शख्स को ज़्यादा रक़म के

मुतालबा के साथ क़र्ज़ दिया जाए खाह लेने वाला अपने जाती खर्च के लिए क़र्ज़ ले रहा हो या फिर तिजारत की गर्ज से, नीज़ ख्व Simple Interest हो या Compound Interest यानी सिर्फ एक मरतबा का सूद हो या सूद पर सूद। तफसीलात के लिए मुफस्सिरे क़ुरान मौलाना मुफती मोहम्मद शफी साहब की किताब "**मसइले सूद**" का मुतालआ करें जो मेरी वेबसाइट (www.najeebqasmi.com) पर Free download करने के लिए मुहैया है। मसलन जैद ने बकर को एक माह के लिए 100 रूपय बतौर क़र्ज़ इस शर्त पर दिए कि वह 110 रूपय वापस करे तो यह सूद है। अलबत्ता क़र्ज़ लेने वाला अपनी खुशी से क़र्ज़ की वापसी के वक़्त असल रक़म से कुछ ज़ायद देना चाहे तो यह जाएज़ ही नहीं बल्कि ऐसा करना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से साबित है लेकिन पहले से ज़ायद रक़म की वापसी का कोई मामला तैय न हुआ हो। बैंक में जमाशुदा रक़म पहले से मुतअय्यन शरह पर बैंक जो इज़ाफी रक़म देता है वह भी सूद है।

सूद की हुरमत

सूद की हुरमत क़ुरान व हदीस से वाज़ेह तौर पर साबित है, अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया "**अल्लाह तआला ने खरीद व खरोख्त को हलाल और सूद को हराम क क़रार दिया है**" (सूरह बक़रा 275)। इसी तरह अल्लाह तआला का फरमान "**अल्लाह तआला सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है**" (सूरह बक़रा 276) जब सूद की हुरमत का हुकुम नाज़िल हुआ तो लोगों का दूसरों पर जो कुछ भी सूद का बक़ाया था उसको लेने से मना फरमा दिया गया, "**यानी**

सूद का बक़ाया भी छोड़ दो अगर तुम ईमान वाले हो" (सूरह बक़रा 278)। इसी तरह अल्लाह तआला का फरमान है "**ऐ ईमान वाले! कई गुना बढ़ा चढ़ा कर सूद मत खाओ**" (सूरह आले इमरान 130)।

सूद लेने और देने वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल का एलाने जग

सूद को क़ुरान करीम में इतना बड़ा गुनाह करार दिया है कि शराब नोशी, खिनज़ीर खाने और ज़िना कारी के लिए क़ुरान करीम में वह लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए गए जो सूद के लिए अल्लाह तआला ने इस्तेमाल किए हैं। चुनांचे अल्लाह तआला का इरशाद है "**ऐ ईमान वाले! अल्लाह से डरो और जो सूद बाक़ी रह गया है वह छोड़ दो अगर तुम सचमुच ईमान वाले हो। अगर ऐसा नही करते तो तुम अल्लाह तआला और उसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ**"। (सूरह बक़रा 278-279) सूद खाने वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से एलाने जंग है और यह सख्त वईदें है जो किसी और बड़े गुनाह मसलन ज़िना करना, शराब पीने के इरतिकाब पर नहीं दी गई। मशहूर सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) ने फरमाया कि जो शख्स सूद छोड़ने पर तैयार न हो तो खलीफा की ज़िम्मेदारी है कि वह इससे तौबा कराए और बाज़ न आने की सूरत में उसकी गरदन उड़ा दे। (तफसीर इबने कसीर)

सूद खाने वालों के लिए क़यामत के दिन रूसवाई व ज़िल्लत

अल्लाह तआला ने सूद खाने वालों के लिए कल क़यामत के दिन जो

रूसवाई व ज़िल्लत रखी है उसको अल्लाह तआला ने अपने पाक कलाम में कुछ इस तरह फरमाया "**जो लोग सूद खाते हैं वह (क़यामत में) उठेंगे तो उस शख्स की तरह उठें गे जिसे शैतान ने छूकर पागल बना दिया हो**"। (सूरह बक़रा 275) अल्लाह तआला हमें सूद की तमाम शकलों से महफूज फरमाए और उसके अंजामे बद से हमारी हिफाजत फरमाए। सूद की बाज़ शकलों को जाएज़ करार देने वालों के लिए फरमान इलाही है "**यह ज़िल्लत आमेज़ अजाब इस लिए होगा कि उन्होंने कहा था कि खरीद व फरोख्त सूद की तरह होती है हालाकि अल्लाह तआला ने खरीद व फरोख्त को हलाल किया हैऔर सूद को हराम**" (सूरह बक़रा 275)

सूद खाने से तौबा न करने वाले लोग जहन्नम में जाएगे

अल्लाह तआला का फरमान "**लिहाज़ा जिस शख्स के पास उसके परवरदिगार की तरफ से नसीहत आ गई और वह (सूदी मामलात से) बाज़ आ गया तो माज़ी में जो कुछ हुआ वह उसी का है और उसकी पोशीदा कैफियात का मामला अल्लाह तआला के हवाला है और जिस शख्स ने लौट कर वही काम किया तो ऐसे लोग दोज़खी हैं वह हमेशा उसमें रहेंगे**। (सूरह बक़रा 275)

गरज़ ये कि सूरह बक़रा की इन आयात में अल्लाह तआला ने इंसान को हलाक करने वाले गुनाह से सख्त अल्फाज़ के साथ बचने की तालीम दी है और फरमाया कि सूद लेने और देने वाले अगर तौबा नहीं करते हैं तो वह अल्लाह और उसके रसूल से लड़ने के तैयार हो जाएं, नीज़ फरमाया कि सूद लेने और देने वालों को कल क़यामत के दिन ज़लील व रूसवा किया जाएगा और वह जहन्नम में डाले जाऐंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सूद से बचने

की बहुत ताकीद फरमाई है और सूद लेने और देने वालों के लिए सख्त वईदें सुनाई हैं जिनमें से बाज़ अहादीस जिक्र कर रहा हूँ।

सूद के मुतअल्लिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौका पर सूद की हुरमत का एलान फरमाते हुए इरशाद फरमाया (आज के दिन) जाहिलियत का सूद छोड़ दिया गया और सबसे पहला सूद जो मैं छोड़ता हूँ वह हमारे चचा हज़रत अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) का सूद है। वह सब खत्म कर दिया गया। चूंकि हज़रत अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) सूद की हुरमत से पहले लोगों को सूद पर क़र्ज़ दिया करते थे, इसलिए आप ने फरमाया आज के दिन उनका सूद जो दूसरे लोगों के ज़िम्मा है वह खत्म करता हूँ। (सही मुस्लिम, बाब हज्जतुन नबी)

हज़रत अबु हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया "**सात हलाक करने वाले गुनाहों से बचो। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ! वह सात बड़े गुनाह कौन-से हैं (जो इसानों को हलाक करने वाले हैं)? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शिर्क करना, जादू करना, किसी शख्स को नाहक हलाक करना, सूद खाना, यतीम के माल को हड़पना (कुफ्फार के साथ जग की सूरत में) मैदाने जिहाद से भागना, पाक दामन औरत पर तोहमत लगाना।**

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं अल्लाह

के रसूल ने सूद खाने और सूद खिलाने वाले पर लानत फरमाई है (मुस्लिम, तिर्मीज़ी, अबु दाउद, नसई) दूसरी रिवायत के अल्फाज़ हैं कि अल्लाह के रसूल ने सूद लेने और देने वाले, सूदी हिसाब लिखने वाले और सूदी शहादत देने वाले सब पर लानत फरमाई है। सूद लेने और देने वाले पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत के अल्फाज़ हदीस की हर मशहूर व मारूफ किताब में मौजूद हैं। अल्लाह तआला हम सब को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहम्मबत करने वाला बनाए और उनके इरशादात की रोशनी में इस दुनियावी फानी ज़िन्दगी को गुज़ारने वाला बनाए आमीन।

हज़रत अबु हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायात है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया चार शख्स ऐसे हैं कि अल्लाह तआला ने अपने लिए लाज़िम कर लिया है कि उनको जन्नत में दाखिल नहीं करेंगे और न उनको जन्नत की नेमतों का मज़ा चखाएंगे। पहला शराब का आदी, दूसरा सूद खाने वाला, तीसरा नाहक यतीम का माल उड़ाने वाला, चैथा माँ बाप की नाफरमानी करने वाला। (किताबुल कबाएर लिज़्ज़हबी)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सूद के सत्तर से ज़्यादा दर्जे हैं और अदना दर्जा ऐसा है जैसे अपनी माँ से ज़िना करे। (रवाहु हाकिम, अलबैहकी, तबरानी, मालिक)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक दिरहम सूद का खाना छत्तीस मरतबा ज़िना करने से ज़्यादा है। (रवाहु अहमद वत्तबरानी फिल कबीर)

बैंक से क़र्ज़ (Loan) भी ऐनै सूद है

तमाम मकातिबे फिक्र 99.99% उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि असरे हाजिर में बैंक से क़र्ज़ लेने का राएज तरीका और जमाशुदा रक़म पर इंटेरेस्ट की रक़म हासिल करना यह सब वही सूद है जिसको कुरान करीम में सूरह अलबक़रा आयात में मना किया गया है, जिसके तर्क न करने वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल का एलाने जंग है और तौबा न करने वालों के लिए क़यामत के दिन रूसवाई व ज़िल्लत है आर जहन्नम उनका ठिकाना है। असरे हाजिर की पूरी दुनिया के उलमा पर मुशतमिल अहम तंजीम मजमउल फिकहि इस्लामी की इस मौज़ू पर बहुत बार मीटिंग हो चुकी हैं मगर हर मीटिंग में उसके हराम होने का ही फैसला हुआ है। बर्रे सगीर के जमहूर उलमा भी इसके हराम होने पर मुत्तफिक़ हैं। फिकह एकेडमी न्यू दिल्ली की मुतअद्दद कांफ्रें स में उसके हराम होने का ही फैसला हुआ है। मिस्री उलमा जो आम तौर पर आज़ाद ख्याल समझे जाते हैं वह भी बैंक से मौजूदा राएज निज़ाम के तहत क़र्ज़ लेने और जमाशुदा रक़म पर इंटेरेस्ट की रक़म के अदमे जवाज़ पर मुत्तफिक़ हैं। पूरी दुनिया में किसी मकातिबे फिक्र के दारूल इफता ने बैंक से क़र्ज़ लेने के राएज तरीका और जमाशुदा रक़म पर इंटेरेस्ट की रक़म को निजी इस्तेमाल में लेने के जवाज़ का फैसला नहीं किया है।

असरे हाजिर में हम क्या करें?

1) अल्लाह तआला से डरते हुए हमेशा उखरवी ज़िन्दगी की कामयाबी को ज़िन्दगी का अहम मक़सद बना कर आरज़ी फानी दुनियावी ज़िन्दगी गुजारें।

2) अगर कोई शख्स बैंक से क़र्ज़ लेने या जमाशुदा रक़म पर सूद के जाएज़ होने को कहे तो पूरी दुनिया के 99.99% उलमा के मौक़िफ को सामने रख कर उससे बचें।

3) इस बात को अच्छी तरह ज़ेहन में रखें कि उलमा-ए-किराम ने क़ुरान व हदीस की रोशनी में बैक से क़र्ज़ लेने और और बैंक में जमाशुदा रक़म पर सूद के हराम होने का फैसला आप से दुशमनी निकालने के लिए नहीं बल्कि आपके हक में किया है क्योंकि क़ुरान व हदीस में सूद को बहुत बड़ा गुनाह क़रार दिया गया है, शराब नोशी, खिनज़ीर खाने और ज़िना कारी के लिए क़ुरान करीम में वह लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए गए जो सूद के लिए अल्लाह तआला ने इस्तेमाल किए हैं।

4) जिस नबी के उम्मती होने पर हम फख्र करते हैं उसने सूद लेने और देने वालों पर लानत फरमाई है।

5) जिस नबी का हम नाम लेते हैं उसने शक व शुबहा वाले कामों से बचने के तालीम दी है ताकि आखिरत न बिगड़े खाह दुनियावी ज़िन्दगी में कुछ खसारा नजर आए।

6) बैंक से क़र्ज़ लेने से बिल्कुल बचें, दुनियावी जरूरतों को बैंक से क़र्ज़ लिए बेगैर पूरा करें, कुछ दुशवारियां, परेशानियां आऐं तो उसपर सब्र करें।

7) हमेशा दुनियावी एतेबार से अपने से कमज़ोर लोगों को देख कर अल्लाह तआला का शुक्र अदा करें।

8) अगर आप की रक़म बैंक में जमा है तो उस पर जो सूद मिल रहा है उसको खुद इस्तेमाल किए बेगैर आम रिफाही कामों में लगा दें या ऐसे इदारों को दे दें जहाँ गुरबा व मसाकीन या यतीम बच्चों

की परवरिश की जाती है।

9) इन दिनों बैंकों ने रक़म देने और लेने की मुख्तलिफ नामों से शकलें बना रखी हैं, उलमा से पूरी तफसीलात बता कर ही उसमें पैसा लगाऐं या लें।

10) अगर कोई शख्स ऐसे मुल्क में है जहाँ वाक़ई सूद से बचने की कोई शकल नहीं है तो अपनी वुसअत के मुताबिक सूदी निज़ाम से बचें, हमेशा इससे छुटकारा की फिक्र रखें और अल्लाह से माफी मांगते रहें।

11) सूद के माल से न बचने वालों से दरखास्त है कि सूद खाना बहुत बड़ा गुनाह है, इस लिए कम से कम सूद की रक़म को अपने ज़ाती कामों में इस्तेमाल न करें बल्कि उससे हूकूमत की जानिब से आइद करदा इंकमटेक्स अदा कर दें क्यों कि बाज़ मुफतियाने कराम ने सूद की रक़म से इंकमटेक्स अदा करने की इजाज़त दी है।

12) जो हज़रात सूद की रक़म इस्तेमाल कर चुके हैं वह पहली फुर्सत में अल्लाह से तौबा करें और आइंदा सूद की रक़म का एक पैसा भी न खाने का पक्का इरादा करें और सूद के बाकी बचे हुए रक़म को फलाही कामों में लगा दें।

13) अगर किसी कम्पनी में सिर्फ और सिर्फ सूद पर क़र्ज़ देने का कारोबार है कोई दूसरा काम नहीं है तो ऐसी कम्पनी में मुलाज़मत करना जाएज़ नहीं है, अलबत्ता अगर किसी बैंक में सूद पर क़र्ज़ के अलावा जाएज़ काम भी होते हैं मसलन बैंक में रक़म जमा करना वगैरह तो ऐसे बैंक में मुलाज़मत करना हराम नहीं है अलबत्ता बचना चाहिए।

14) बाज़ इकतिसादियात के माहिर जिन्हें क़ुरआन व सुन्नत के

अहकाम से वाकफीयत आम तौर पर बहुत कम होती है, सूद के जवाज़ में अपने दलाएल पेश करते नजर आते हैं, उन माद्दा परस्त इकतिसादियात के फैसले उखरवी ज़िन्दगी को नजर अंदाज करके सिर्फ और सिर्फ दुनियावी फानी ज़िन्दगी सामने रख कर होते हैं।

15) अगर कोई शख्स सोने के पुराने ज़ेवरात बेच कर सोने के नए ज़ेवरात खरीदना चाहता है तो उसको चाहिए कि दोनों की अलग अलग क़ीमत लगवाकर उसपर क़ब्जा करे और क़ब्जा कराए, नए सोने के बदले पुराने सोने और फर्क को देना जाएज नहीं हैं क्योंकि यह भी सूद की एक शकल है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने को सोने के साथ कमी व बेशी करके खरीद व फरोखत करने को नाजाएज़ क़रार दिया है। (सही मुस्लिम)

16) हर साल अपने माल का हिसाब लगा कर ज़कात की अदाएगी करें, कुरान करीम में अल्लाह तआला ने उन लोगों के लिए बड़ी सख्त वईदें बयान फरमाई है जो अपने माल की कमा हक्कहू ज़कात नहीं निकालते हैं।

(एक अहम नुकता)

दुनिया की बड़ी बड़ी इकतिसादी शख्सियात के मुताबिक मौजूदा सूदी निज़ाम से सिर्फ और सिर्फ सरमायाकारों को ही फायदा पहुंचता हैं, नीज़ उसमें बेशुमार खराबियां हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया अब इस्लामी निज़ाम की तरफ माइल हो रही है।

(नोट)

बाज माद्दा परस्त लोग सूद के जवाज़ के लिए दलील देते हैं कुरान करीम में वारिद सूद की हुरमत का तअल्लुक ज़ाती ज़रूरत के लिए क़र्ज़ लेने से है लेकिन तिजारत की गरज़ से सूद पर क़र्ज़ लिया जा

सकता है, इसी तरह बाज़ माद्दा परस्त लोग कहते हैं कि क़ुरान करीम जो सूद की हुरमत है उससे मुराद सूद पर सूद है लेकिन Single सूद क़ुरान करीम के इस हुकुम में दाखिल नहीं है, पहली बात तो यह है क़ुरान करीम में किसी शर्त को जिक्र किए बेगैर सूद की हुरमत का एलान किया गया है तो क़ुरान करीम के इस उमूम को मुख्तस करने के लिए क़ुरान व हदीस की वाज़ेह दलील दरकार है जो क़यामत तक पेश नहीं की जा सकती। इसी लिए खैरूल क़ुरून से आज तक किसी भी मशहूर मुफस्सिर ने सूद की हुरमत वाली आयत की तफसीर इस तरह नहीं की, नीज़ क़ुरान में सूद की हुरमत के एलान के वक़्त ज़ाती और तिजारती दोनों गरज़ से सूद लिया जाता था, इसी तरह एक मरतबा का सूद या सूद पर सूद दोनों राएज थे, 1400 साल से मुफस्सेरीन व मुहद्दिसीन व उलमा-ए-किराम ने दलाएल के साथ इसी बात को तहरीर फरमाया है। यह मामला ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि क़ुरान करीम में शराब पीने की हुरमत इस लिए है कि उस जमाना में शराब गंदी जगहों पर बनाई जाती थी, आज सफाई सुथराई के साथ शराब बनाई जाती है, हसीन बोतलों में और खुबसूरत होटलों में मिलती है, लिहाज़ा यह हराम नहीं है। ऐसे दुनिया परस्त लोगों से अल्लाह तआला तमाम मुस्लमानों की हिफाज़त फरमाए आमीन।

मसइला बीमा (Insurance)

मगरिब से मुतअस्सिर हो कर अब मुस्लमानों ने भी ज़िन्दगी, मकान, गाड़ी और मुख्तलिफ चीज़ों के इन्श्योरेंस कराने को अपनी ज़रूरत समझना शुरू कर दिया है लेकिन हमें चाहिए कि इन्श्योरेंस के जाएज़ होने या न होने या इज्तिरारी हालत में उसकी बाज़ शक्लों के जवाज़ के मुतअल्लिक क़ुरान व हदीस की रोशनी में उलमा-ए-किराम से मसअला पूछे और फिर उसके मुताबिक अमल करें। याद रखें कि इन्श्योरेंस की तारीख बहुत ज़्यादा कदीम नहीं है, एशयिाई मुल्कों में तो इसका रिवाज तकरीबन बीस से पचीस साल से ही ज़्यादा हुआ है। तमाम मकातिबे फिक्र के उलमा का इत्तिफाक है कि दुनिया में राएज बीमा का निज़ाम अपनी असल वज़ा में जुआ और सूद का मुरक्कब है और यह दोनों इस्लाम में हराम हैं, लिहाज़ा बीमा पर बहस करने से पहले मुनासिब समझता हूं कि क़ुरान करीम की रोशनी में सूद और जुए के हराम होने पर मुख्तसर रोशनी डाल दुँ।

सूद की हुरमत

सूरह बक़रह की आयत 275 से 279 में अल्लाह तआला ने सख्त अल्फ़ाज़ के साथ सूद से बचने की तालीम दी है और फरमाया कि सूद लेने और देने वाले अगर तौबा नहीं करते हैं तो वह अल्लाह और उसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाऐं। नीज़ फरमाया कि सूद लेने और देने वालों को कल क़यामत के दिन जलील व रूसवा किया जाएगा और वह जहन्नम में डाले जाऐंगे, गरज़ ये कि क़ुरान करीम में सूद को इतना बड़ा गुनाह क़रार दिया है कि शराब नोशी,

खिनज़ीर खाने और ज़िना कारी के लिए क़ुरान करीम में वह लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए गए जो सूद के लिए अल्लाह तआला ने इस्तेमाल किए हैं। 275 से 279 आयात का खुलासा तफसीर यह है।

"**जो लोग सूद खाते हैं वह क़यामत में उस शख्स की तरह उठेंगे जिसे शैतान ने छूकर पागल बना दिया हो**।" सूद की बाज़ शकलों को जाएज़ क़रार देने वाले के लिए फरमान इलाही है कि यह ज़िल्लत आमेज़ अज़ाब इस लिए होगा कि उन्होंने कहा था कि खरीद व खरोख्त भी तो सूद की तरह होती है हालांकि अल्लाह तआला ने खरीद व फरोख्त को हलाल किया है आर सूद को हराम क़रार दिया है। लिहाज़ा जिस शख्स के पास उसके परवरदिगार की तरफ से नसीहत आ गई और वह सूदी मामलात से बाज़ आ गया तो गुज़रे हुए वक़्त में जो कुछ हुआ वह इसी का है और उसकी पोशिदा कैफियत का मामला अल्लाह तआला के हवाला है। और जिस शख्स ने लौट कर फिर वही यानी सूद का काम किया तो ऐसे लोग दोज़खी हैं, वह हमेशा उसमें रहेंगे। अल्लाह तआला सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। जब सूद की हुरमत का हुकुम हुकुम नाज़िल हुआ तो लोगों का दूसरों पर सूद का जितना भी बक़ाया था उसको भी लेने से मना फरमा दिया गया और इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालों! अल्लाह तआला से डरो और जो सूद बाक़ी रह गया है वह छोड़ दो अगर तुम सचमुच ईमान वाले हो। और अगर ऐसा नहीं करने तो तुम अल्लाह तआला से और उसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। गरज़ ये कि सूद खाने वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से एलाने जंग है और यह ऐसी सख्त वईद है

जो किसी और बड़े गुनाह मसलन ज़िना करने, शराब पीने के इरतिकाब पर नहीं दी गई।“

जुए की हुरमत

अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है “**ऐ ईमान वालो! शराब, जुआ बुतों के थान और जुए के तीर यह सब नापाक शैतानी काम हैं। लिहाज़ा इन से बचो, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुए के जरिये तुम्हारे दरमियान दुशनी और बुग्ज़ के बीज डाल दे और तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज़ से रोक दे। अब बताओ कि क्या तुम (इन चीजों से) बाज़ आ जाओगे**। (सूरह अल माइदा आयत 90-91)

इन आयात में चार चीजें क क़तई तौर हराम की गई हैं

1) शराब
2) किमार बाज़ी यानी जुआ
3) बुतों के थान यानी वह मक़ामात जो अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत करने या अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर कुर्बानी और नजर व नियाज़ चढ़ाने के लिए मखसूस किए गए हैं।
4) पांसे (जुए के तीर)

किमार, मैसीर और अज़लाम मुतरादिफ अल्फाज़ हैं अगरचे मानी में मामूली सा फर्क है लेकिन इन तमाम अल्फाज़ के मानी जुए के ही हैं, जिसको अल्लाह तआला ने हराम क़रार दिया है और अल्लाह तआला ने इस काम को शैतान का नापाक अमल क़रार दिया है जिसके ज़रिये वह इंसानों को सिराते मुस्तकीम से बहकाने का जो

अहद उसने कर रखा है उसको पूरा कर सके, इसके अंदर अगर कोई पहलू नफा का नज़र आता तो यह महज नज़र का धोका है, इसके नुकसानात नफा के मुकाबले इतने ज़्यादा है कि हकीर नफा की कोई क़ीमत नहीं है। आखिर में अल्लाह तआला ने फरमाया कि दुनिया व आखिरत की कामयाबी इसी में है कि इन चीजों से बचा जाए। और आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने इन चीजों की एक और खराबी ज़िक्र फरमाई है कि यह चीजें तुम्हें अल्लाह तआला की याद और नमाज़ से गाफिल कर देती है। गरज़ ये कि इस आयत में अल्लाह तआला ने जुए को शराब के बराबर क़रार दिया ताकि जुए की हुरमत में कोई शक व शुबहा बाक़ी न रहे।

तक़दीर पर ईमान में खलल

इन्श्योरेंस के मंफी पहलूओं में तीसरा अहम मंफी पहलू यह है कि इन्श्योरेंस तक़दीर पर ईमान से किसी हद तक अमली इंकार का सबब बनता है, जबकि तकदीर पर ईमान रखना हर मुस्लमान के लिए ज़रूरी और ईमान के अरकान में से एक है। तकदीर का तकाज़ा है कि जाएज़ व शरई असबाब व वसाइल इखतियार किए जाऐं और मुस्तकबिल में पेश आने वाले हालात अल्लाह तआला के सुपूर्द किए जाऐं और उसका यकीन रखा जाए कि खुशहाली और परेशानी सब अल्लाह तआला ही तरफ से आती है और अल्लाह तआला के फैसला को कोई दुनियावी ताकत टाल नहीं सकती है। जबकि इन्श्योरेंस इससे फरार की राह है क्योंकि इसमें पहले से हालात व हवादिसकी पेश बन्दियां नाजाएज़ तरीकों से की जाती हैं।

बीमा (Insuruance) की हकीकत

इन्श्योरेंस में बाज़ शराएत पर एक शख्स को दूसरे की तरफ से मुस्तकबिल में पेश आने वाले इमकानी खतरात से हिफाजत और बाज़ इमकानी नुकसानात की तलाफी की यकीन दहानी कराई जाती है, जिस शख्स के लिए खतरात से हिफाजत और नुकसानात की तलाफी की यकीन दहानी कराई जाती है वह एक मुअय्यन मुद्दत तक एक मुक़र्ररह रक़म बीमा कम्पनी को अदा करता है। गरज़ ये कि बीमा कराने वाले और बीमा कम्पनी के दरमियान एक तरह का समझौता होता है और शरई एतेबार से समझौता के लिए ज़रूरी है कि किसी ऐन या मनफअत पर कायम हो वरना समझौता बातिल होगा यानी या तो समझौता इवज़ के साथ ऐन पर कायम हो जैसे खरीद व फरोख्त और शिरकत वगैरह या फिर बिला इवज़ ऐन के साथ जैसे हिबा या इवज़ के साथ मनफअत पर कायम हो जैसे किराया दारी या फिर बिला इवज मनफअत के जैसे उधार। जहाँ तक बीमा का तअल्लुक़ है तो इसमें अक़्द की यह शर्तें खत्म हो जाती है, बल्कि यह तो मुबहम मुआवजा की एक ज़िम्मेदारी लेने के मुतरादिफ है। अब देखना यह होगा कि यह ज़िम्मेदारी लेना हराम है या हलाल या कुछ शराएत के साथ हलाल है। लिहाज़ा इन्श्योरेंस की राएज शकलों को अलग अलग ज़िक्र करके उसका शरई हुकुम ज़िक्र कर रहा हुँ। इस सिलसिला में हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उसमानी दामत बरकातुहुम के मज़ामीन से खास इस्तिफादा किया गया है।

ज़िन्दगी का बीमा (Life Insurance)

ज़िन्दगी के बीमा का खुलासा यह है कि बीमा कराने वाला बीमा कम्पनी को एक मुअय्यन मुद्दत तक कुछ किस्तें अदा करता है जिसको प्रीमियम (Premium) कहते हैं। मुअय्यन मुद्दत की तायीन तिब्बी मुआयना के ज़रिया एक अंदाजा लगा कर मुक़र्रर की जाती है। फ़र्ज़ करें कि दस साल की ज़िन्दगी का अंदाजा किया गया तो दस साल तक यह शख्स हर महीने कुछ किस्तें मसलन एक हजार रूपय माहाना जमा करेगा, इस तरह एक साल में बारह हजार और दस साल में एक लाख बीस हजार रूपय जमा होंगे। अब अगर दस साल के अरसा में बीमा कराने वाले का इंतिकाल हो जाता है तो बीमा कम्पनी एक खास रक़म मसलन पांच लाख उस शख्स को अदा करेगी जिसका बीमा कराने वाले ने बीमा कराते वक़्त नाम पेश किया था खाह वह शरई एतेबार से वारिस हो या नहीं उसके अलावा भी दूसरे वारिस हों। और अगर बीमा कराने वाले का दस साल तक इंतिकाल नहीं हुआ तो जमा शुदा पैसा सूद के साथ बीमा कराने वाले को वापस कर दी जाती है। याद रखें कि बीमा कम्पनी प्रीमियम (Premium) के ज़रिया जमा शुदा पैसा को बैंक में रख कर उस पर सूद लेती है।

ज़िन्दगी के बीमा (Life Insurance) का शरई हुकुम

इसमें जमा शुदा पैसा तो महफूज है यानी उसकी वापसी यक़ीनी है अलबत्ता वापसी की रक़म मालूम नहीं है कि मसला मज़कूरा में एक लाख बीस हजार मिलेंगे या पांच लाख यानी मुआवजा मालूम नहीं है, उसकी मिकदार मालूम नहीं है लिहाज़ा यह जुआ हुआ, नीज़ वापसी

की रक़म सूद के साथ मिलती है और बीमा कम्पनी हासिल करदा रक़म बैंक में जमा करके सूद भी लेती हैं, मज़ीद यह कि ज़िन्दगी का बीमा कराना तकदीर पर ईमान के खिलाफ है। लिहाज़ा ज़िन्दगी का बीमा सूद और जुए पर मबनी होने की वजह से हराम है, नीज़ इसमें अल्लाह तआला की जानिब से मुतअैयन करदा विरासत के निज़ाम की खिलाफवरजी भी है।

अमलाक या अशिया का बीमा (Goods Insurance)

मुख्तलिफ चीज़ों का बीमा कराया जाता है कि अगर वह चीज़ तबाह हो जाए या उसमें नुकसान हो जाए तो बीमा कराने वाले को चीज़ की क़ीमत मिलेगी या उसकी मरम्मत कराई जाएगी, मसलन इमारत या दुकान का बीमा करा लिया जाए कि अगर इमारत या दुकान में आग लग गई तो बीमा कम्पनी इतने पैसे देगी जो इमारत या दुकान की क़ीमत के बराबर होगी और अगर कुछ नुकसान हुआ है तो नुकसान की तलाफी की जाएगी। इसी तरह सामान का बीमा कराया जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह भेजने में अगर सामान बरबाद हो जाए तो उसकी क़ीमत मिल सके। इसी तरह गाड़ियों का बीमा कराया जाता है कि अगर चोरी हो जाए या आग लग जाए या किसी हादसा में तबाह हो जाए वगैरह वगैरह तो बीमा कम्पनी इस गाड़ी की क़ीमत अदा करती है या उसकी मरम्मत कराती है लेकिन उसके लिए बीमा कराने वाले को माहाना या सालाना कुछ रक़म बीमा कम्पनी को अदा करनी होती है जिसको प्रीमियम (Premium) कहते हैं जो वापस नहीं मिलती खाह कोई हादसा पेश आए या नहीं।

अमलाक या अशिया के बीमा (Goods Insurance) का शरई हुक्म

जमहूर उलमा की राय है कि यह भी नाजाएज़ है क्योंकि इसमें गरर यानी जुए का उन्सुर मौजूद है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिला में सारी इंसानियत के लिए एक उसूल बताया "**न आदमी खुद को नुकसान में डाले और न दूसरों को नुकसान पहुंचाए**" (मुअत्ता मालिक, मुसनद अहमद, इबने माजा, दारे कुतनी) एक तरफ से प्रीमियम (Premium) दे कर अदाएगी मुतयक़्क़न है लेकिन दूसरी तरफ से मुआवज़ा मालूम नहीं है और मुअल्लक अललखतर है कि अगर हादसा पेश आ गया तो मुआवज़ा मिलेगा और हादसा पेश नहीं आया तो कोई मुआवज़ा नहीं मिलेगा, लिहाज़ा इसमें गरर यानी धोका पाया जाता है, जमहूर उलमा इस क़िस्म के बीमा के हराम होने के क़ाएल हैं अलबत्ता बाज़ उलमा मसलन शैख मुस्तफा अज़ ज़रक़ा की राय है कि यह बीमा जाएज़ है। हाँ अगर किसी हुकूमत की जानिब से इस क़िस्म का बीमा कराना लाजमी और ज़रूरी हो जाए तो फिर बदरजा मजबूरी कराया जा सकता है।

ज़िम्मेदारियों का बीमा (Third Party Insurance)

बीमा की तीसरी क़िस्म ज़िम्मेदारी का बीमा होता है जिसको थर्ड पार्टी इन्श्योरेंस कहते हैं, इसका मतलब यह है कि अगर बीमा कराने वाले के ज़िम्मे किसी तीसरी पार्टी की तरफ से कोई माली ज़िम्मेदारी आएद हो गई तो बीमा कम्पनी उस ज़िम्मेदारी को पूरा करेगी। मसलन गाड़ी से किसी दूसरे शख्स या किसी दूसरी गाड़ी को नुकसान

पहुंचने की सूरत में दूसरे शख्स की गाड़ी के नुकसान की तलाफी बीमा कम्पनी के ज़िम्मे होगी लेकिन इस के लिए बीमा कराने वाले को माहाना या सालाना कुछ पैसे बीमा कम्पनी को अदा करनी होती है, जिसको प्रीमियम (Premium) कहते हैं जो वापस नहीं मिलती चाहे कोई हादसा पेश आए या न आए।

ज़िम्मेदारियों के बीमा (Third Party Insurance) का शरई हुकुम

दूसरी क़िस्म की तरह ज़िम्मेदारियों के बीमा के मुतअल्लिक भी जमहूर उलमा की राय उसके हराम होने की ही है अगरचे बाज़ उलमा ने उसके जवाज़ का इस शर्त के साथ फैसला किया है कि बीमा कम्पनी का कारोबार सूद पर न चलता हो।

सेहत का बीमा (Health Insurance) और उसका शरई हुकुम

जिस मुल्क में सेहत का बीमा कराना ज़रूरी और लाज़मी है वहाँ मजबूरी की वजह से कराया जा सकता है वरना जहाँ तक मुमकिन हो सके इससे बचना चाहिए क्योंकि इस में भी धोका जरूर है कि बीमा कराने वाले तरफ से प्रीमियम (Premium) की अदाएगी मालूम नहीं है लेकिन मुआवज़ा मालूम है और अदा करदा पैसा वापस नहीं होती चाहे आदमी बिल्कुल बीमार ही न हो।

बीमा कम्पनी का तारूफ (Insurance Company)

बीमा की मज़कूरा अकसाम को तिजारती बीमा कहते हैं, इसमें एक

कम्पनी इसी मक़सद के लिए क़ायम की जाती है और इन का तरीका-ए-कार यह होता है कि पहले अकचैरी हिसाब के जरिया यह अंदाजा लगाया जाता है कि जो हादसें वाकिआत पेश आते हैं उनका सालाना अवसत क्या है, साल में कितनी जगह आग लगती है, कितनी जगहों पर गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है, कितनी जगह रेल का तसादुम होता है, कितने जहाज़ डूबते हैं, कितने ज़लज़ले आते हैं, कितने लोग बीमार होते हैं वगैरह वगैरह इसका एक अवसत निकालते हैं और इस अवसत की बुनियाद पर आने वाले सालों के लिए भी वह हादिसात का अंदाज़ा लगाते हैं कि आने वाले सालोंमें इस क़िस्म के मुतअस्सिरा अशखास को मुआवज़ा दिया जाए तो कुल कितने खर्चे होंगे और किस्तों पर हासिलशुद पैसा को बैंक में जमा करने पर कितना सूद मिलेगा। फ़र्ज़ करें कि उन्हों ने आने वाले साल में पेश आने वाले हादिसात का अंदाजा लगाया कि एक अरब रूपया है, अब बीमा कम्पनी के सारे खर्चे के बाद दस करोड़ का नफा होना चाहिए। अब उन्होंने मतलूबा पैसा लोगों से वसूल करने के लिए किस्तों की तादाद मुक़र्रर कर दी कि जो भी बीमा कराए वह इतनी किस्त अदा करे, जिसका मकसद यह होता है कि जब सारी किस्तें इकटठी हो जाएं तो हमें कुल कितनी रक़म मिलेगी और इस पर कितना सूद मिलेगा। एक अरब दस करोड़ मिलेंगे तो एक अरब मुआवजा में दे देंगे और दस करोड़ हमारा नफा हो जाएगा। यह तिजारती कम्पनियों का तरीका-ए-कार होता है।

बाहमी इमदाद (Mutual Insurance) का तरीका-ए-कार

बाहमी इमदाद का तरीका-ए-कार यह होता है कि कुछ लोग बाहम

मिल कर एक फंड क़ायम करते हैं इसका मकसद मिम्बरान में से किसी मिम्बर के साथ आने वाले हादसा पर उसकी मदद करना होता है। मसलन 100 आदमी मिलकर एक एक हज़ार रूपय सालाना जमा करते हैं कि इस रूपय से आपस में किसी मिम्बर के साथ आने वाले हादसा पर उसकी मदद करेंगे, पैसा कम पड़ने पर दोबारा पैसा लिया जाता है और पैसे बचने पर वह अगले साल के लिए जमा हो जाता है। इस पैसे पर कोई सूद नहीं लिया जाता है। इसमें तिजारत करना पेश नज़र नहीं होता है बल्कि बाहम मिलकर एक दूसरे की मदद करने के लिए फंड बनाया जाता है। यह सूरत सब के नजदीक जाएज़ है।

(एक तजवीज़) दुनिया में राएज सूद और जुए पर मबनी बीमा के तहत मजबूरी में बीमा कराने की सूरत में अदा करदा रक़म से ज़्यादा हासिल होने पर ज़्यादा सदका कर दें और जमा शुदा रक़म से पूरा इस्तिफादा न होने पर इसको सदका समझकर छोड़ दें लेकिन अगर बाहमी इमदाद के तरीका पर बीमा किया गया तो फिर कोई हर्ज नहीं इंशाअल्लाह।

असरे हाजिर में हम क्या करें?

दुनिया में बीमा का राएज तरीका सूद और जुए पर मबनी होने की वजह से असलन तो नाजाएज़ है लेकिन ज़िन्दगी के बाज़ हिस्से में बीमा कानूनन लाज़िम हो गया है उसके बेगैर गुज़ारा नहीं हो सकता, मसलन गाड़ियों का बीमा, दुनिया के तक़रीबन तमाम मुल्कों में गाड़ियों का कम से कम थर्ड पार्टी इन्श्योरेंस कराना लाज़मी है। अब जहाँ कानून ने मजबूर कर दिया तो फिर उलमा-ए-किराम ने बदरजा

अवला इन्श्योरेंस कराने की गुंजाइश दी है।

अगर किसी मुल्क या किसी जगह पर वाक़ई किसी मुसलमान की जान या माल महफूज नहीं है तो वहाँ भी बीमा कराने की उलमा ने इजाज़त दी है।

असरे हाजिर के उलाम ने दुनिया में मौजूदा राएज बीमा के मुकाबिल जो निज़ाम तजवीज़ किया है वह बाहमी इमदाद की एक तरक़्क़ी याफता शक्ल है। इस निज़ाम की बुनियाद तबर्रू है न कि अक़्द मुआवजा, जिसका तरीका-ए-कार यह होता है कि मसलन कुछ अफराद ने एक कम्पनी क़ायम करली और जो सरमाया जमा हुआ वह तिजारत में लगा दिया फिर और बीमा दारों को दावत दी जाती है कि आप भी आ कर इसमें पैसा लगाएं, उन्होंने जो रक़म दी वह भी नफा बख्श तिजारत में लगा सरमाया जमा हुआ वह तिजारत में लगा दी गई और साथ में एक फंड बना दिया गया जिसके ज़रिया अगर मिम्बरान को कोई हादसा पेश आ जाए तो इस फंड से उसकी मदद की जाए। साल के आखिर में पैसे बचने पर मिम्बरान को वापस कर दिए जाते हैं या उनके नाम से यह रक़म फंड में आइंदा साल के लिए जमा कर दी जाती हे। इस बुनियाद पर अरब मुमालिक में कुछ कम्पनियाँ क़ायम हुई हैं। बहर हाल बीमा के इस निज़ाम के तहत मतलूब भी हासिल हो जा रहा है और सूद और जुए के उन्सुर से काफी हद तक बचाओ भी है। याद रखें कि हिन्द व पाक की बीमा कम्पनियों में यह निज़ाम मौजूद नहीं है बल्कि उन में आम तौर पर सूद और जुए वाला निज़ाम है।

खुलासा कलाम

जैसा कि दलाएल के साथ ज़िक्र किया गया दुनिया में राएज इन्श्योरेंस का मौजूदा निज़ाम सूद और जुए पर मुशतमिल है और इन दोनों की हुरमत क़ुरान व हदीस में वाज़ेह तौर पर मौजूद है जिनके हराम होने पर उम्मते मुस्लिमा मुत्तफिक है। नीज़ अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया "**नापाक चीजों को ही हम ने हराम हराम किया है**" (सूरह आराफ 157) यानी जुए और सूद के उन्सुर से मुरक्कब बीमा के मौजूदा निज़ाम के अंदर अगर हमें बज़ाहिर नफा नज़र भी आए मगर खालिक़े कायनात के कलाम के मुताबिक इस में शर जरूर पोशीदा है लिहाज़ा हत्तल इमकान दुनिया में राएज इन्श्योरेंस के मौजूदा निज़ाम से बचें। अगर बीमा के मौजूदा निज़ाम से बचने में बज़ाहिर नुकसान नज़र आए तो अल्लाह तआला के इरशाद को याद रखें "**जो कोई अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए मुशिकल से निकलने का कोई रास्ता पैदा कर देगा और ऐसी जगह रिज़्क अता करेगा जहाँ से उसे गुमान भी नही होगा और जो कोई अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उस (का काम बनाने) के लिए काफी है**" (सूरह अत्तलाक 2, 3)। इन्श्योरेंस में यक़ीनी तौर पर बाज़ मनाफे मौजूद हैं लेकिन नुकसानात इससे कहीं ज़्यादा हैं, इसी वजह से उलमा-ए-किराम ने क़ुरान व हदीस की रोशनी में बीमा कराने को नाजाएज़ क़रार दिया है, शराब में भी बाज़ मनाफे हैं जैसा कि क़ुरान करीम में अल्लाह तआला ने ज़िक्र किया है मगर नुकसानात फवाएद से बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इसको शरीअते इस्लामिया में हराम किया गया है। हाँ! अगर सूद और जुए से बिल्कुल महफूज किसी बीमा कम्पनी में अमलाक या चीजों का बीमा कराया जाएतो

उसकी गुंजाइश है, इसी तरह ज़िन्दगी के जिस शोबा में हूकूमत की जानिब से बीमा कराना लाज़मी हो जाए कि अब बीमा कराए बेगैर कोई चारा नहीं तो फिर इस शोबा में बीमा कराने की गुंजाइश है। वल्लाहु आलम बिसवाब

असरे हाज़िर के मुहक़्क़िक़ व जदीद मसाइल से बख़ूबी वाक़िफ़ हज़रत मौलाना मुफती मोहम्मद तक़ी उसमानी दामत बरकातुहूम ने इस मौज़ू पर काफी कुछ तहरीर किया है, मैंने यह मज़मून मौसूफ के मज़ामीन से ही इस्तिफादा करके तहरीर किया है, अल्लाह तआला मौसूफ को दीने इस्लाम की खिदमत के लिए क़बूल फरमाए और हम सब को मुंकारात से बच कर ज़िन्दगी गुज़ारने वाला बनाए, आमीन।

सूद, म्युचुअल फड और ज़िदगी का बीमा

चंद दिनों Mutual Funds, Riba और Life Insurance के मुतअल्लिक Internet के एक ग्रुप पर बहुत से दोस्तों के खयालात पढ़ने को मिले। बहस व मुबाहिसा मकसूद नहीं, सिर्फ इस्लाहि गरज़ से क़ुरान व हदीस की रोशनी में एक मज़मून लिख रहा हूँ। अल्लाह तआला हम सबको उखरवी (आखिरत) ज़िन्दगी सामने रख कर इस फानी दुनियावी ज़िन्दगी को गुज़ारने वाला बनाए, माल को सिर्फ जाएज़ तरीका से कमाने की तौफीक अता फरमाए और हमारी रूह इस हाल में जिस्म से परवाज़ करे कि ऐ अल्लाह तआला! तु हम से राजी और खुश हो, आमीन।

असल मौज़ू से पहले दो अहम मामलों पर रोशनी डालना मुनासिब समझता हूँ जिससे असल मौज़ू का समझना आसान हो जाएगा।

1) क़ुरान व दीस की रोशनी में माल की हैसियत

माल अल्लाह तआला की नेमतों में से एक नेमत है लेकिन माल के नेमत बनने के लिए ज़रूरी है कि माल को हलाल वसाइल (तरीका) इखतियार करके हासिल किया जाए और इस माल से मुतअल्लिक जो अल्लल्लाह तआला के हुक़ूक़ हैं यानी ज़कात वग़ैरह उनकी अदाएगी की जाए। माल नेमत होने के साथ एक इंसानी ज़रूरत भी है लेकिन माल के नेमत और ज़रूरत होने बावजूद खालिक़े कायनात और तमाम नबियों के सरदार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल को बहुत सी जगहों पर फितना, धोके की चीज

और महज दुनियावी ज़ीनत की चीज़ क़रार दी है। चंद मीसालें अर्ज़ हैं।

"माल व अवलाद तो फानी दुनिया की आरज़ी ज़ीनत हैं।" (सूरह अलकहफ 46)

"माल व अवलाद की ज़ीनत की चाहत ने तुम्हें अल्लाह की इबादत से गाफिल कर दिया यहाँ तक की तुम कब्रिस्तान जा पहुंचे।" (सूरह अत्तकासुर 1-2)

"**खूब जान लो कि दुनियावी ज़िन्दगी सिर्फ खेल तमाशा, आरज़ी ज़ीनत और आपस में फख्र व गुरूर और माल व अवलाद में एक दूसरे से बढ़ जाने की कोशिश करना**।" (सूरह अलहदीद 20)

रसूलुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर उम्मत के लिए एक फितना रहा है, मेरी उम्मत का फितना माल है। (तिर्मीज़ी)

रसूलुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैंने जन्नत को देखा तो वहाँ गरीब लोगों को ज़्यादा पाया। (बुखारी व मुस्लिम)

रसूलुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया गरीब लोग मालदारों से पांच सौ साल पहले जन्नत में दाखिल होंगे। (तिर्मीज़ी)

रसूलुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह की कसम! मुझे तुम्हारे लिए गरीबी का खौफ नहीं है बल्कि मुझे खौफ है कि पहली कौमों की तरह कहीं तुम्हारे लिए दुनिया यानी माल व दौलत खोल दिए जाए और तुम उसके पीछे पड़ जाओ फिर वह माल व दौलत पहले लोगों की तरह तुम्हें हलाक कर दे। (बुखारी व मुस्लिम)

2) क़ुरान व हदीस की रोशनी में सूद, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह

अल्लाह तआला का फरमान है “**ऐ ईमान वाले! अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया है वह छोड़ दो अगर तुम सचमुच ईमान वाले हो। और अगर ऐसा नही करते तो तुम अल्लाह तआला से और उसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ**।“ (सूरह बक़रह 278-279)

सूद खाने वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से एलाने जंग है और यह ऐसी सख्त वईद है जो और किसी बड़े गुनाह मसलन ज़िना करने, शराब पीने के इरतिकाब पर नहीं दी गई। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं जो शख्स सूद छोड़ने पर तैयार न हो तो खलीफए वक़्त की ज़िम्मेदारी है कि वह उससे तौबा कराए और बाज़ न आने की सूरत में उसकी गर्दन उड़ा दे। (तफसीर इबने कसीर)

रसूलुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक दिरहम सूद का खाना छत्तीस मरतबा ज़िना ज़िना करने से ज़्यादा है। (मुसनद अहमद)

रसूलुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सूद के 70 से ज़्यादा दर्जे हैं और अदना दर्जा ऐसा है जैसे अपनी माँ से ज़िना करे। (मुअत्ता इमाम मालिक, तबरानी)

इन तमहीदी दो अबवाब के बाद असल मौज़ू की तरफ रुजू करता हूँ, सबसे पहले हलाल, हराम और मुशतबा चीजों के मुतअल्लिक अल्लाह के हबीब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद को पढ़ें जिसमें शुबहा वाली चीजों का गौर व फिक्र करने का शरई

असूल जिक्र किया गया है।
रसूलुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हलाल वाज़ेह है, हराम वाज़ेह है। उनके दरमियान कुछ मुशतबा चीजें हैं जिनको बहुत सारे लोग नहीं जानते। जिस शख्स ने शुबहा वाली चीजों से आपने आपको बचा लिया उसने अपने दीन और इज़्ज़त की हिफाज़त की और जो शख्स मुशतबा चीजों में पड़ेगा वह हराम चीजों में पड़ जाएगा उस चरवाहे की तरह जो कांटों के करीब बकरियां चराता है और बहुत मुमकिन है कि वह इन कांटों में उलझ जाए। (बुखारी व मुस्लिम)

रसूलुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से मालूम हुआ कि हुकुम के एतेबार से चीजों की तीन किसमें हैं।
1) वह चीजें जिनका हलाल होना वाज़ेह है, मसलन जाएज़ लिबासव जाएज़ खाने वगैरह।
2) वह चीजें जिनका हराम होना वाज़ेह है, मसलन सूद खाना, शराब पीना, ज़िना करना, झूट बोलना, यतीम का माल खाना वगैरह।
3) वह चीजें जिनके हलाल और हराम होने में शुबहा हो जाए, मसलन मौज़ूए बहस मसाइल Mutual Funds और Life Insurance। उम्मते मुस्लिमा के मौजूदा तमाम मकातिबे फिक्र के बेशतर उलमा इन मज़कूरा शकलों के नाजाएज़ व हराम होने पर मुत्तफिक हैं। बाज़ उलमा ने मौज़ूए बहस मसाइल की बाज़ शकलें चंद शर्त के साथ जाएज़ करार दिए हैं। लिहाजा जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल व फरमान से वाकई सच्ची मोहब्बत है जो हर मुस्लमान को होनी चाहिए जैसा कि नबी अकरम

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कोई भी शख्स उस वक़्त तक (पूरा) मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके लिए उसकी औलाद और तमाम इंसानों से ज़्यादा महबूब न हो जाऊँ। (बुखारी व मुस्लिम) तो वह कभी भी इन मुशतबा उमूर के करीब नहीं जाएगा क्योंकि हमारे नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर जिक्र फरमा दिया कि जिस शख्स ने शुबहा वाली चीजों से अपने आपको बचा लिया उसने अपने दीन और इज़्ज़त की हिफाज़त करली और जो शख्स मुशतबा चीजों के चक्कर में पड़ गया गोया वह हराम चीजों में पड़ गया।

मेरे अजीज दोस्तो! इन मज़कूरा शकलों में रकम न लगाने पर अगर बज़ाहिर कुछ वक़्ती नुकसान भी नज़र आए तो दूसरे जाएज़ व बेहतर वसाइल से अल्लाह तआला रोजी अता फरमाएगा, जैसा कि अल्लाह तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया **"जो शख्स अल्लाह तआला से डरता है, अल्लाह तआला उसके लिए (गलत रास्तों से) छुटकारे की शकल निकाल देता है और ऐसी जगह से रोज़ी देता है जिसका गुमान भी न हो और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करेगा अल्लाह उसके लिए काफी होगा**।" (सूरह अत्तलाक 2-3)

तम्बीह

उलमा-ए-किराम ने बाज़ शराएत के साथ Shares खरीदने के जवाज़ का फैसला फरमाया है लेकिन इन शराएत में से यह भी है किहम जिस कम्पनी के Shares खरीदना चाहते हैं उस कम्पनी के मुतअल्लिक पहले बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल करें। अगर उस

कम्पनी का कारोबार मसलन शराब का है या उस कम्पनी का कारोबार सूद पर मुशतमिल है तो ऐसी कम्पनी के Shares खरीदने जाएज़ नहीं होंगे।

आज कल चंद दुनियावी माद्दा परस्त ताकतें मुस्लमानों के माल को हासिल के लिए इस्लामी बैंकिंग के नाम पर मुख्तलिफ माली प्रोजेक्टस पेश करती रहती है ताकि मुस्लमान, इस्लाम का नाम देख कर अपनी रक़म उनके हवाले कर दें। इन प्रोजेक्टस पर रक़म लगाने से पहले हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उन प्रोजेक्टस की पूरी जानकारी मालूम करें फिर उलमा की सरपरस्ती में रह कर उखरवी जिन्दगी को सामने रख कर फैसला फरमाऐं।

बाज़ हज़रात कहते हैं कि इस जमाने में सूदी निज़ाम से बचना इंतिहाई मुश्किल है, मुख्तलिफ असबाब की वजह से किसी न किसी हद तक सूदी निज़ाम से जुड़ना ही पड़ता है। मेरी ऐसे तमाम हज़रात से दरखास्त है कि हमें इस दुनियावी ज़िन्दगी में रह कर हमेशा हमेशा की उखरवी ज़िन्दगी की तैयारी करनी है, आंख बन्द होने के बाद, मौत का आना यक़ीनी है, अलबत्ता मौत का वक़्त किसी को मालूम नहीं कि मलकुल मौत कब हमारी जान निकालने के लिए आ जाएं, आंख बन्द होने के बाद फिर हमें कोई दूसरा मौका आखिरत की तैयारी करने का मुयस्सर नहीं होगा। लिहाज़ा बज़ाहिर दुनियावी नुक़सान व ज़रर को बरदाश्त करें क्योंकि दुनियावी ज़िन्दगी तो बहरे हाल गुज़र जाएगी लेकिन आखिरत की नाकामी पर ना काबिले तलाफी नुकसान व खसारा होगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तो! मरने के बाद माल व औलाद उसी वक़्त काम आएगी जब हमने हलाल वसाइल इखतियार करके माल को कमा कर उन पर खर्च किया होगा।

जिन हज़रात ने बैंकों में अपना माल जमा कर रखा है और उस पर सूद मिल रहा है, उससे मुतअल्लिक उलमा की राय यह है कि सूद की रकम बैंकों से निकाल कर आम रिफाही कामों में लगा दें, अपने ऊपर या अपनी औलाद पर हरगिज़ खर्च न करें।

बाज़ हज़रात अगर Mutual Funds और Life Insurance से मुत्तफिक हैं तो मेरी उनसे दरखास्त है कि वह कम से कम दूसरों को Emails भेज कर दूसरों को शक व शुबहा में न डालें, क्योंकि इस्लाम ने न तो हमारे ऊपर यह ज़िम्मेदारी आएद की है कि हम दूसरों के माल को बढ़ाने की फिक्र करें और न ही उसकी कोई तरग़ीब दी है बल्कि क़ुरान व हदीस में माल को बहुत सी जगहों पर फितना, धोके की चीज और महज दुनियावी ज़ीनत की चीज क़रार दिया है।

अल्लाह तआला हमें हलाल, वसी और बरकत वाला रिज़्क़ अता फरमाए और मरने से पहले मरने की तैयारी करने वाला बनाए, आमीन।

किस्तों पर गाड़ी या मकान खरीदना

आज कल किस्तों पर गाड़ी या मकान खरीदने का काफी रिवाज हो गया है। इस की शकल यह होती है कि जब आज गाड़ी खरीदने के लिए शोरूम जाते हैं तो गाड़ी बेचने वाला कहता है कि फलां गाड़ी कैश खरीदने पर मसलन पांच हज़ार रियाल की है, और किस्तों में खरीदने पर साठ हज़ार रियाल की है। अगर आप गाड़ी किस्तों में खरीदने के लिए राज़ी हो जाते हैं तो दोनों पार्टी (खरीदने औरबेचने वाला) एक Contract पर जिस में Down Payment और किस्तों की अदाएगी की तफसील दर्ज होती है दस्तखत कर देती है।

इस तरह किस्तों पर गाड़ी खरीदना या बेचना शरअन जाएज़ है। लेकिन इसके सही होने के लिए बुनियादी शर्त यह है कि खरीदने व बेचने के वक्त गाड़ी बेचने वाले की मिल्कियत और कब्ज़ा में होनी चाहिए।

लेकिन इन दिनों एक मसअला सामने आ रहा है कि गाड़ी बेचने वाला (शोरूम) किसी बैंक या इंवेस्टमेंट कम्पनी से मुआहिदा कर लेता है जिसकी बुनियाद पर बैंक या इंवेस्टमेंट कम्पनी, गाड़ी खरीदने वाले की तरफ से गाड़ी की पूरी क़ीमत कैश अदा कर देती है और गाड़ी खरीदने वाला गाड़ी की क़ीमत किस्तों पर बैंक या इंवेस्टमेंट कम्पनी को अदा करता है। यह शकल व सूरत शरअन जाएज़ नहीं है, क्योंकि यह बैंक या इंवेस्टमेंट कम्पनी से सूद पर क़र्ज़ लेने के मुतरादिफ है जो कुरान व हदीस की रोशनी में हराम है। अलबत्ता मौजूदा मसअला में जाएज़ की शकल इस तरह हो सकती है कि बैंक या इंवेस्टमेंट कम्पनी शोरूम से गाड़ी कैश खरीद ले और

गाड़ी बैंक या इंवेस्टमेंट कम्पनी की मिल्कियत और कब्ज़ा में आ जाए फिर बैंक या इंवेस्टमेंट कम्पनी किस्तों पर गाड़ी बेचे।

किस्तों पर मकान खरीदने के मसाइल भी तकरीबन किस्तों पर गाड़ी खरीदने की तरह हैं।

गरज़ इस मसअला को समझने के लिए शरीयत के चंद उसूलों को ज़ेहन में रखें

सूद पर पैसा लेना या देना या सूद के कारोबार में किसी तरह का शिर्क त करना कतअन हराम है। इस लिए हमें सूद के शुब्हा से भी बचना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया "**सूद के सत्तर से भी ज्यादा हिस्से हैं और सबसे कम तरीन हिस्सा ऐसा है जैसे अपनी माँ से ज़िना करना**।" (इबने माजा, हाकिम, तबरानी) नीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया "**एक दिरहम सूद का खाना छत्तीस मरतबा ज़िना करने से ज्यादा बुरा है**।" (मुसनद अहमद) (इंशाअल्लाह सूद के मौज़ू पर जल्द ही कुरान व हदीस की रोशनी में एक मज़मून लिख दिया जाएगा। अल्लाह तआला हमें सूद की हर शकल व सूरत से महफूज़ फरमाए)

जो चीज़ आपकी मिल्कियत में नहीं उसका बेचना जाएज़ नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी चीज को बेचने से मना फरमाया है जो मिल्कियत और कब्ज़ा में नहीं है।

पैसे का मुकाबला अगर पैसे से है तो कमी बेशी जाएज़ नहीं है।

पैसे का मुकाबला अगर सामान या किसी दूसरी चीज़ से है तो कमी बेशी जाएज़ है।

इस मौज़ू से मुतअल्लिक चंद मसाइल

मकान के छः माहीने का किराया छः हज़ार रियाल और एक साल का पूरा किराया बयक वक़्त अदा करने की सूरत में दो हज़ार रियाल कम यानी दस हज़ार रियाल शरअन इस तरह किराया लेना या देना जाएज़ है, क्योंकि यहाँ पैसे का मुकाबला पैसे नहीं बल्कि मकान से है।

आपके पास मकान के छः महीने का किराया अदा करने के लिए छः हज़ार रियाल मौजूद हैं। आपने अपने दोस्त से कहा कि तुम चार हज़ार रियाल मुझे इस वक़्त क़र्ज़ दे दो ताकि मैं एक साल का किराया अदा कर दूं जिससे दो हज़ार रियाल बच जाएं और वह तुम मुझ से ले लेना यानी मैं तुम्हें बाद में छः हज़ार रियाल वापस अदा कर दूंगा। शरअन इस तरह दो हज़ार रियाल ज़्यादा अदा करना जाएज़ नहीं क्योंकि यहां पैसे का मुकाबला पैसे है जो कि सूद है।

रहन (गिरवी रखने) के जरूरी मसाइल

रहन (गिरवी) के मसाइल समझने से पहले तीन बातें समझ लें
1) जो शख्स कोई सामान गिरवी रख कर कोई चीज खरीदता है या कर्ज लेता है उसको राहिन कहते हैं।
2) जिस शख्स के पास कोई सामान गिरवी रखा जाये उसे मुरतहिन कहते हैं।
3) जो सामान गिरवी रखा जाये उसे मरहून कहते हैं। मसलन एक शख्स ने एक हजार रूपये के चावल खरीदे और एक महीने में पैसे की अदायगी तक गिरवी में एक घड़ी रख दी तो घड़ी गिरवी रखकर चावल खरीदने वाला राहिन हुआ, घड़ी अपने पास गिरवी रख कर चावल बेचने वाला मुरतहिन हुआ और घड़ी मरहून हुई। इसी तरह जैद ने उमर से एक लाख रूपय कर्ज लिए और कर्ज की अदायगी की जमानत के लिए अपना सोना गिरवी रखा तो कर्ज की अदायगी `क लिए गिरवी रखा हुआ सोना मरहून हुआ जैद राहिन जबकि उमर मुरतहिन है।
रहन के लुगवी मानी मुतलक रोकने के हैं। शरई इस्तिलाह में अपने किसी हक मसलन कर्ज वगैरह के बदले में कर्जदार की ऐसी चीज रोक लेने को रहन कहते हैं कि जिस के जरिया वह अपना कर्ज वसूल कर सके। राहिन और मुरतहिन में जबान से मामला तैय होने के बाद गिरवी में रखी हुई चीज मुरतहिन के कब्जे में आ जाने से रहन लाजिम हो जाता है। यानी जब तक मुरतहिन ने मरहून (गिरवी में रखा हुआ सामान) को अपने कब्जे में न लिया हो राहिन को रहन से फिर जाना और इस मामला को खत्म करना जायज है। लेकिन कब्जा के बाद यानी राहिन ने चावल या पैसे हासिल कर लिए और

मुरतहिन ने गिरवी में रखा हुआ सामान मसलन घड़ी पर कब्जा कर लिया तो अब राहिन को मामला खत्म करने का हक हासिल नहीं है। यानी अब इस को चावल की कीमत या कर्ज में ली हुई रकम की वापसी पर ही गिरवी में रखा हुआ सामान वापस मिलेगा।

रहन यानी गिरवी रख कर कोई मामला तैय करना कुरान व हदीस व इजमा उम्मत तीनों से साबित है। अल्लाह तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है "अगर तुम सफर में हो और तुम्हें कोई लिखने वाला न मिले तो (अदायगी की जमानत के तौर पर) रहन कब्जा में रख लिए जायें।" हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से भी रहन साबित है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ (Barley) खरीदने के लिए अपनी जिरह मदीना में एक यहूदी के पास गिरवी रखी थी। (बुखारी व मुस्लिम) हजरात सहाबा-ए-किराम भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में रहन के मामलात किया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना नहीं फरमाया। गर्जकि पूरी उम्मत मुस्लिमा का इत्तिफाक है कि चंद शरायत के साथ हजर व सफर दोनों में रहन रख कर कोई मामला तैय किया जा सकता है।

रहन भी कर्ज की एक शकल है और कर्ज लेते और देते वक्त हमें उन अहकाम की पाबन्दी करनी चाहिए जो अल्लाह तआला ने सूरह बकरा की आयत 282 में ब्यान किए हैं। इस आयत में कर्ज के अहकाम जिक्र किए गए हैं इन अहकाम का बुन्यिादी मकसद यह है कि बाद में किसी तरह का कोई इख्तिलाफ पैदा न हो। इन अहकाम में से एक हुकम यह भी है कि कर्ज की अदायगी की तारीख मुतऐयन कर ली जाये।

सबसे पहले एक तम्हीदी बात जिहन नशी कर लें कि अगर कोई शख्स किसी खास जरूरत की वजह से कर्ज मांगता है तो कर्ज दे कर उसकी मदद करना बाइसे अजर व सवाब है जैसा कि कुरान व हदीस की रौशनी में उलमा-ए-किराम ने लिखा है कि जरूरत के वक्तकर्ज मांगना जायज है और अगर कोई शख्स कर्ज का तालिब हो तो उसको कर्ज देना मुस्तहब है क्योंकि शरीअते इस्लामिया ने कर्ज दे कर किसी की मदद करने में दुनिया व आखिरत के बेहतरीन बदला की तरगीब दी है लेकिन कर्ज देने वाले के लिए जरूरी है कि वह अपने दुनियावी फायदा के लिए कोई शर्त न लगायें (मसलन एक लाख के बदले एक लाख बीस हजार रूपय की अदायगी की शर्त लगाना जायज नहीं), अलबत्ता वह अपनी रकम की अदायगी की जमानत के लिए किसी चीज के गिरवी रखने का मुतालबा कर सकता है।

कर्ज लेने वाले के लिए जरूरी है कि वह हर मुमकिन कोशिश करके वक्त पर कर्ज की अदायगी करे। अगर मुतऐयन वक्त पर कर्ज की अदायगी मुमकिन नहीं है तो उसके लिए जरूरी है कि अल्लाह तआला का खौफ रखते हुए कर्ज देने वाले से कर्ज की अदायगी की तारीख से मुनासिब वक्त पहले मजीद मुहलत मांगे। मुहलत देने पर कर्ज देने वाले को अल्लाह तआला अजर अजीम अता फरमायगा। लेकिन जो हजरात कर्ज की अदायगी पर कुदरत रखने के बावजूद कर्ज की अदायगी में कोताही करते हैं उनके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में सख्त वईदें आई हैं हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स की नमाजे जनाजा पढ़ाने से मना फरमा देते थे जिस पर कर्ज हो यहां तक किउसके

कर्ज को अदा कर दिया जाये।

इस्लामी तालिमात में एक अच्छे मुआशरा को वजूद में लाने की बार बार तरगीब दी गई है और जाहिर है कि अच्छा मुआशरा एक दूसरे के काम आने से ही वजूद में आ सकता है। चुनांचे शरीअते इस्लामिया ने जरूरत के वक्त एक दूसरे की मदद करने की तरगीब दी है जैसा कि इरशाद नबवी है कि जिस शख्स ने किसी मुस्लमान की कोई भी दुनियावी परेशानी दूर की अल्लाह तआला कयामत के दिन उस की परेशानियों को दूर फरमायेगा। जिसने किसी परेशान हाल आदमी के लिए आसानी का सामान फराहम किया अल्लाह तआला उसके लिए दुनिया व आखिरत में सहूलत का फैसला फरमायेगा। अल्लाह तआला उस वक्त तक बन्दा की मदद करता है जब तक बन्दा अपने भाई की मदद करता रहे। (मुस्लिम) इसी तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई मुस्लमान किसी मुस्लमान को दो मरतबा कर्ज देता है तो एक बार सदका होता है। (नसाई, इबने माजा) कर्ज लेने वाला अपनी खुशी से कर्ज की वापसी के वक्त असल रकम से कुछ जायद रकम देना चाहे तो यह जायज ही नहीं बल्कि ऐसा करना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से साबित है लेकिन पहले से जायद रकम की वापसी का कोई मामला तैय नहीं होना चाहिए।

रहन से मुतअल्लिक चंद अहम मसाइल

जब राहिन कर्ज में ली गई रकम या गिरवी रख कर खरीदे हुए सामान की कीमत वापस कर देगा तो मुरतहिन गिरवी में रखी हुई चीज को वापस कर देगा। लेकिन जब तक राहिन कर्ज में ली गई रकम या गिरवी रख कर खरीदे हुए सामान की कीमत अदा नहीं

करेगा मुरतहिन को गिरवी में रखी हुई चीज को वापस न करने का हक हासिल रहेगा। कोई सामान गिरवी रख कर कर्ज में ली गई रकम या खरीदे हुए सामान की कीमत वक्त पर अदा न करने पर मुरतहिन को हक हासिल होगा कि वह गिरवी में रखी हुई चीज को बेच करके अपना हक हासिल करले। मसलन घड़ी गिरवी रख कर एक हजार रूपय के चावल फरोख्त करने की सूरत में पहले से तैयशुदा अदायगी के वक्त पर कीमत अदा न करने पर मुरतहिन को यह हक हासिल है कि वह घड़ी फरोख्त करके अपना हक यानी एक हजार रूपय हासिल करले, बाकी रकम राहिन को वापस करदे। हाँ अगर घड़ी एक हजार रूपय से कम में फरोख्त हुई तो उसे अपनी रकम का बाकी हिस्सा राहिन से लेने का हक हासिल रहेगा।

अगर राहिन (जो गिरवी में रखे हुए सामान का असल मालिक है) रहन में रखी हुई चीज (जो मुरतहिन के पास है) फरोख्त कर दे तो उसका फरोख्त करना मुरतहिन की इजाजत या उसका कर्ज अदा करने पर मौकूफ रहेगा। अगर उसके बाद मुरतहिन ने इजाजत दे दी या उसने उसका रूपय दे दिया तो खरीद व फरोख्त हो जायगा वरना नहीं।

रहन में रखी हुई चीज के इखराजात राहिन के जिम्मा होंगे। मसलन राहिन ने अपनी भैंस गिरवी रख कर दस हजार रूपय कर्ज लिए तौ भैंस के चारा वगैरह का खर्च राहिन (यानी जो असल में भैंसा क मालिक है) के जिम्मा रहेगा। इसी तरह गिरवी में रखी हुई चीज में जो इजाफा और बढ़ोत्री होती है मसलन गिरवी रखी हुई भैंस ने बच्चा दिया तो बच्चा राहिन (यानी जो असल में भैंस का मालिक है) की मिलकियत होगा।

रहन में रखी ुई चीज का मौजूद होना जरूरी है यानी अगर कोई शख्स आने वाले साल पर आने वाले फलों को दरख्त और जमीन के बेगैर गिरवी में रख कर रहन को कोई मामला तैय करना चाहे तो यह जायज नहीं है।

अगर मुरतहिन ने अनजाने में मरहून के पास (यानी गिरवी रखी हुई चीज) बरबाद हो जाये तो अब उसकी तीन सूरतें हैं।

1) अगर गिरवी रखी हुई चीज और कर्ज की मालियत बराबर है।

2) गिरवी रखी हुई चीज की कीमत कर्ज की मालियत से ज्यादा है।

3) गिरवी रखी हुई चीज की कीमत कर्ज की मालियत से कम है। अगर दोनों बराबर हैं तो यह समझा जायगा कि मुरतहिन ने अपना कर्ज हूकमन वसूल कर लिया और अगर गिरवी में रखी हुई चीज की कीमत ज्यादा है तो यह जायद चीज अमानत के हूकूम में है लिहाजा जो जायद है उसके बरबाद होने पर कोई बदला मुरतहिन पर लाजिम नहीं आयगा। और अगर गिरवी में रखी ुई चीज की कीमत की मालियत से कम है तो इस सूरत में गिरवी में रखी ुईह चीज की कीमत की मिकदार के बराबर कर्ज खत्म हो जायगा और बाकी मान्दा कर्ज मुरतहिन राहिन से वसूल करेगा।

लेखक का परिचय

मौलाना डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी का तअल्लुक़ सम्भल (यूपी) के इल्मी घराने से है, उनके दादा मशहूर मुहद्दिस, मुक़र्रिर और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मोहम्मद इसमाईल सम्भली (रह) थे जिन्होंने मुख्तलिफ मदरसों में तक़रीबन 17 साल बुखारी शरीफ का दर्स दिया, जबकि उनके नाना मुफ्ती मुशर्रफ हुसैन सम्भली (रह) थे जिन्होंने मुख्तलिफ मदरसों में इफता की ज़िम्मेदारी निभाने के साथ साथ बुखारी व हदीस की दूसरी किताबें भी पढ़ाईं।

डाक्टर नजीब क़ासमी ने इब्तिदाई तालीम सम्भल में ही हासिलकी, चुनांचे मिडिल स्कूल पास करने के बाद अरबी तालीम का आगाज़ किया। इसी बीच 1986 में यूपी बोर्ड से हाई स्कूल भी पास किया। 1989 में दारुल उलूम देवबन्द में दाखिला लिया। दारुल उलूम देवबन्द के क़याम के दौरान यूपी बोर्ड से इन्टरमीडिएट का इमतिहान पास किया। 1994 में दारुल उलूम देवबन्द से फरागत हासिल की। दारुल उलूम देवबन्द से फरागत के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली से B.A (Arabic) और तरजुमे के दो कोर्स किए, उसके बाद दिल्ली यूनिवार्सिटी से M.A. (Arabic) किया।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली के अरबी विभाग की जानिब से मौलाना डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी को "अल जवानिबुल अदबिया वल बलागिया वल जमालिया फिल हदीसिन नबवी" यानी हदीस के अदबी व बलागी व जमाली पहलू पर दिसम्बर 2014 में डाक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया गया। डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी ने प्रोफेसर डाक्टर शफीक अहमद खां नदवी भूतपूर्व सदर अरबी विभाग और प्रोफेसर रफीउल इमाद फायनान की अंतर्गत में

अरबी ज़बान में 480 पृष्ठों पर मुशतमिल अपना तहक़ीक़ी मक़ाला पेश किया। डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी ने बहुत सी किताबें उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी जबानों में तहरीर की है। 1999 से रियाज़(सऊदी अरब) में बरसरे रोज़गार हैं। कई सालों से रियाज़ शहर में हज तरबियती कैम्प भी मुनअक़िद कर रहे हैं। उनके मज़ामीन उ़र्दू अख़बारों में प्रकाशित होते रहते हैं।

मौलाना डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी की वेब साइट (www.najeebqasmi.com) को काफी मक़बूलियत हासिल हुई है जिसकी मोबाइल ऐप (Deen-e-Islam) तीन जबानों (उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी) में है जिसमें मुख्तलिफ इस्लामी मौज़ूआत पर मज़ामीन के साथ उनकी किताबें और बयानात हैं।

हज व उमरह से मुतअल्लिक़ खुसूसी ऐप (Hajj-e-Mabroor) भी तीन ज़बानों (उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी) में है, जिन से सफर के दौरान हत्ताकि मक्का, मिना, मुज़दल्फा और अरफात में भी इस्तिफादा किया जा सकता है।

हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मशहूर उलमा, दीनी इदारों और मुख्तलिफ मदरसों ने दोनों Apps (दुन्या की पहली मोबाइल ऐपस) की ताईद में ख़ुतूत तहरीर फरमा कर अवाम व खवास से दोनों Apps से फायदा उठाने की अपील की है।

http://www.najeebqasmi.com/
najeebqasmi@gmail.com
MNajeeb Qasmi - Facebook
Najeeb Qasmi - YouTube
Whatsapp: 00966508237446

First Islamic Mobile Apps on the world in 3 languages:
Deen-e-Islam & Hajj-e-Mabroor

AUTHOR'S BOOKS

IN URDU LANGUAGE:

حج مبرور، مختصر حج مبرور، حی علی الصلاۃ، عمرہ کا طریقہ، تحفۂ رمضان، معلومات قرآن، اصلاحی مضامین جلد۱،
اصلاحی مضامین جلد۲، قرآن وحدیث: شریعت کے دواہم ماخذ، سیرت النبی ﷺ کے چند پہلو،
زکوٰۃ وصدقات کے مسائل، فیملی مسائل، حقوق انسان اور معاملات، تاریخ کی چند اہم شخصیات، علم وذکر

IN ENGLISH LANGUAGE:

Quran & Hadith - Main Sources of Islamic Ideology
Diverse Aspects of Seerat-un-Nabi
Come to Prayer, Come to Success
Ramadan - A Gift from the Creator
Guidance Regarding Zakat & Sadaqaat
A Concise Hajj Guide
Hajj & Umrah Guide
How to perform Umrah?
Family Affairs in the Light of Quran & Hadith
Rights of People & their Dealings
Important Persons & Places in the History
An Anthology of Reformative Essays
Knowledge and Remembrance

IN HINDI LANGUAGE:

क़ुरान और हदीस - इस्लामी आइडियोलॉजी के मैन सोर्स
सीरतुन नबी के मुख़्तलफि पहलू
नमाज़ के लिए आओ, सफलता के लिए आओ
रमज़ान - अल्लाह का एक उपहार
ज़कात और सदक़ात के बारे में गाइडेंस
हज और उमराह गाइड
मुख़्तसर हज्जे मबरूर
उमरह का तरीका
पारिवारिक मामले क़ुरान और हदीस की रोशनी में
लोगों के अधिकार और उनके मामलात
महत्वपूर्ण वयक्ति और स्थान
सुधारात्मक निबंध का एक संकलन
इल्म और जि़क्र

First Islamic Mobile Apps of the world in 3 languages
(Urdu, Eng.& Hindi) in iPhone & Android by Dr. Mohammad Najeeb Qasmi

DEEN-E-ISLAM HAJJ-E-MABROOR